25 वीं वार्षिक रिपोर्ट
25th ANNUAL REPORT
2012-13

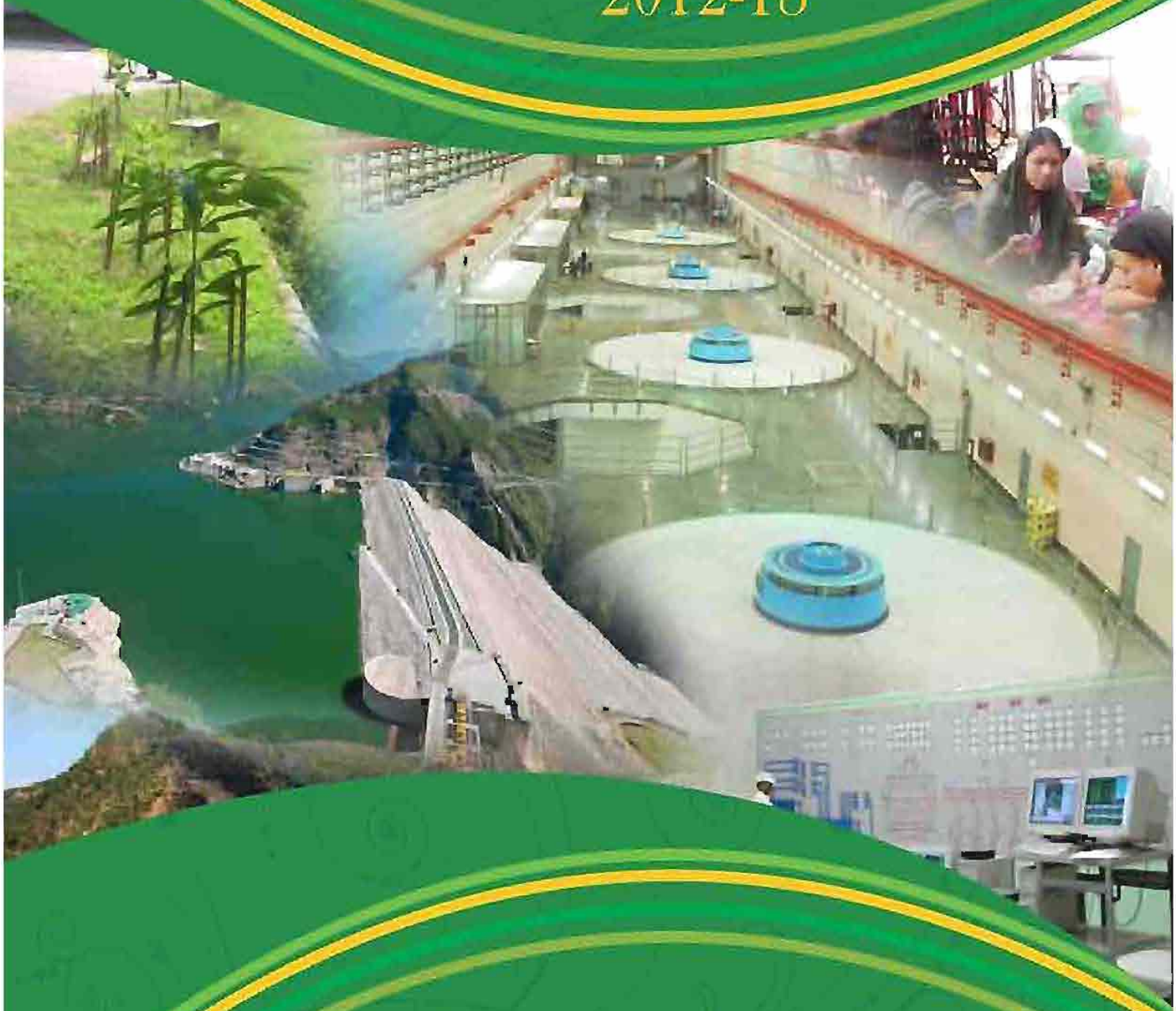

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विषय सूची
Contents

- निदेशक मंडल / Board of Directors — 3
- अध्यक्ष का अभिभाषण / Chairman's Address — 5
- निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report — 8
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट / Report on Corporate Social Responsibility — 32
- कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट / Report on Corporate Governance — 45
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां / Statements of Significant Accounting Policies — 60
- तुलन – पत्र / Balance Sheet — 64
- लेखापरीक्षक की रिपोर्ट / Auditor's Report — 101
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां / Comments of C & AG of India — 108

सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की **25वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 12:30 बजे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली– 110003 (दूरभाष – 011– 24363717)** में होगी जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा :

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा को प्राप्त करना, विचार करना तथा पारित करना।

2. 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
मोबाइल : 9412998458

सेवा में

–**टीएचडीसीआईएल के सभी सदस्यगण।**
– **श्रीमती अंजू भल्ला, निदेशक (हाइडल–I), विद्युत मंत्रालय,** श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
– **सांविधिक लेखापरीक्षक** – मेसर्स भाटिया एंड भाटिया, सनदी लेखाकार, 12, सेंट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्लीः 110001

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 03.09.2013

पंजीकृत कार्यालय

भगीरथ भवन (टॉप टेरिस), भगीरथीपुरम,
टिहरी (गढ़वाल) – 249001 (उत्तराखण्ड)

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

एनसीआर
प्लाट नं. 20, सेक्टर – 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
26, ईसी रोड, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ
101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

पुणे
अरुण प्लाजा, द्वितीय तल, गली नं. 19/3, हिंजेवाडी रोड,
डांगे चौक, तिरगांव, पुणे – 411033 (महाराष्ट्र)

वीपीएचईपी
अलकनंदापुरम, सियासेन, पीपलकोटी, जिला – चमोली (उत्तराखण्ड)

भूटान
प्रथम तल, पेल्खी सेंटर, पेल्खिल लाम, फुएंटशोलिंग, भूटान

कम्पनी सचिव

श्री एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
12, सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

यह रिपोर्ट 25.09.2013 को निगम की 25वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई।

निदेशक मंडल

25.09.2013 के अनुसार

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के. बिस्वास
निदेशक (कार्मिक)

श्री श्रीधर पात्रा
निदेशक (वित्त)

श्री जी. शाई प्रसाद
संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

प्रोफेसर (डॉ.) एस. सी. सक्सेना
पूर्व निदेशक, आई.आई.टी., रुड़की
स्वतंत्र निदेशक

श्री राजीब शेखर साहू, एफसीए
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट
स्वतंत्र निदेशक

श्री ओ. पी. गहरोत्रा
पूर्व अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार
स्वतंत्र निदेशक

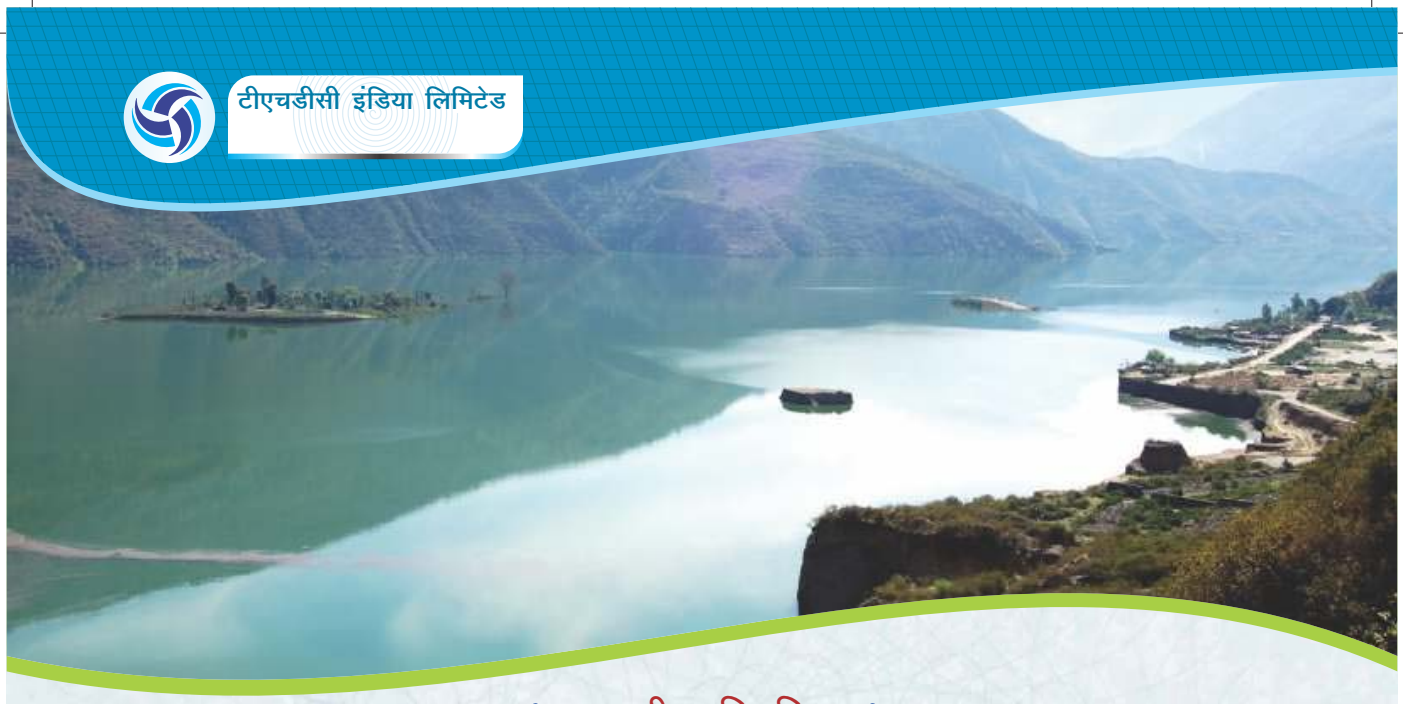

हमारी अभिदृष्टि

विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।

व्यवसायिकीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना।

हमारा मिशन

कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को प्राप्त करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्धि हो सके।

मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना।

गत्यात्मक परिवर्तित व्यापारिक परिवेश चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक बेंचमार्क निर्धारित करना।

पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अंशधारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना।

संगठनात्मक ज्ञान एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियो और सज्जनो,

मैं आपकी कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों के साथ–साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशक मंडल की रिपोर्ट पहले से ही आपके पास है और आपकी अनुमति से मैं यह मान लेता हूँ कि आपने इन्हें पढ़ लिया होगा।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बीते वर्ष के दौरान टिहरी और कोटेश्वर विद्युत केंद्रों ने विद्युत उत्पादन संबंधी अपने लक्ष्य और संयंत्र उपलब्धता कारक, जो कि कंपनी के प्रचालनात्मक निष्पादन का मापक होता है, में अपने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि अर्जित की। परियोजनाओं में विनियमन से जनवरी से मार्च, 2013 के दौरान इलाहाबाद में कुंभ मेले के सुचारु आयोजन में सहायता मिली। 400 मेगावाट की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ने ''पीएमआई इंडिया, 2012 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार'' तथा ''पांचवां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार –2013'' नामक दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते जिनके लिए इस श्रेणी के अंतर्गत सभी क्षेत्रों से 70 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।

आपकी कंपनी ने गत वर्ष के दौरान 2,055.08 करोड़ रुपए की सकल बिक्री की तुलना में 2,026.53 करोड़ रुपए की बिक्री की, जबकि 2011–12 के दौरान 703.83 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में 531.38 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। लाभ के कम होने का मुख्य कारण टिहरी एचपीपी के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पारित किए गए प्रशुल्क आदेश के कारण पड़ने वाला प्रभाव है। हमारे कुछ लाभग्राहियों की ओर से बकाए का जारी रहना चिंता का विषय है, मार्च, 2013 तक कुल प्राप्ति योग्य राशि लगभग 1,180 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा संरचनात्मक सुधारों को कार्यान्वित किए जाने के साथ स्थिति में सुधार होने की आशा है। नकदी की अस्थायी समस्या को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस वर्ष लाभांश वितरित न करने का प्रस्ताव किया है। मुझे आशा है कि शेयरधारक स्थिति को समझते हुए इस निर्णय का समर्थन करेंगे।

राजकोषीय घाटे, चालू खाते के घाटे और मुद्रास्फीति के

कारण अर्थव्यवस्था दवाब में है। रुपया काफी कमजोर हुआ है। आपकी कंपनी की परियोजना लागतों में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उत्पादकता घटक में किस प्रकार से सुधार लाया जाए जिससे कि वृद्धि और निवेश को बनाए रखा जा सके। आपकी कंपनी विभिन्न योजनाओं की मंजूरियों/ अनुमोदनों को शीघ्रता से करवाने के लिए संघर्षरत है। सुशासन संबंधी मुद्दे कारपोरेट्स के नियंत्रण से परे हैं।

आपकी कंपनी के लिए पर्यावरणीय और वन्य जीवन संबंधी मुद्दे लगातार चिन्ता का विषय बने हुए हैं।

2013-14 के एमओयू दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री आर.एस.टी शाई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल (दाएं) श्री पी. उमाशंकर सचिव (विद्युत) से हाथ मिलाते हुए

पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन्य जीवन दृष्टिकोण से मंजूरी न मिल पाने के कारण 920 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके हैं। इसी प्रकार से लगातार जल विद्युत परियोजनाओं के बीच नदी की स्वतंत्र विस्तार के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण 128 मेगावाट की झेलम तमक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 108 मेगावाट की घटी हुई क्षमता के साथ दोबारा तैयार करना पड़ा। इस शर्त ने 114 मेगावाट की मलारी झेलम जल विद्युत परियोजना को भी प्रभावित किया है जहां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्त के चलते क्षमता को घटाकर 65 मेगावाट करना पड़ा जिसने परियोजना की व्यवहार्यता पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही में जारी किए गए एक अंतरिम आदेश के कारण भी प्रभावित हुआ है जिसने उत्तराखंड में परियोजनाओं की स्वीकृति पर स्थगन आदेश लगा दिया है।

उत्तराखंड में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान टिहरी बांध जलाशय एक रक्षक सिद्ध हुआ जिसने कि भागीरथी नदी के बाढ़ के जल को भंडारित करते हुए देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्रों में संभावित भारी तबाही को बचा लिया। अलकनंदा नदी के बाढ़ जल के कारण हरिद्वार में जल स्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर था और यदि भागीरथी की बाढ़ को टिहरी जलाशय द्वारा न रोका गया होता तो संभावित तबाही अकल्पनीय मात्रा में होती। टिहरी और कोटेश्वर परियोजनाओं ने चौबीसों घंटे उत्पादन करके तथा ऐसे समय में 1400 मेगावाट विद्युत उपलब्ध करवाते हुए ग्रिड को जीवन रेखा प्रदान की जबकि उत्तरी क्षेत्र की अधिकतर जल विद्युत परियोजनाएं या तो बाढ़ से प्रभावित थीं अथवा अत्यधिक गाद जमा होने के कारण बंद हो गई थीं।

संकट की इस घड़ी में, कंपनी के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान दिया। आपकी कंपनी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले पुनरुद्धार कार्यों में योगदान कर रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले उत्तराखंड के राहत और पुनरुद्धार कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर से इसे नोडल

25 सितम्बर, 2013 को संपन्न 25वीं वार्षिक आम सभा का दृश्य

एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

सतत विद्युत संबंधी अपने विजन कथन के अनुसार सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व – सततता संबंधी व्यापक नीति अपनाई है। स्थानीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा और आजीविका संबंधी अवसरों के लिए उल्लेखनीय परिव्यय निर्धारित किए गए हैं। कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठन, सेवा (सोसाइटी फॉर इम्पावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज) और टीईएस (टीएचडीसी एजूकेशन सोसायटी) कंपनी के व्यापार के प्रचालनात्मक क्षेत्र में सतत आजीविका, समग्र विकास और लक्षित समुदायों के कल्याण वृद्धि के संबंध में योगदान कर रहे हैं तथा गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं।

देवियो और सज्जनो, गत वर्षों में आपकी कंपनी की प्रगति कर्मचारियों की अत्यधिक समर्पित टीम की प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं हो सकती थी। निदेशक मंडल तथा कर्मचारियों की ओर से मैं अपने शेयरधारकों, राज्य सरकारों, सरकारी विभागों तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डरों को सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2013

निदेशकों की रिपोर्ट– 2012-13

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रचालनों के परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

विवरण	2012–13	2011–12
आय		
प्रचालनों से राजस्व	19561	20456
अन्य आय	704	95
सकल आय (क)	**20265**	**20551**
व्यय		
कर्मचारी लाभ व्यय	1932	1500
वित्त लागत	6051	5317
मूल्यह्रास	4744	4508
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1519	1177
प्रावधान	2	16
पूर्वावधि समायोजन	42	10
कुल व्यय (ख)	**14290**	**12528**
कर पूर्व लाभ (क–ख)	**5975**	**8023**
कर	661	985
कर पश्चात लाभ	**5314**	**7038**
जोड़ें : पूर्ववर्ती वर्ष की आगे लाई गई अधिशेष राशि	16947	12373
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**22261**	**19411**
विनियोजन :		
लाभांश		
अंतरिम	0	0
अंतिम प्रस्तावित	0	2120
लाभांश पर कर		
अंतरिम	0	0
अंतिम प्रस्तावित	0	344
तुलन–पत्र में ले जाया गया शेष	**22261**	**16947**

वित्तीय निष्पादन

राजस्व

गत वर्ष 2011–12 के दौरान कुल आय 20551 मिलियन रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 20265 मिलियन रुपए की कुल आय हुई है।

1000 मेगावाट भूमिगत विद्युत गृह, टिहरी एचपीपी का एक दृश्य

लाभ

वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी ने 5314 मिलियन रुपए का निवल लाभ (गत वर्ष 7038 मिलियन रुपए) अर्जित किया है। चालू वर्ष 2012–13 का प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (ईपीएस) 157.86 रुपए (गत वर्ष 213.44 रुपए) है। वर्ष 2006–07 से टिहरी एचईपी के लिए सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क अवार्ड के संचयी प्रभाव के कारण इस वर्ष के लिए सूचित किया गया लाभ गत वर्ष की तुलना में कम है।

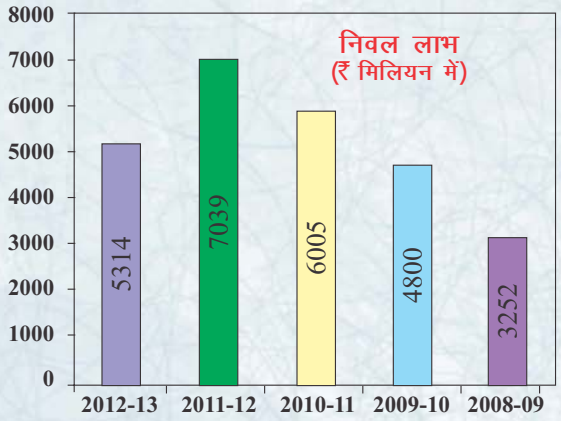

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2007–08 से आपकी कंपनी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान कर रही है। मुख्यतः लाभग्राही राज्यों से राजस्व की कम वसूली के चलते नकदी की अत्यधिक कमी होने के कारण आपके निदेशक वर्ष 2012–13 के लिए लाभांश की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं। आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार होगा।

पूंजी संरचना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000.00 करोड़ रुपए है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3443.09 करोड़ रूपए है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 100.51 करोड़ रुपए (भारत सरकार से 89.45 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार से 11.06 करोड़ रुपए) प्राप्त किए।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने टिहरी पीएसपी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संपर्क कर 136.06 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और वीपीएचईपी के लिए 9.45 करोड़ रुपए सहित 145.51 करोड़ रुपए (31.03.2012 के अनुसार 45.00 करोड़ रुपए के लंबित आबंटन सहित) के इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

परियोजना वित्तपोषण

टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) के निर्माण के लिए आपकी कंपनी ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व वाले संघ, जिसमें कि स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके सहयोगी बैंक शामिल हैं, के साथ 1500 करोड़ रुपए के आवधिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी टिहरी पीएसपी के लिए हस्ताक्षरित ईपीसी अनुबंध के ऑफ–शॉर घटक के वित्तपोषण के लिए लगभग 88 मिलियन यूरो संबंधी ईसीए समर्थित निर्यात साख को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी लगी हुई है।

प्रचालनात्मक निष्पादन

- **टिहरी एवं कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्रों से उत्पादन**

  वर्ष 2012–13 के दौरान टिहरी एवं कोटेश्वर से उत्पादन क्रमशः 3101.98 मि.यू. और 1164.05 मि.यू. था जो कि "बहुत अच्छा" हेतु क्रमशः 3000 मि.यू. और 1145 मि.यू. के लक्ष्य से अधिक है। टिहरी एवं कोटेश्वर के लिए 2012–13 हेतु संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफएस) 80 प्रतिशत और 47.00 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 81.993 प्रतिशत और 74.379 प्रतिशत था। इस वर्ष मानसून जल्दी आने के पश्चात अत्यधिक सक्रिय रहा है। वर्तमान वर्ष में टिहरी एवं

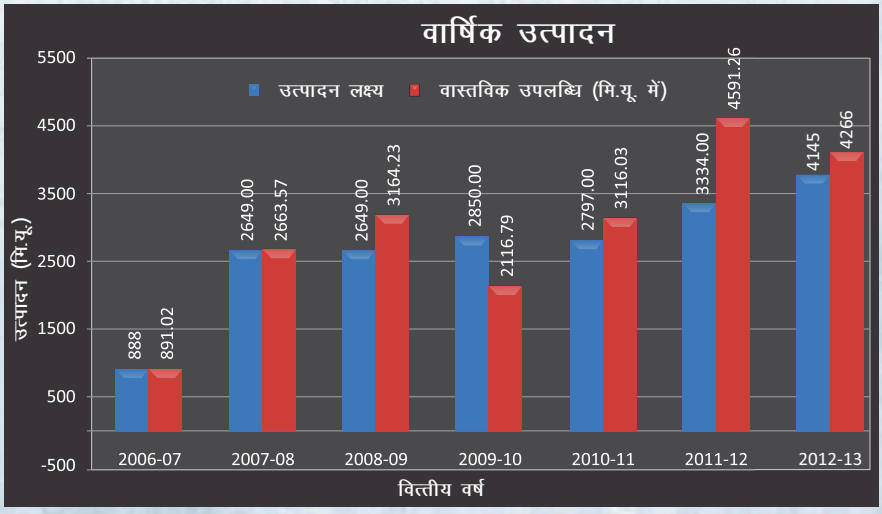

कोटेश्वर से पूरे वर्ष के लिए परिकल्पित ऊर्जा 2797 मि.यू. और 1155 मि.यू. के विद्युत उत्पादन की तुलना में सितम्बर मध्य तक विद्युत का उत्पादन क्रमशः 2563 मि. यू. और 982 मि.यू. है।

- **2013 में कुंभ मेला के दौरान इलाहाबाद में जल की आपूर्ति**

2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जल की अतिरिक्त मात्रा छोड़ी गई। तदनुसार 21 दिसम्बर, 2012 से 10 फरवरी, 2013 तक 250 क्यूमेक्स जल नियमित रूप से छोड़ा गया। उसके पश्चात प्रारंभिक मानसून के कारण नदी में प्राकृतिक प्रवाह के बढ़ जाने पर कुंभ के यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छोड़े जाने वाले जल की मात्रा को घटाकर 155 क्यूमेक्स कर दिया गया।

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

वाणिज्यिक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, अनंतिम टैरिफ के आधार पर लाभग्राहियों से 14104.20 मिलियन रुपए (गत वर्ष 11475.68 मिलियन रुपए) का राजस्व वसूल किया गया था। विद्युत की बिक्री के प्रति वर्ष 2012–13 के दौरान बिलिंग की राशि 16368.53 मिलियन रुपए थी (वसूली 86.17 प्रतिशत)।

इसके अतिरिक्त, प्रचलित यूआई तंत्र के अंतर्गत अनशेडयूल्ड इंटरचेंज (यूआई) के लिए कंपनी ने 168.38 मिलियन रुपए का निवल राजस्व भी अर्जित किया और सुनिश्चित ऊर्जा के यूआई प्रभारों के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए 8.57 मिलियन रुपए अर्जित किए।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 16.04.2013 को 2006–09 की अवधि के लिए टिहरी एचईपी के लिए टैरिफ आदेश जारी किया था। उक्त आदेश के आधार पर लाभग्राहियों से 2006–09 की अवधि के लिए 1791.40 मिलियन रुपए की राशि और देय हो गई है जिसके लिए बिल भेजे गए हैं।

टिहरी एचपीपी एवं कोटेश्वर एचईपी के लिए 2009–2014 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाएं माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्तुत की गईं जिन पर माननीय आयोग द्वारा अंतिम टैरिफ के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है।

टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) के लिए दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों में से एक नामतः बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, दिल्ली के साथ 24 दिसम्बर, 2012 को विद्युत खरीद करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

सभी लाभग्राहियों ने निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में ''उत्कृष्ट'' रेटिंग सहित संतोष व्यक्त करते हुए फीडबैक उपलब्ध कराए हैं।

टिहरी बांध का स्पिलवे

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति :

- **टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)**

परियोजना के ईपीसी/टर्नकी निष्पादन के लिए मेसर्स एल्स्टॉम हाइड्रो फ्रांस और हिन्दुस्तान

कंस्ट्रक्शन कंपनी के संघ के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना पर कार्य 27 जुलाई, 2011 से प्रारंभ हो गया है। छह अप्रोच एडिट्स के उत्खनन का कार्य पूरा कर लिया गया है। तीन अप्रोच एडिट्स के उत्खनन का कार्य प्रगति पर है। ड्रेनेज गैलरियों सहित सभी अप्रोच एडिट्स में 2558 मीटर की लंबाई का भूमिगत उत्खनन पूरा कर लिया गया है। विभिन्न मोर्चों जैसे विद्युत गृह कैवर्न, डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट्स, पेनस्टॉक एसेंबली चैम्बर, बटरफ्लाई वाल्व चैम्बर, टेल रेस सुरंगों तथा वेंटीलेशन सुरंग पर उत्खनन कार्य चल रहा है। विद्युत गृह कैवर्न में शीर्ष कटाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत गृह की बेंचिंग का कार्य प्रगति पर है। डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट सं. 3 का पाइलट शाफ्ट उत्खनन का कार्य पूरा कर लिया गया है और डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट सं. 4 में 78 मीटर की कुल लम्बाई में से 56 मीटर की लम्बाई में उत्खनन का कार्य पूरा कर लिया गया है। टेल रेस सुरंगों (टीआरटी–3 और 4) का हेडिंग उत्खनन प्रगति पर है। टेल रेस सुरंगों में 353 मीटर लम्बाई में पाइलट टनलिंग और 45 मीटर लम्बाई में हेडिंग उत्खनन का कार्य पूरा कर लिया गया है। 256 मीटर की लम्बाई के लिए वेंटीलेशन सुरंग का उत्खनन पूरा कर लिया गया है।

ईएम उपस्करों की आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। यूनिट–5 और यूनिट–6 के डीटी एल्बो लाइनर और इमबेडमेंट्स परियोजना स्थल पर प्राप्त हो गए हैं। डीएचआई, चीन में यूनिट–5 की रनर कॉस्टिंग का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। यूनिट 6 के लिए रनर बैंड और क्रॉउन का निरीक्षण

कोटेश्वर बांध का डाउनस्ट्रीम दृश्य

कोटेश्वर बांध का अपस्ट्रीम दृश्य

डीएचआई, चीन में सितम्बर, 2013 में किया जाना निर्धारित है। यूनिट–5 के लिए स्टे–रिंग, बटरफ्लाई वॉल्व प्लग कास्टिंग, स्टेटर बार और स्टेटर फ्रेम और लोअर शाफ्ट फोर्गिंग का विनिर्माण भारत और विदेशों में संघ/उप–विक्रेताओं की विभिन्न विनिर्माण यूनिटों में चल रहा है।

मलबा निपटान और खदानों में सामना की गई बाधाओं के कारण परियोजना कार्यों की प्रगति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इन मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। परियोजना फरवरी, 2017 से चालू होने की संभावना है।

- **विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट)**

पहुंच सड़कों और पुलों, फील्ड हॉस्टलों, कार्यालयों, आवासीय मकानों इत्यादि के निर्माण जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 28.05.2013 को 80.507 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण संबंधी चरण–II वन मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तराखंड सरकार से शासनादेश जारी किए जाने की प्रतीक्षा है जिसके पश्चात वन भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

सिविल और एचएम पैकेज के लिए न्यूनतम बोलीकर्ता के साथ अवार्ड पूर्व वार्ता समाप्त हो गई है और वन भूमि के अधिग्रहण के पश्चात कार्य अवार्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज के लिए 10 बोलीकर्ताओं की पी. क्यू. बोलियां 21 दिसम्बर, 2012 को खोली गईं थीं। पी. क्यू. बोलियों का मूल्यांकन कर लिया गया है और 20.07.2013 को विश्व बैंक को उनकी

मंजूरी हेतु संस्तुतियां भेज दी गई हैं। डिजाइन समीक्षा परामर्शी पैकेज, सिविल और एच एम पैकेजों के अवार्ड के साथ जोड़कर अवार्ड किया जाएगा। परियोजना कार्य अवार्ड होने के पश्चात 54 महीनों के भीतर चालू करने की योजना है।

अक्तूबर, 2011 के मूल्य स्तर पर 3745.08 करोड़ रुपए की राशि का पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन (309.53 करोड़ रुपए की आईडीसी और एफसी सहित) 28 मार्च, 2012 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया। इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा जांच के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को अग्रसारित कर दिया गया था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सितम्बर, 2012 में सूचित किया है कि प्राक्कलन की जांच का कार्य संशोधित डिजाइन ऊर्जा के अनुमोदन के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा जो कि पुनरीक्षित हाइड्रोलॉजी पर निर्भर करता है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा पुनरीक्षित हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

टिहरी एचपीपी के भूमिगत पावर हाउस की कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली

- **ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)**

परियोजना के कार्यों के लिए आवश्यक 39 हेक्टेयर भूमि के संबंध में चरण–I की वन मंजूरी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के साथ 27 नवम्बर, 2012 को प्रदान कर दी गई है। चरण–I अनुमोदन में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है और अनुपालन रिपोर्ट नोडल राज्य और नोडल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ को प्रतियों सहित 22 जुलाई, 2013 को डीएफओ, झांसी को प्रस्तुत कर दी गई है।

सिविल पैकेज के लिए निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे सभी 5 पूर्व अर्हता पूर्व पार्टियों को जारी कर दिया गया है। बोली पूर्व बैठक आयोजित की जा चुकी है और बोलियां 30 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रभावित उत्तराखंड की परियोजनाएं

- टीएचडीसीआईएल की पांच परियोजनाएं नामतः झेलम तमक, मलारी झेलम, करमोली, जडगंगा और गोहाना ताल उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश से प्रभावित हुई हैं जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा उत्तराखंड राज्य को उत्तराखंड में अगले आदेशों तक किसी भी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी अथवा वन मंजूरी न देने का निर्देश दिया गया है।
- उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार एनडीडब्ल्यूएल ने अपनी 4 सितम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में बोकांग बेलिंग एचईपी के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण के अंतर्गत ड्रिलिंग/ड्रिफ्टिंग कार्य करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

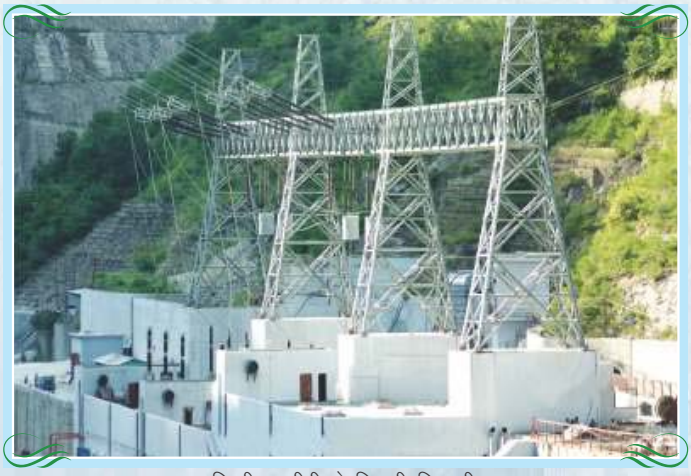

टिहरी एचपीपी से बिजली निकासी

संयुक्त उपक्रम परियोजनाएं

- **बुनाखा एचईपी, भूटान**

बुनाखा एचईपी को डीजीपीसी, भूटान की भागीदारी में संयुक्त उपक्रम के रूप में निष्पादित

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल तथा श्री पी.एस. बावा, अध्यक्ष, टीआईआई ऋषिकेश में 03.11.2012 को निष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री सी.पी. सिंह, नि.(वित्त), श्री डी.वी. सिंह नि. (तक.), श्री एस.के. बिस्वास नि. (का.) तथा श्री हिमांशु बडोनी, मु.स.अ.

किया जाना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बुनाखा एचईपी के संबंध में तकनीकी–आर्थिक मंजूरी (टीईसी) निकट भविष्य में जारी किए जाने की संभावना है। लागत के बंटवारे संबंधी तौर–तरीकों को डीजीपीसी के साथ मिलकर अंतिम रूप दे दिया गया है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच की गई है। संयुक्त उपक्रम करार पर अंतर–सरकारी विचार–विमर्श चल रहे हैं।

- **मलशेज़ घाट पी एस पी (700 मेगावाट)**

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने संबंधी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के पास लंबित है।

ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण

- **खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन – 1320 मेगावाट**

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने संबंधी विचारार्थ विषय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 27 अक्तूबर, 2011 को जारी किया गया था। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और लोक सुनवाई के आयोजन के लिए इसे 30 मार्च, 2013 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रस्तुत कर दिया गया है। रेलवे साइडिंग और कोयला परिवहन अध्ययन सहित विभिन्न स्थल विशिष्ट अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता के रूप में विनियोजित एनटीपीसी द्वारा तैयार कर ली गई है।

दीर्घकालिक कोल लिंकेज संबंधी आवेदनपत्र मई, 2011 में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

अभियांत्रिकी परामर्श

आपकी कंपनी ने जल विद्युत विकास और ढलान स्थिरीकरण कार्यों के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अभियंत्रिकी परामर्श विभाग स्थापित किया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित परामर्शी परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

- दमन गंगा – पिंजल लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित जल परियोजनाओं के संबंध में विद्युत संभाव्यता अध्ययन और ई एवं एम अध्ययन किए जाने प्रस्तावित हैं। अंतिम रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और उन्हें राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- ओडिशा जल विद्युत कारपोरेशन लि. के वर्तमान हाई हेड विद्युत केंद्रों में पंप भंडारण विद्युत गृह हेतु साध्यता पूर्व रिपोर्टें तैयार करना। ओडिशा जल विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी लि.) ने ऊपरी इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, ऊपरी कोलाब जल विद्युत परियोजना और बालिमेला जल विद्युत

परियोजना में पंप भंडारण विद्युत गृहों हेतु साध्यता पूर्व रिपोर्टें तैयार करने का कार्य सौंपा है। इन सभी तीन परियोजनाओं की साध्यता पूर्व अध्ययनों की अंतिम रिपोर्टें ओडिशा जल विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड को डीपीआर/कार्यान्वयन की तैयारी हेतु रेंकिंग के साथ नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रस्तुत कर दी गई हैं :

- ऊपरी इंद्रावती पंप स्टोरेज स्कीम (600 मेगावाट)
- ऊपरी कोलाब पंप स्टोरेज स्कीम (320 मेगावाट)
- बालिमेला पंप स्टोरेज स्कीम (400 मेगावाट)

ऊपरी इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, मुखीगुडा, ओडिशा में पंप स्टोरेज स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी ने तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के अंतर्गत 6 लघु जल परियोजनाओं के विद्युत संभाव्यता अध्ययन और ई एवं एम अध्ययन का कार्य करने के लिए आपकी कंपनी का चयन किया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) शीघ्र ही आशयपत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।
- आपकी कंपनी ने ''कटरा और श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन के बीच संवेदनशील क्षेत्रों के स्थिरीकरण हेतु डिजाइन और अभियांत्रिकी उपाय'' के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल का नए शामिल किए गए कार्यपालकों के साथ ग्रुप फोटो

- उत्तराखंड राज्य में 20 बडे भूस्खलन क्षेत्रों में ढलान स्थिरीकरण हेतु परामर्श मुहैया कराने के लिए टीएचडीसीआईएल और उत्तराखंड सरकार के बीच 11 सितम्बर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- आपकी कंपनी ने इष्टतमीकृत संकोश परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और अगस्त, 2012 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

- **पवन विद्युत उत्पादन**

आपकी कंपनी पवन विद्युत के उत्पादन के क्षेत्र में विविधीकरण की संभावनाओं की खोज कर रही है। 50 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में पवन विद्युत प्रौद्योगिकी केंद्र (सी–डब्ल्यूईटी) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। पवन संभाव्यता वाले किसी राज्य जैसे राजस्थान/मध्य प्रदेश/गुजरात/महाराष्ट्र में उपयुक्त स्थानों पर 50 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए ईपीसी अनुबंध दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले

सबसे अच्छा निर्माण परियोजना के लिए कोटेश्वर एचईपी को '5वीं सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड– 2013'

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि. 'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय झंडारोहण के बाद परेड की सलामी लेते हुए

में पवन संसाधन आंकलन अध्ययन भी प्रारंभ किया है। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में मार्च, 2013 में एक 80 मीटर ऊंचा पवन निगरानी मस्तूल प्रारंभ किया गया है और सी– डब्ल्यूईटी, चेन्नई द्वारा जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में लक्ष्मणपुर गांव में 80 मीटर ऊंचा एक और मस्तूल प्रारंभ किया जा रहा है।

- **सौर विद्युत उत्पादन**

आपकी कंपनी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए संभावनाओं की खोज कर रही है। यूपीएनईडीए (राज्य नोडल एजेंसी) से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 100 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त उपक्रम कंपनी के निर्माण करने का अनुरोध किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने चीतक खेड़ा, जिला नीमच (मध्य प्रदेश) में 20 मेगावाट क्षमता की एक सौर विद्युत परियोजना का कार्य आबंटित किया है।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन और नवीनता

आपकी कंपनी ने नीचे वर्णित किए गए अनुसार प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन और नवीनताओं की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं :

- **टिहरी एचपीपी के लिए बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क**

आपकी कंपनी वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना की प्रक्रिया में है जिसमें कि 11 मौसम वैज्ञानिक केंद्र शामिल हैं जिनमें से 4 हाइड्रोमीट्रिक केंद्र हैं। वास्तविक समय आधार पर इस नेटवर्क के माध्यम से एकत्रित किए गए मौसम वैज्ञानिक और जल वैज्ञानिक आंकड़े टिहरी स्थित पृथ्वी केंद्र को पारेषित किए जाएंगे। पृथ्वी केंद्र से आंकड़ों को ऋषिकेश और आई आई टी, रुड़की को पारेषित किया जाएगा जहां पर वास्तविक समय के आधार पर अंतर्प्रवाह के पूर्वानुमान के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

- **वायु अंतराल और वाइब्रेशन निगरानी प्रणाली**

टिहरी एचपीपी की उत्पादन इकाइयों के लिए लगातार ऑनलाइन वाइब्रेशन निगरानी और वायु अंतराल निगरानी प्रणाली की संस्थापना की गई है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं।

टीएचडीसीआईएल टेबल टेनिस टीम सदस्यों का ग्रुप फोटो

- वाइब्रेशन निगरानी हेतु संवेदक (प्रत्येक इकाई में 11)।
- वायु अंतराल निगरानी हेतु संवेदक (प्रत्येक इकाई में 8)।
- फेस संदर्भ हेतु संवेदक (प्रत्येक इकाई में 1)।
- आंकड़े प्राप्त करना, उनके प्रक्रिया और निगरानी डिवाइस (प्रत्येक इकाई के लिए 1 सेट)।
- वर्क स्टेशन (सभी इकाइयों के लिए साझा)।
- निगरानी, विश्लेषण और डाइग्नोसिस साफ्टवेयर (सभी इकाईयों के लिए साझा)।

संस्थापित प्रणाली उपस्कर संरेखण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में पहले से जानकारी उपलब्ध करवाते हुए मशीनों की उपलब्धता, उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार करेगी।

- **माइक बेसिन, माइक–11 साफ्टेवयर**

ये साफ्टवेयर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वर्षा जल अंतर्प्रवाह संबंधी विभिन्न मॉडलों और बांध तोड़ने वाली बाढ़ का आंकलन करते हुए अंतर्प्रवाह का आंकलन करने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। माइक–11 नदियों, बाढ़ मैदानों, सिंचाई नहरों, जलाशयों तथा अन्य अंतरदेशीय जल निकायों में प्रवाह और जल स्तरों, जल गुणवत्ता और तलछट परिवहन को प्रेरित करता है। इसके अनुप्रयोग के मुख्य क्षेत्र बाढ़ विश्लेषण और बाढ़ तीव्रता डिजाइन, वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान, बांध टूटने संबंधी विश्लेषण, जलाशय और नहर के गेट/संरचना प्रचालनों का इष्टतमीकरण, पारिस्थितिकीय और नदियों एवं वेटलैंड में जल गुणवत्ता आंकलन तलछट परिवहन और नदी रूपाकृतिक अध्ययन, नदियां और नदियों के मुहानों में लवणता प्रवेश हैं।

अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी ने क्रमबद्ध ढंग से अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप करने के लिए ऋषिकेश में अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की है। अनुसंधान और विकास केंद्र का नया भवन पूर्ण हो गया है।

•अनुसंधान और विकास नीति तैयार कर ली गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हो गई है। वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर 3.52 करोड़ रुपए (वर्ष 2011–12 में कर पश्चात लाभ का 0.5 प्रतिशत) के आबंटन की तुलना में किया गया कुल व्यय 3. 96 करोड़ रुपए था। 2012–13 की योजना और बजट के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं पूरी की गईं।

- 5 हाई इंड वर्क स्टेशन और विभिन्न साफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड सिविल 3डी, एआरसीजीआईएस, माइक बेसिन, माइक–11 साफ्टवेयर का प्रापण।
- जेनेरेटर के अतिरिक्त कल पुर्जों का देश में विकास।
- वायु अंतराल और वाइब्रेशन निगरानी प्रणाली की संस्थापन।
- इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपस्करों के जीवनकाल में वृद्धि करना।
- संयंत्रों के ई एवं एम उपस्करों की उपलब्धता, विश्वसनीयता, सुरक्षा में सुधार करना। मानव शक्ति की सुरक्षा इत्यादि।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल के अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग के लिए आपके संगठन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

गुणवत्ता आश्वासन

प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (आईएसओ 9001 : 2008, आईएसओ 14001 : 2004 और ओएचएसएएस 18001: 2007)

आपकी कंपनी को मार्च, 2012 में 3 वर्ष के अवधि के लिए टिहरी एचपीपी, पीएसपी और वीपीएचईपी, पीपलकोटी के लिए आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां) और आईएसओ 14001 (पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियां) प्रदान किया गया है। नवम्बर, 2012 में इन प्रमाणनों की पहली निगरानी लेखापरीक्षा भी की जा चुकी है। आईएसओ 9001 के लिए कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश का पुनः प्रमाणन प्राप्त किया गया और पहली निगरानी लेखापरीक्षा अगस्त, 2013 में की जानी निर्धारित है।

कंपनी द्वारा कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना और कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश के लिए आईएसओ 14001 : 2044

प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कंपनी केएचईपी, कोटेश्वर में आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 तथा कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 (व्यवसायगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां) का कार्यान्वयन कर रही है।

इन प्रमाणनों के लिए दस्तावेज प्रमाणन निकाय को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और चरण–1 की लेखापरीक्षा की जा चुकी है। यह प्रमाणन दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

सिटीजन चार्टर–सेवोत्तम–आईएस–15700–गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां–लोक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं का भी संगठन में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी का मानना है कि बिजली का प्रभावी उपयोग मांग घटाने का एक तरीका है। टीएचडीसीआईएल, कंपनी के भीतर ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी ने संयंत्र क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन पी सी), नई दिल्ली को लगाया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है जो कि कार्यान्वित किए जाने पर प्रतिवर्ष 1091.27 लाख रुपए मूल्य की 723.256 एमडब्ल्यूएच ऊर्जा की बचत करेंगे। इसके कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 226.8 लाख रुपए है।

टीएचडीसी परिसर, ऋषिकेश में भी ऊर्जा दक्षता के लिए इसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। आवासीय और कार्यालय परिसर की ऊर्जा लेखापरीक्षा मेसर्स पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा कराई गई थी। ऊर्जा लेखापरीक्षकों की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके द्वारा सभी हॉस्टलों और अतिथि गृहों में सौर वाटर हीटर्स को संस्थापित किया जा चुका है। कार्यालय परिसर और अतिथि गृहों में लगभग 378 एसी चल रहे हैं जिनमें से 205 एसी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए स्टार रेटेड एसी द्वारा प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं।

जैसा कि गत वर्ष में किया जा चुका है, टीएचडीसी परिसर, ऋषिकेश में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित कार्य किए जाने का विचार है :

- पारम्परिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था से प्रतिस्थापित किए जाने की योजना है जिससे कि लगभग 70993 यूनिट प्रति वर्ष ऊर्जा बचत होने की आशा है।
- छत के पुराने पंखों को छत के फाइव स्टार रेटेड पंखों से प्रतिस्थापित किए जाने की योजना है जिससे कि प्रतिवर्ष लगभग 16032 यूनिट ऊर्जा खपत की कमी आएगी।

उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ऊर्जा की प्रतिवर्ष होने वाली समग्र खपत में 3.02 प्रतिशत की कमी आएगी। ऋषिकेश परिसर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 100 केवी के सोलर स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र की संस्थापना की योजना है जो कि प्रतिवर्ष लगभग 1,63,000 यूनिटों का उत्पादन करेगा। इसके अतिरिक्त इससे वर्ष 2012–13 में ऊर्जा की खपत की तुलना में समग्र ऊर्जा खपत में 5.65 प्रतिशत की कमी होगी।

अन्य उपाय :

- कंपनी कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंपों के उपयोग और अपनी सभी व्यावसायिक संस्थापनाओं में ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ावा दे रही है।
- कचरा प्रणाली 500 किलोग्राम जैविक कचरे के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रणाली से उत्पाादित की गई गैस का उपयोग टीएचडीसीआईएल की कैंटीन में किया जा रहा है और प्रतिदिन लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम तक एलपीजी गैस की बचत की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली के माध्यम से मीथेन गैस

ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल औषधालय का नवीन भवन

टिहरी बांध के जलागम क्षेत्र में जल प्रबंधन पर काम

को सीओ2 में परिवर्तित किया जा रहा है जो कि मीथेन से लगभग 21 गुना कम हानिकारक है। इस संयंत्र की संस्थापना से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी आई है।

ऋषिकेश परिसर में सौर ऊर्जा का उपयोग

ऊर्जा लेखापरीक्षक की सिफारिश के अनुसार सभी हॉस्टलों और अतिथि गृहों में सौर वाटर हीटर्स संस्थापित किए गए हैं। ऋषिकेश परिसर के चारों ओर बिजली की बाड़ (फेंस) और पार्क क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर प्रणाली स्थापित की गई है। सभी नये भवनों को डे–लाइट का उचित रूप से प्रयोग करने के लिए डे–लाइट प्रावधान से सुसज्जित किया गया है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने और हानियों को कम करने के लिए स्वचालित विद्युत कारक नियंत्रक संस्थापित किए गए हैं। ऋषिकेश परिसर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 100 केवी के सोलर स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र की संस्थापना की योजना है।

पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण की सुरक्षा आपकी कंपनी की शीर्षस्थ प्राथमिकताओं में से एक है। आपकी कंपनी टिहरी बांध परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों का आंकलन करने के लिए बीएसआई, नीरी, जेडएसआई, दिल्ली विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे अग्रणी संस्थानों के माध्यम से अनेक अध्ययन करवाए थे। इन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर टीएचडीसीआईएल ने विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए विस्तृत न्यूनीकरण योजनाएं बनाई हैं। कंपनी ने पर्यावरण पर अवरोधन के प्रभाव को देखने के लिए अनेक अवरोधन पश्चात अध्ययन भी किए हैं।

सभी भावी परियोजनाओं के लिए टीएचडीसीआईएल ने इन परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण पर सभी प्रकार के संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने के लिए विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अध्ययन प्रारंभ किए हैं और इसके पश्चात इन विपरीत प्रभावों को समाप्त करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

कंपनी ने विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) के लिए अत्याधुनिक विकासों के अनुसार अतिरिक्त अध्ययन प्रारंभ किए हैं। समग्रतावादी पर्यावरणीय आंकलन और प्रबंधन संबंधी एक रिपोर्ट अलग से तैयार की गई है।

पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की निगरानी हेतु कैचमेंट क्षेत्र उपचार (सीएटी) के लिए तृतीय पक्ष निगरानी, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और बहु–विषयक स्वतंत्र समिति प्रस्तावित है। कंपनी यूएनएफसीसीसी में सीडीएम परियोजनाओं के समान अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है।

सतत विकास (एसडी)

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने डीपीई द्वारा सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए जारी ''सतत विकास'' (एसडी) संबंधी दिशानिर्देशों की तर्ज पर सतत विकास नीति अनुमोदित की है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सतत विकास क्रियाकलापों के लिए 110.38 लाख रुपए की राशि निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी। उपर्युक्त बजट की तुलना में

वास्तविक व्यय 120.58 लाख रुपए की राशि का व्यय हुआ।

वर्ष 2012–13 में कार्यान्वित की गई सतत विकास परियोजनाओं/क्रियाकलापों में शामिल हैं :

- भू–विज्ञान विभाग, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से टिहरी जिले में ऊर्जा संरक्षण के लिए ''पनचक्की'' का आधुनिकीकरण (ऊर्जा प्रबंधन के रूप में निष्पादन सूचक सहित ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत अनुसूची–क)।
- भूगोल विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से जल और मृदा कटाव की पुनर्स्थापना के लिए टिहरी जिले में 02 नालों का ढाल स्थिरीकरण। (जैव विविधता संरक्षण के रूप में निष्पादन सूचक सहित वनीकरण के अंतर्गत, अनुसूची–क)।
- 06 प्राकृतिक जल निकायों का रखरखाव (05 हजरतपुर गांव जिला बाराबंकी में और 01 महमेंदीपुर गांव, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में) (ऊर्जा प्रबंधन के रूप में निष्पादन सूचक सहित जल प्रबंधन के अंतर्गत, अनुसूची–क)।
- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण।
- कंपनी के कर्मचारियों को 25 मानव दिवस का आंतरिक और बाह्य सतत विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से कुल 06 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।
- भूगोल विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से एकीकृत विकास द्वारा 50 रिम क्षेत्र गांवों के संबंध में आजीविका का सशक्तिकरण और संवर्धन।
- भूगर्भ–विज्ञान विभाग किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रतापनगर, ब्लॉक के उपली रमोली में सतत आजीविका और संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदाय की पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी क्रियाकलापों के लिए अनुसंधान केंद्र (नोडल केंद्र) का विकास।
- दूरस्थ गांवों में 10 किलोवाट क्षमता (02) की सामुदायिक सौर विद्युत परियोजनाएं (ऊर्जा प्रबंधन के रूप में निष्पादन सूचक सहित नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत अनुसूची–क) (एएसी – सतत विकास बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जिसे वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रारंभ किया जाना है)।

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि. अपनी पत्नी श्रीमती पदमावती शाई के साथ टीएचडीसी कालोनी, ऋषिकेश में कव्वाली कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

वर्ष 2012–13 में समझौता ज्ञापन के एक लक्ष्य को छोड़कर शेष सभी लक्ष्य ''उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग'' के साथ सतत विकास के अंतर्गत पूर्ण किए गए।

सीएसआर एवं सततता संबंधी नीति –2013

निदेशक मंडल ने सीएसआर एवं सततता नीति –2013 को अनुमोदित किया है जो कि 01.04.2013 से प्रभावी सीएसआर एवं सततता संबंधी नए डीपीई दिशानिर्देशों की तर्ज पर तैयार की गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान सीएसआर संबंधी क्रियाकलापों पर कुल 19.84 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। बोर्ड ने वर्ष 2013–14 के लिए 18.54 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया था। नीति के अनुसार वर्ष 2013–14 के संबंध में सीएसआर एवं सततता विकास संबंधी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड स्तरीय समिति तथा बोर्ड से निम्न स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

सीएसआर क्रियाकलापों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के पास 2118 कार्मिकों का एक सुदृढ़ मानव संसाधन आधार है जिसमें 796 कार्यपालक, 154 पर्यवेक्षक और 1168 कामगार शामिल हैं। मानवशक्ति मेगावाट अनुपात 1.506 है। कंपनी ने अपनी मानव पूंजी को हमेशा से अपनी सबसे बड़ी परिसंपत्ति माना है। कंपनी की अभिदृष्टि और मिशन को पूरा

करने के लिए हमारी मानव पूंजी का उन्नयन करने और कौशल को निखारने का आपकी कंपनी का प्रयास है। इसने हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित करने तथा विद्युत क्षेत्र के अन्य संगठनों के समान पारिश्रमिक नीतियां अपनाने का प्रयास किया है।

आपकी कंपनी ने वैयक्तिक स्तर और टीम स्तर पर भी टीम भावना को बढ़ाने तथा कर्मचारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए ''पुरस्कार और पारितोषिक योजना'' प्रारंभ की है। उत्पादकता, संयंत्र की हाउसकीपिंग, सुरक्षा, आवासीय कॉलोनी की हाउसकीपिंग, कार्यालयों की हाउसकीपिंग और अतिथि गृहों की हाउसकीपिंग के लिए टीम स्तर पर छह पुरस्कार हैं। वैयक्तिक स्तर पर कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और कामगारों प्रत्येक श्रेणी में दो–दो, कुल मिलाकर छह पुरस्कार होंगे।

ऋषिकेश में **''सतत आजीविका और सामुदायिक विकास संबंधी केंद्र''** स्थापित किया गया है। यह केंद्र परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सतत आजीविका को बढ़ाने के लिए है। इसके परिसर का उपयोग समय–समय पर कंपनी के कर्मचारियों को आंतरिक (इन हाउस) प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है।

आपकी कंपनी ने प्रतिभाशाली और मेधावी कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए एक जीवंत, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) कार्यान्वित की है। आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरस्कार एवं मान्यता की एक नई नीति भी अंगीकार की है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के दौरान उत्कृष्ट रेटिंग के लिए रखे गए 5814 मानव दिवसों के समझौता ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में कुल 6562 मानव दिवसों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

प्रतिस्पर्धा और क्षमताओं के वैश्विक हो जाने के कारण अगले चक्र में प्रवेश करने के लिए संगठन की महत्वपूर्ण क्षमताओं और सक्षमताओं की वृद्धि, परिवर्तित करने तथा निर्मित करने के लिए अत्यधिक जोर दिया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान प्रकार्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए स्टाइरैक्स कंसल्टेंट्स, गुड़गांव के माध्यम से ''कोर क्षमताओं की समीक्षा'' संबंधी दो कार्यक्रमों तथा बिमटेक, ग्रेटर नोएडा के माध्यम से ''नेतृत्व विकास कार्यक्रम'' संबंधी दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

महिलाओं को एक सुरक्षित जेंडर–फ्रैंडली व्यावसायिक कार्य स्थल उपलब्ध करवाने तथा कर्मचारियों को आचार–संहिता अर्थात कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में शून्य सहन शक्ति उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से ''लैंगिक संवेदीकरण तथा आचार–संहिता'' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विभाग ने ऋषिकेश में कायपालकों (ई–1 से ई–8 स्तर तक) तथा टिहरी में पर्यवेक्षकों और कामगारों (डब्ल्यू–2 से एस–4 तक) को शामिल करते हुए ''अधिवर्षिता योजना''पर एक समर्पित

एनटीपीसी अधिकारियों हेतु वृहद जल विद्युत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों का श्री डी.वी. सिंह, नि.(तक.) तथा टीएचडीसीआईएल के अन्य अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो

कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को प्रतिभागियों के लिए इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि वे अधिवर्षिता के पश्चात संक्रमण अवधि को प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित कर सकें तथा जोश एवं उत्साह के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। पूरे वर्ष के दौरान कम्प्यूटर कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवीणता पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को विदेशों में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रमों सहित आईआईएमएस, एएससीआई, ईएससीआई, स्कोप इत्यादि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में तकनीकी/प्रबंधकीय कार्यक्रमों के लिए बाहर से मांगे गए नामांकनों पर भेजा गया है। दिया गया औसत मानव दिवस प्रशिक्षण 3.08 था।

वर्ष के दौरान कंपनी में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 38 कार्यपालक प्रशिक्षुओं (2012 बैच) को भर्ती किया गया। पीएमआई,

टिहरी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में ढलान स्थिरीकरण का काम

नोएडा में 22 सप्ताह का सुनियोजित जटिल प्रशिक्षण प्रारंभिक कार्यक्रम तथा मानव संसाधन विभाग केंद्र में 03 सप्ताह का एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके पश्चात कारपोरेट मानव संसाधन विभाग द्वारा उन्हें गति प्रदान करने तथा हमारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में आसानी के साथ घुलने–मिलने तथा सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षकों के अंतर्गत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक वर्ष के प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यपालकों/इंजीनियर प्रशिक्षुओं (2012 बैच) को निगम के नियमित संवर्ग में शामिल कर लिया गया।

वर्ष 2012–13 के लिए 3.60 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की तुलना में उपर्युक्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए लगभग 4.57 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।

कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं, केंद्रों/इकाइयों पर औद्योगिक संबंध सद्भावनापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे। इस अवधि के दौरान किसी हड़ताल अथवा बंदी की कोई सूचना नहीं मिली। संगठित एवं असंठित बैठकों के माध्यम से प्रबंधन और यूनियनों के बीच नियमित बातचीत होती रही। निगम की प्रगति के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों को रचनात्मक विचार–विमर्शों के लिए संयुक्त प्रबंधन परिषद में भागीदार बनाया गया। निगम में गुणवत्ता सर्किल संकल्पना प्रारंभ की गई तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों की परियोजनाओं में 07 गुणवत्ता सर्किल बनाए गए थे तथा उनके क्षेत्र की परियोजनाएं पूरी की गईं।

टिहरी और ऋषिकेश इकाइयों में सुझाव मेले का आयोजन किया गया। जिसमें कर्मचारियों की ओर से 1800 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। टीम तथा वैयक्तिक कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देने के लिए तीन श्रेणियों अर्थात पर्यवेक्षक, कामगार और कार्यपालक में सर्वोत्तम कर्मचारियों को पुरस्कार देने के अतिरिक्त विद्युत केंद्रों, कार्यालयों और टाउनशिप क्षेत्र में हाउसकीपिंग के क्षेत्र में पुरस्कार और पारितोषिक योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन खेलकूद, शीतकालीन खेलकूद इत्यादि जैसे अनेक कल्याणकारी क्रियाकलाप आयोजित किए गए। टीएचडीसीआईएल परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर जुड़ाव के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली मेला इत्यादि जैसे सामुदायिक पर्वों का आयोजन भी किया गया था।

कर्मचारियों के तनाव को कम करने तथा एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने के लिए योग शिविर, स्वास्थ्य वार्ता इत्यादि जैसे अनेक कार्य–जीवन संतुलन संबंधी क्रियाकलाप आयोजित किए गए। अधिकारी क्लब तथा मनोरंजन क्लब के कार्यकारी निकायों की पुनर्स्थापना की गई और उन्होंने अनेक नई सामुदायिक पहलों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कार्यस्थल पर आचार–संहिता के अंतर्गत एक शिकायत समिति का गठन किया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों संबंधी पहल

आपके निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि. (बाएं) कवि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, साथ में हैं
श्री डी.वी. सिंह, नि.(तक.) तथा श्री एस. के. बिस्वास, नि.(का.)

जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन किया है। इस वर्ष निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में 38 कार्यपालक प्रशिक्षुओं की भर्ती की जिसमें 06 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, 04 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी और 07 अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी शामिल हैं। निगम विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से आरक्षित श्रेणी संबंधी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अनेक कर्मचारियों को आंतरिक तथा साथ ही साथ विदेशों में विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिकों के कल्याण तथा शिकायतों के निपटान के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अधिकांश कार्यालय भवनों में रैम्पों का निर्माण करवाकर सुगम पहुंच उपलब्ध करवाई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्रवाई की है।

टीएचडीसीआईएल की अधिकारिक वेबसाइट में इस अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित किए जाने के लिए यथापेक्षित सूचना दी गई है। अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, निगम के लोक सूचना अधिकारियों तथा सूचना मांगने, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का अपील प्रस्तुत करने संबंधी अन्य सभी संबंधित प्रपत्रों का विवरण टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त सभी आवेदनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है तथा उन पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न स्वरूप की सूचना मांगते हुए देश भर से नागरिकों के कुल 214 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे और उन्हें समय से सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 18 अपीलें प्राप्त की गईं, जांच के पश्चात अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इन सभी अपीलों का निस्तारण कर दिया गया। इसके लिए 06 अपीलों पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई है और इन सभी 06 मामलों में आयोग द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और सफल कार्यान्वयन के लिए भरसक प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान परियोजना और कारपोरेट कार्यालय में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी कार्यालय आदेश, प्रपत्र और परिपत्र हिंदी में भी जारी किए गए। महत्वपूर्ण विज्ञापन और घरेलू पत्रिकाएं द्विभाषी रूप से अर्थात, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की गईं थीं।

आपकी कंपनी को भारत सरकार की ''इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना'' के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 14 सितम्बर, 2012 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से प्राप्त किया गया। आपकी कंपनी ने यह पुरस्कार वर्ष 2008–09 और वर्ष 2009–10 में भी प्राप्त किया था। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हरिद्वार द्वारा कंपनी के कारपोरेट कार्यालय को राजभाषा वैजयन्ती पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान हिन्दी अनुभाग द्वारा 20 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 446 कर्मचारियों को कार्यशाला तथा विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिन्दी पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए हिन्दी की पुस्तकों की खरीद की गई। कम्प्यूटरों/लैपटॉप में द्विभाषी कार्य सुविधा प्रदान कराने के लिए उनमें हिन्दी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए।

भानियावाला, देहरादून में विकसित पुनर्वासित गांव

सभी अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों तथा कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर हिन्दी ''कवि सम्मेलन'' का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान गृह पत्रिका ''पहल'' के 02 संस्करणों का प्रकाशन किया गया।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी ने टिहरी जल विद्युत परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। टिहरी जलाशय की परिधि के आसपास के क्षेत्रों को बेहतर सपंर्क उपलब्ध कराने के लिए सड़क संपर्कता, सार्वजनिक सुविधाओं की पुनर्स्थापना, केबल कार एवं फेरी बोट इत्यादि की व्यवस्था जैसे अतिरिक्त उपायों का कार्यान्वयन किया गया है। बांध से प्रभावित क्षेत्रों को समुचित संचार व्यवस्था तथा समुचित संपर्क उपलब्ध कराने के लिए भागीरथी घाटी में सयांसू तथा भिलंगना घाटी में जलमग्न पुलों के निर्माण के स्थान पर पीपलडाली में परियोजना लागत से हल्के वाहनों हेतु सेतु के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

टिहरी जल विद्युत परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित कार्यों विषयक सभी लंबित मुद्दों के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए जून, 2011 में सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय की प्रमुख सचिव, उत्तराखंड सरकार के साथ बैठक हुई थी। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीएचडीसीआईएल 102.99 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध करवाएगा। उक्त धनराशि उत्तराखंड सरकार को नवम्बर, 2011 में अवमुक्त की जा चुकी है। जिला मुख्यालय अर्थात एनटीटी से कटे हुए क्षेत्रों से संपर्क में सुधार करने के लिए डोबरा गांव के निकट भागीरथी नदी पर राज्य सरकार और टीएचडीसी/भारत सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात से 154 करोड़ रूपए की कुल पुनरीक्षित लागत से एक 440 मीटर के स्पॉन का सेतु भारी वाहनों हेतु भी बनाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालय अर्थात एनटीटी से कटे हुए क्षेत्रों के संपर्क में और अधिक सुधार करने के लिए राज्य सरकार और टीएचडीसीआईएल/ भारत सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्तपोषण सहित चिन्यालीसौड़ में भागीरथी नदी पर तथा घोंटी में भिलांगना पर हल्के वाहनों के लिए एक–एक सेतु क्रमशः 35.00 करोड़ रूपए और 22.40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल का निधि में हिस्सा राज्य सरकार को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार टिहरी बांध परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के अभ्यावेदनों के निपटान के लिए एक शिकायत निपटान तंत्र कार्यरत है।

आपकी कंपनी ने संबंधित स्टेक होल्डरों के परामर्श से विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना सहित नई परियोजनाओं के लिए एक आकर्षक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार की है। इस नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों के भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों तथा आजीविका के साधनों की हानि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी नीति तैयार करते समय एनपीआरआर– 2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है और कुछ प्रावधानों में सुधार किया गया है। विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के आरएपी कार्यान्वयन के मध्यकालिक एवं अंतकालिक तृतीय पक्ष निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए एक वाह्य परामर्शी एजेंसी को नियुक्त किया गया है।

नई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना शीर्ष के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों तथा आसपास के समुदायों के समुदाय कल्याण की दिशा में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना लागत प्राक्कलन में परियोजना लागत के 0.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जा रहा है।

कारपोरेट संचार

किसी भी कारपोरेट इकाई की व्यापारिक छवि को बनाने और उसे बनाए रखने में कारपोरेट संचार एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके कर्मचारियों और स्टेकहोल्डरों के बीच निरंतर भाव संबंध और प्रभावी संप्रेषण स्थापित करने के लिए ऋषिकेश स्थित कारपोरेट संचार विभाग कंपनी की व्यापारिक छवि को बढ़ावा देने और सेक्टर में इसकी उपस्थिति को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है।

कारपोरेट संचार विभाग का उद्देश्य जनता के बीच हमारी कारपोरेट नीतियों और कार्यक्रमों के संचार के इष्टतम स्तर को बनाए रखना तथा इन दोनों के बीच समझ और सद्भावना का सेतु बनाना है। विभाग निरंतर आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन संपर्क साधनों अर्थात मास–मीडिया और प्रकाशनों इत्यादि का उपयोग कर रहा है।

आपके निगम ने टिहरी जल विद्युत परिसर के एकीकृत मॉडल को प्रदर्शित करने के मुख्य विचार सहित आईआईटीएफ–2012 में भाग लिया। विद्युत मंत्रालय के पैवेलियन के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के स्टॉल को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा रजत पदक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, इस निगम ने उत्तराखंड राज्य में एक नोडल अभिकरण के रूप में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण–2012 संबंधी राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण विषय पर एक राज्य–स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया।

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार (तृतीय) प्रदान किया गया। कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) को ''सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना संबंधी उपलब्धि पुरस्कार'' की श्रेणी में पीएमआई इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवार्ड–2012 तथा ''पांचवां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार –2013'' प्रदान किया गया। टीएचडीसीआईएल को ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन रणनीति के लिए स्वर्ण ट्रॉफी भी प्रदान की गई। निगम की छवि को उभारने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस में प्रमुख सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों को भी जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया।

निगम में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न समारोहों को कवर करते हुए गृह पत्रिका ''गंगावतरणम्'' संप्रेषक के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने टीएचडीसी सततता संबंधी रिपोर्ट 2011–12, टीएचडीसी प्रोफाइल, टीएचडीसी कारपोरेट योजना–2022, विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन तथा टीएचडीसी हाइड्रो टेक, सतर्कता बुकलेट–चेतना, आईआईटीएफ–2012 के लिए टीएचडीसी ब्रोशर्स तथा सीएसआर ब्रोशर इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के समय से प्रकाशन को सुकर बनाया।

निदेशक (कार्मिक) ग्रीनटेक फाउण्डेशन द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन रणनीति के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए।

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल तथा श्री राजीव शर्मा, अ. एवं प्र. नि., आरईसी टीएचडीसी इंजीनियरिंग संस्थान में लड़कियों के छात्रावास के निर्माण की सहायता के लिए एमओयू दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए

कारपोरेट सुशासन

कंपनी का सुशासन दृष्टिकोण

टीएचडीसीआईएल ने अपने सभी स्टेकहोल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छे कारपोरेट सुशासन संव्यवहारों को अंगीकार किया है। कंपनी कारपोरेट सुशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन करती है।

कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मानकों पर आधारित है :

- पारदर्शिता एवं निष्पक्षता
- समयोचित एवं संतुलित प्रकटन
- मूल्य योजन के लिए बोर्ड की संरचना
- बोर्ड की भूमिका और उत्तरदायित्व
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
- नीति परक एवं उत्तरदायी रूप से निर्णय लेने को बढ़ावा देना
- पर्यावरण के प्रति दायित्व
- स्टेकहोल्डरों के अधिकार एवं हित
- अनुपालन

सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट सुशासन संव्यवहारों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी में विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रमुख संव्यवहारों को निम्नानुसार इंगित किया जा सकता है :

- कार्यपालकों को सशक्त करने की दृष्टि के साथ अधिकारिता प्रदान करने तथा उन्हें विकेंद्रीकृत बहु परियोजना संदर्भ में शीघ्रता से निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी एक पारदर्शी दस्तावेज जारी किया गया है एवं उसे समय–समय पर संशोधित किया जाता है।
- प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता और जवाबदेही के लिए कार्यों तथा आपूर्तियों के प्रापण हेतु नीति और कार्य मैनुअल को नवीनतम परिवर्तनों, सरकारी दिशा–निर्देशों इत्यादि को शामिल करते हुए पुनः तैयार किया गया है।
- कंपनी ने बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए व्यापारिक आचार–संहिता एवं नीति अपनाई है।
- कंपनी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की तर्ज पर अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है।
- अच्छे कारपोरेट सुशासन के लिए एक साधन के रूप में व्हिसल ब्लोअर नीति का प्रयोग किया जा रहा है।
- संभावित जोखिमों तथा इनके न्यूनीकरण संबंधी उपयुक्त साधनों का पता लगाने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति जारी की गई है।
- अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शक के रूप में आचार नीति तैयार की गई है।
- कारपोरेट सुशासन के एक प्रमुख तत्व के रूप में वार्षिक सततता रिपोर्ट को वैश्विक रिपोर्टिंग पहल के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

हालांकि आपकी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और सूचीबद्ध करार का उपबंध 49 इस पर लागू नहीं होता है फिर भी कंपनी ने कंपनी अधिनियम/डीपीई दिशा–निर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित अच्छे कारपोरेट सुशासन संबंधी प्रणालियों को अपनाने का प्रयास किया है।

लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र सहित कारपोरेट सुशासन संबंधी विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** के रूप में संलग्न है।

सतर्कता

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का मुख्य जोर वेबसाइट का प्रभावी उपयोग करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी को उपयोग में

लाकर और पारदर्शिता को बढ़ाकर सतर्कता प्रशासन में सुधार करने का था। ई–निविदा की प्रक्रिया का कार्यान्वयन करके निवारणात्मक सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। टीएचडीसीआईएल द्वारा ई–निविदा में भागीदारी के लिए विक्रेताओं के ऑन लाइन पंजीकरण की प्रणाली प्रारंभ की गई है।

नई प्रणाली के साथ ऑनलाइन भुगतान सुविधा विकसित की गई है और विक्रेता स्वयं को ऑनलाइन रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। अवार्ड किए गए ठेके वेबसाइट पर प्रत्येक माह प्रकाशित किए जाते हैं। ई–भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और इसका अनुसरण किया जा रहा है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पूछताछ और जांच करने के लिए निर्धारित की गई समय–सीमा का पालन किया गया। सतर्कता संबंधी कार्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किए गए।

शिकायतों के निपटाने की ऑनलाइन प्रणाली प्रचालन में है और शिकायतों को भारत सरकार के वेब पोर्टल यूआरएल http://pgportal.gov.in पर प्रस्तुत किया जाना होता है। टीएचडीसी ने अपने आपको इस साइट में पंजीकृत करवाया है और इसका इस पर एक एकाउंट है। इसका कार्य कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में कार्मिक विभाग के लोक शिकायत अधिकारी द्वारा देखा जाता है। सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से सतर्कता विभाग के लिए एमआईएस सहित एक पृथक शिकायत निपटान सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान कारपोरेशन ने कार्य मैनुअल और जोखिम प्रबंधन मैनुअल को भी अंतिम रूप दिया और जारी किया।

29 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2012 मनाया गया। कर्मचारियों के अतिरिक्त, टिहरी के परियोजना प्रभावित क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों से भी विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने तथा जन जागरूकता का प्रसार करने का अनुरोध किया गया।

वर्ष के दौरान लोक प्रापण, सीएसआर, कार्मिक मामले इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार का कार्य किया गया।

विनिवेश प्रक्रिया

विनिवेश विभाग (डीओडी) ने टीएचडीसीआईएल में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित 10 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से घरेलू बाजार में विनिवेश करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने कंपनी से कहा है कि प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई की जाए। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि तैयारी संबंधी कार्रवाई के रूप में भावी आईपीओ के लिए सूचीबद्ध करने से पहले के क्रियाकलापों को शुरू किया जाए।

विनिवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत मंत्रालय, विनिवेश विभाग और अंतर–मंत्रालयीय समूह (आई एम जी) की कई बैठकें आयोजित की गईं। विनिवेश प्रक्रिया को समर्थ करने हेतु प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। विनिवेश विभाग के निदेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा विनिवेश की रूपरेखा को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। कारपोरेट सुशासन मानक, सूचीबद्ध करार और आईपीओ की आवश्यकताओं के अनुसार में बोर्ड के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए आवश्यक सभी उपबंधों को शामिल करते हुए टीएचडीसी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों में संशोधन हेतु कारवाई को पहले ही प्रारंभ कर दिया है।

ऋषिकेश में टीईएस स्कूल की नई इमारत

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2कक) के अनुसार निदेशक उल्लेख करते हैं कि :

(i) वार्षिक लेखा को तैयार करने में महत्वपूर्ण निकासियों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू होने वाले सभी लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है;

(ii) कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और निरंतर रूप से उनका

अनुप्रयोग किया है तथा निर्णय और आंकलन किए हैं जो कि उचित और प्रासंगिक हैं, जो कि 31 मार्च, 2013 को कंपनी के कार्यों तथा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में कंपनी के लाभ और हानि लेखा का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं;

(iii) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) इन लेखों को चालू कारोबार आधार पर तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक आम सभा के बाद श्री ए.एस. बिष्ट अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कारण 31 अक्तूबर, 2012 से तथा श्री सी.पी. सिंह 31 जुलाई, 2013 से क्रमशः निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक (वित्त) के पद से हट गए हैं।

श्री एस. के. बिस्वास को 01 नवम्बर, 2012 से निदेशक (कार्मिक) तथा श्री श्रीधर पात्रा को 01 अगस्त, 2013 से निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया है।

निदेशकों ने सेवानिवृत्त हुए निदेशकों से उनके कार्यकाल में प्राप्त बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन की सराहना की है।

लागत लेखापरीक्षक

भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए टिहरी इकाई और कोटेश्वर इकाई के लिए लागत लेखाकरण रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में क्रमशः मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली और मैसर्स रामनाथियर एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को अनुमोदित किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत अपने दिनांक 03.08.2012 के पत्र सं. सी ए. वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट.टिहरी एच(I)/324 के अनुसार मैसर्स भाटिया एंड भाटिया, सनदी लेखाकार, 12 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110001 को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कियागया था।

उक्त अधिनियम की धारा 224(8)(कक) के अंतर्गत यथापेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव विचार के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के संबंध में कंपनी के लेखों पर अनापत्तिपूर्ण रिपोर्ट दी है। इसलिए कंपनी की टिप्पणियां ''शून्य'' हैं।

श्री डी.वी. सिंह, नि.(तक.), टीएचडीसीआईएल तथा श्री ए.के. बिष्ट, मुख्य अभियंता, पी.डब्लयूडी. उत्तराखंड सरकार परामर्श कार्य के लिए एमओयू दस्तावेजों को आदान प्रदान करते हुए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा की समीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं। वार्षिक लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ''कोई टिप्पणियां नहीं'' की हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी

(कर्मचारियों के विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत आज की तारीख तक संशोधित कर्मचारियों, जो कि विनिर्दिष्ट पारिलब्धिंया से अधिक भत्ते ले रहे हैं, का विवरण **अनुलग्नक -III** के रूप में संलग्न है।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेष कर विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड सरकार तथा उनके विभिन्न विभागों खासकर निदेशक, टिहरी परियोजना पुनर्वास द्वारा प्रदान की गई सहायता और सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड महाराष्ट्र सरकार तथा न्यूकिल्यर पावर कारपोरेशन लि. से प्राप्त सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक इस अवसर पर सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष, प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समय पर सहायता और संरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को उनके द्वारा कंपनी में दिखाए गए निरंतर आस्था एवं विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, कंपनी द्वारा उन्नति और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अनथक प्रयासों और योगदान के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 25.09.2013

स्थान : नई दिल्ली

क. ऊर्जा संरक्षण

किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय	• संयंत्र क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली का विनियोजन। • आवासीय और कार्यालय परिसर की ऊर्जा लेखापरीक्षा मेसर्स पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के माध्यम से करवाई गई। ऊर्जा लेखापरीक्षकों की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। • हमारे कारपोरेट भवनों में दिवस प्रकाश का अधिकाधिक उपयोग। • सभी नए भवन दिवस प्रकाश प्रावधान से सुसज्जित हैं।
ऊर्जा की खपत में कमी के लिए कार्यान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हों,	• परंपरागत स्ट्रीट लाइट्स फिक्सचर्स को ऊर्जा कुशल लाइट्स फिक्सचर्स से प्रतिस्थापित किए जाने की योजना है। • छत के पुराने पंखों को छत के फाइव स्टार रेटिंग वाले पंखों से प्रतिस्थापित किए जाने की योजना है। • ऋषिकेश परिसर में स्ट्रीट लाइट्स संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 100 किलोवॉट के सौर स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र की संस्थापना किए जाने की योजना है। • 05 मेगावाट क्षमता के सौर फार्म की स्थापना द्वारा सौर विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्ताव जिसे प्रारंभ में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) नीति के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। • मानव संसाधन विभाग परिसर में एक 100 किलोवॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र को संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। • भारतीय ऊर्जा संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा ठोस कचरा निपटान संयंत्र संस्थापित किए जाने की योजना है। • टाउनशिप, ऋषिकेश के लिए 500 केएलडी की क्षमता वाले सीवेज़ उपचार संयंत्रों की स्थापना की योजना है जो कि < 30 की बीओडी सीमा तक सीवेज़ जल का शोधन कर सकता है।
किए गए उपायों का प्रभाव	• कचरा प्रणाली से गैस का उत्पादन। इस प्रणाली का उपयोग टीएचडीसीआईएल कैंटीन में किया जा रहा है। • लगभग 7 से 8 किलोग्राम एलपीजी गैस की प्रतिदिन बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली से मीथेन गैस सीओ2 में परिवर्तित की जा रही है जो मीथेन से 21 गुना कम खतरनाक है। • इस संयंत्र की संस्थापना से ग्रीन हाउस उत्सर्जनों में कमी आई है। • एनपीसी द्वारा सिफारिश किए गए उपायों से अंततः 723.256 एमडब्ल्यूएच की ऊर्जा बचेगी जिसके कार्यान्वित होने पर प्रतिवर्ष 1091.27 लाख रुपए की बचत होगी। • पारम्परिक स्ट्रीट लाइट्स फिक्चर्स को ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्थाओं से योजनाबद्ध प्रतिस्थापित करने से प्रतिवर्ष लगभग 70993 यूनिट ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है। • छत के पुराने पंखों को नए फाइव स्टार रेटिंग वाले पंखों से योजनाबद्ध प्रतिस्थापित किए जाने पर ऊर्जा की खपत में प्रतिवर्ष लगभग 16032 यूनिट की कमी आने की संभावना है। • 100 किलोवॉट के सौर स्टैंडएलोन विद्युत संयंत्र की योजनाबद्ध संस्थापना से प्रतिवर्ष लगभग 1,63,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा जिससे कि वर्ष 2012–13 में ऊर्जा की खपत की तुलना में लगभग 5.65 प्रतिशत की समग्र ऊर्जा खपत की कमी आएगी।
ऊर्जा दक्ष उपाय	• 378 एयरकंडीशनरों में से 250 नॉन–स्टार रेटिंग वाले एयरकंडीशनरों को स्टार रेटिंग एयरकंडीशनरों से प्रतिस्थापित किया गया है। • कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैपों का उपयोग। • सभी हॉस्टलों और अतिथि गृहों में सौर वाटर हीटर संस्थापित किए गए हैं। • ऊर्जा संरक्षण के लिए सौर स्ट्रीट लाइट और सौर बाड़ का प्रावधान है। • कचरा प्रणाली को 500 किलोग्राम जैविक कचरे के लिए डिजाइन किया गया है।

ख. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1.	निर्यातों से संबंधित कार्यकलापः निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों एवं सेवाओं के लिए नये निर्यात बाजारों का विकास, और निर्यात योजनाएं।	लागू नहीं
2.	कुल विदेशी मुद्रा अर्जन	शून्य
	कुल विदेशी मुद्रा व्यय	शून्य

वित्तीय विशेषताएं

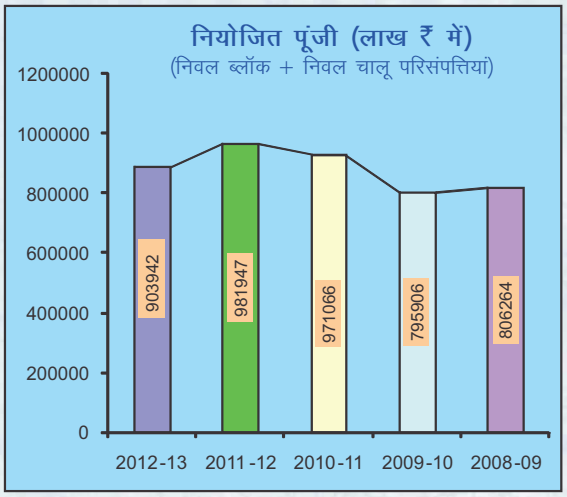
नियोजित पूंजी (लाख ₹ में)
(निवल ब्लॉक + निवल चालू परिसंपत्तियां)
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
903942
981947
971066
795906
806264
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

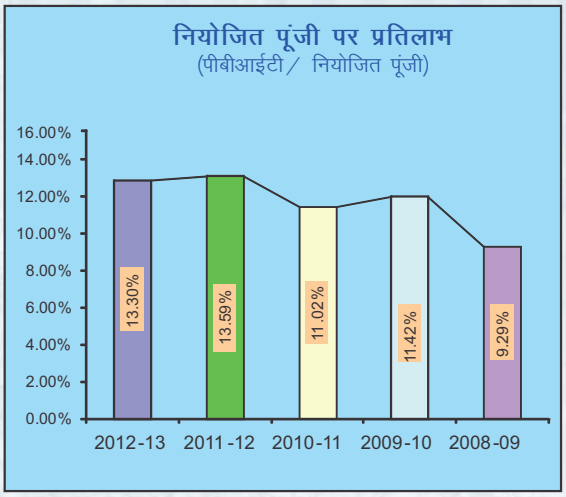
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ
(पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी)
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
13.30%
13.59%
11.02%
11.42%
9.29%
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

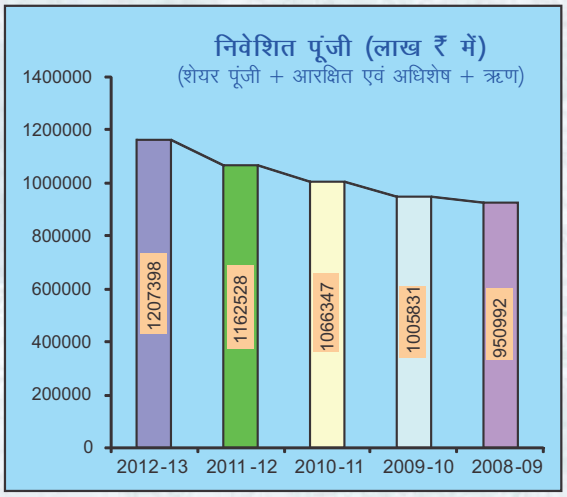
निवेशित पूंजी (लाख ₹ में)
(शेयर पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष + ऋण)
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1207398
1162528
1066347
1005831
950992
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

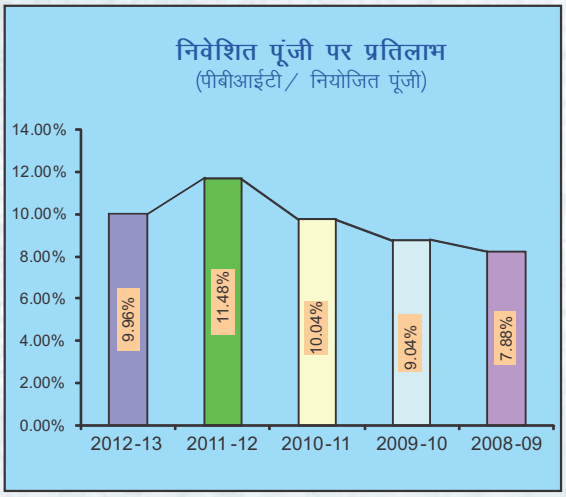
निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ
(पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी)
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
9.96%
11.48%
10.04%
9.04%
7.88%
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

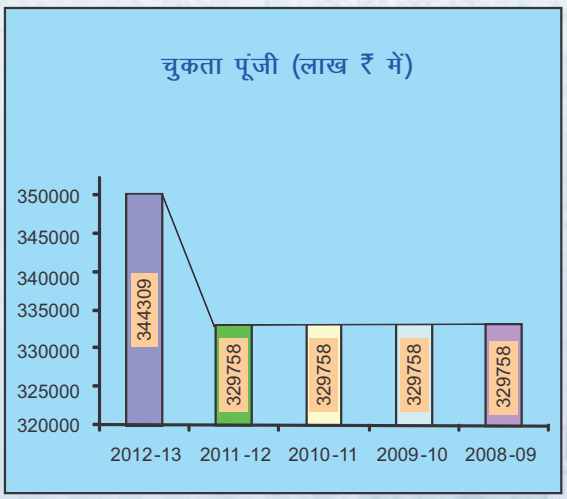
चुकता पूंजी (लाख ₹ में)
350000
345000
340000
335000
330000
325000
320000
344309
329758
329758
329758
329758
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

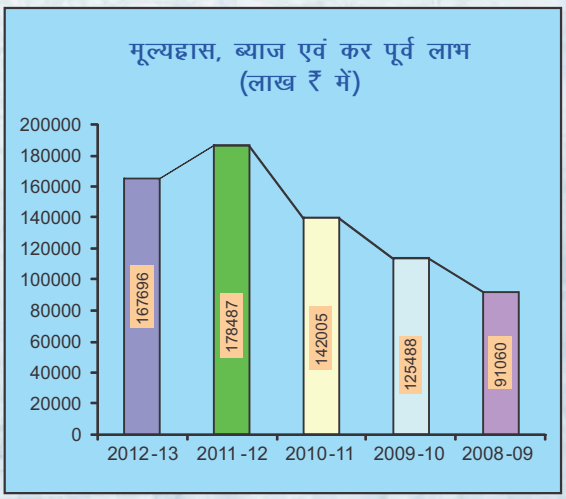
मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ
(लाख ₹ में)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
167696
178487
142005
125488
91060
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

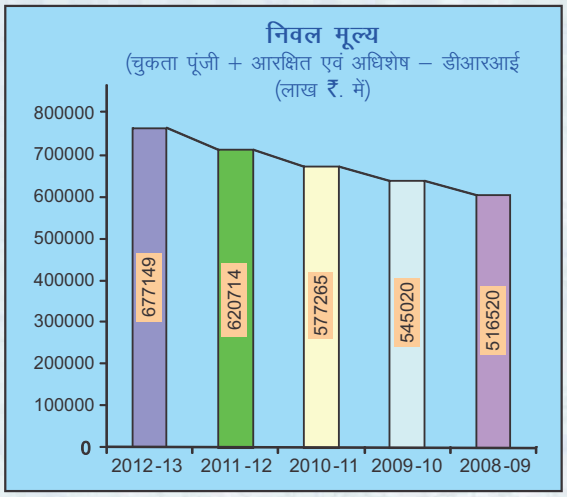
निवल मूल्य
(चुकता पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष – डीआरआई
(लाख ₹. में)
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
677149
620714
577265
545020
516520
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

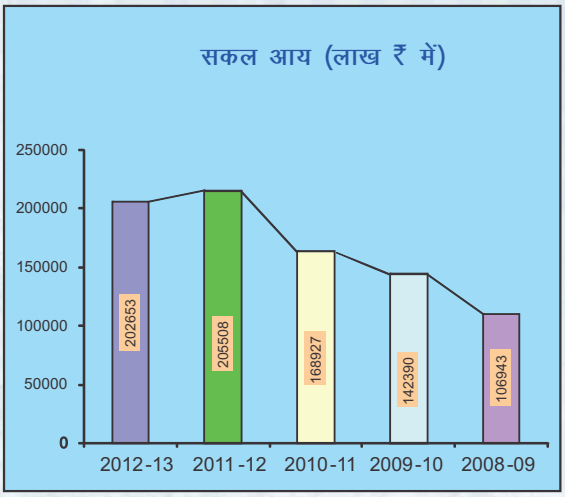
सकल आय (लाख ₹ में)
250000
200000
150000
100000
50000
0
202653
205508
168927
142390
106943
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

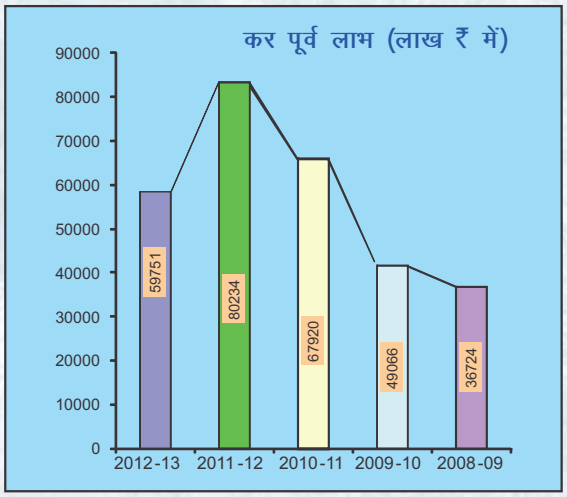
कर पूर्व लाभ (लाख ₹ में)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
59751
80234
67920
49066
36724
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

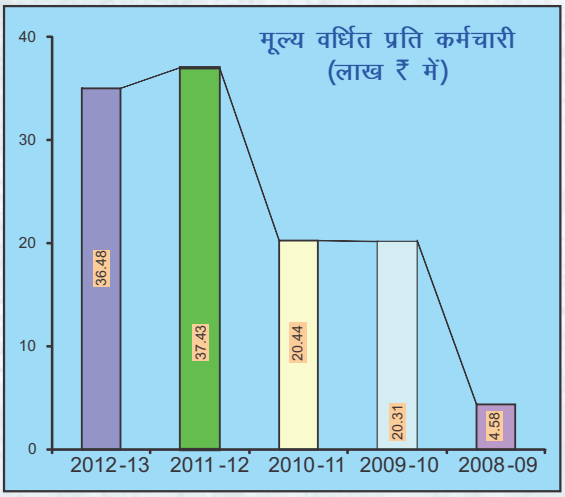
मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी
(लाख ₹ में)
40
30
20
10
0
36.48
37.43
20.44
20.31
4.58
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

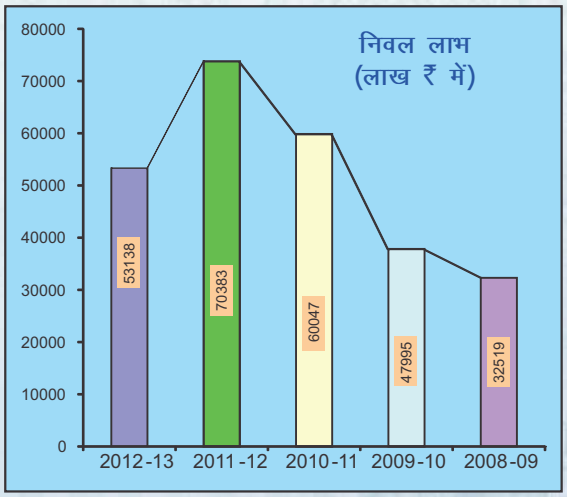
निवल लाभ
(लाख ₹ में)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
53138
70383
60047
47995
32519
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

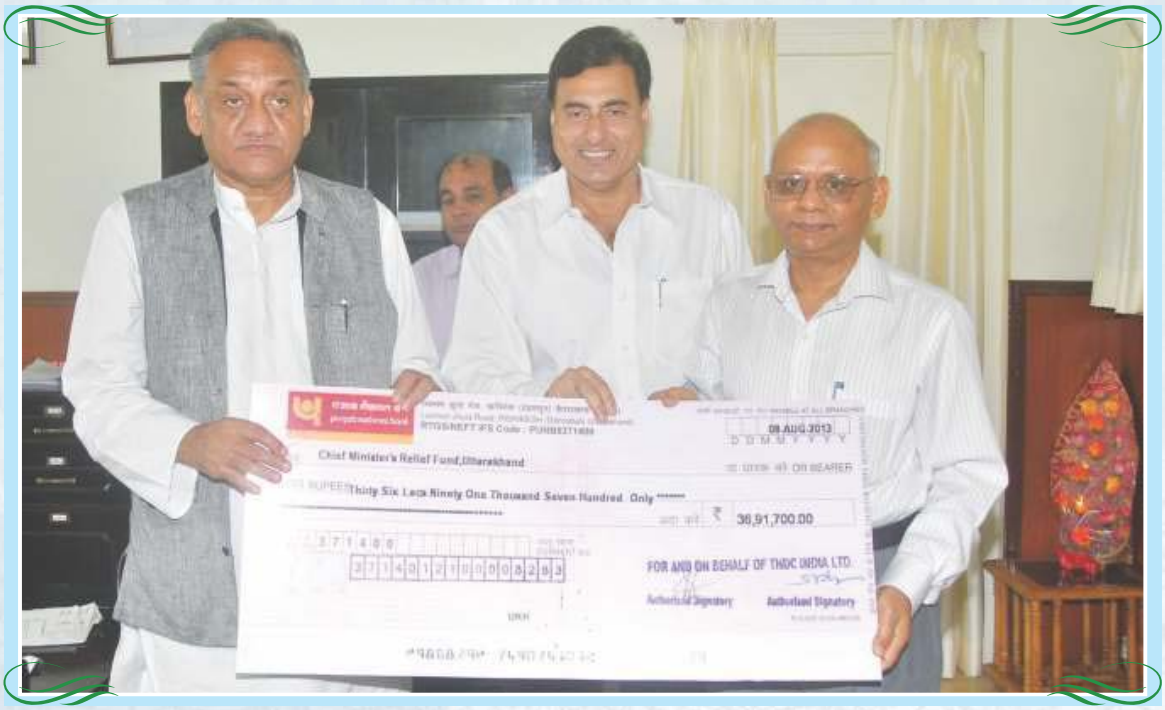

श्री आर.एस.टी. शाई, अ. एवं प्र. नि. (दाए) श्री डी.वी. सिंह, नि.(तक.) के साथ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष हेतु
श्री विजय बहुगुणा, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड को चेक भेंट करते हुए

आपकी कंपनी के विजन कथन में मानवीय दृष्टि से ''पर्यावरण, पारस्थितिकी और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता'' शामिल है। कंपनी सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों पर विचार करते हुए सतत्ता आधार पर ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच (पीपुल, प्लेनेट एवं प्रॉफिट) के अंतर्गत अपना व्यापार करती है। कंपनी सतत और कुशल ढंग से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीएस) और कुल मिलाकर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए सही माएने में प्रतिबद्ध है। टिहरी बांध परियोजना के लिए एक अत्यंत उदार दृष्टिकोण वाली पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को विकसित और कार्यान्वित किया गया था।

ऋषिकेश में 'कुष्ठ आश्रम' के लिए घरेलू सामग्री का वितरण

कंपनी ने वर्ष 2007 से अपने प्रचालनात्मक लाभों में से सीएसआर एवं समुदाय विकास संबंधी क्रियाकलाप करने प्रारंभ कर दिए हैं। यह स्कीम प्रचालनात्मक विद्युत उत्पादन केंद्रों के आसपास के ऐसे क्षेत्र, जहां निर्माण पूरा हो चुका है तथा कंपनी के व्यावसायिक हितों वाले अन्य विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में ''सामाजिक विकास'' के मुद्दे का समाधान करती है।

नवीन सीएसआर एवं सततता संबंधी नीति –2013

कंपनी ने बोर्ड के विधिवत अनुमोदन से डीपीई दिशानिर्देशों की तर्ज पर एक नई सीएसआर एवं सतत्ता संबंधी नीति–2013 तैयार की है। यह नई नीति 01.04.2013 से प्रभावी होगी। इस नई नीति में पहले की दो नीतियों अर्थात सीएसआर – सीडी स्कीम –2010 और सतत विकास नीति –2012 का विलय किया गया है। नई नीति के अनुसार सीएसआर क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसी) और बोर्ड से निम्नस्तरीय समिति (बीबीएलसी) का गठन किया गया है।

उत्तराखंड आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर

सी एस आर पहल की आयोजना

टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर और सततता संबंधी योजनाओं और रणनीति को अपनी व्यापारिक योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत करती है।

- आसान कार्यान्वयन के लिए सीएसआर और सततता योजनाओं को निम्न में वर्गीकृत किया गया है:
  - दीर्घकालिक
  - मध्यमकालिक
  - अल्पकालिक
- कंपनी सीएसआर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए ऐसे स्टेकहोल्डर्स को प्राथमिकता प्रदान करती है जो कि इसके प्रचालनों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं।
- कंपनी सीएसआर और सततता विकास परियोजनाओं को अपने वाणिज्यिक प्रचालनों की परिधि में कार्यान्वित कर रही है और इन्हें ऐसे व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित करती है जहां कंपनी का व्यापारिक प्रचालन विस्तारित होता है।
- स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त टीएचडीसीआईएल लंबी परिपक्वता अवधि, उच्च प्रभाव वाली ऐसी परियोजनाओं को प्रारंभ करेगा जिनके कार्यान्वयन की अवधि अनेक वर्षों तक विस्तारित हो सकती है।

कंपनी की नई सीएसआर नीति का उद्देश्य है :

- संगठनात्मक सत्यनिष्ठा और नीतिपरक व्यापारिक संव्यवहारों को बढ़ावा देना।
- प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया–विधियों में पारदर्शिता लाना।
- ऐसी हरित प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और मानकों को बढ़ावा देना जो कि सामाजिक और पर्यावरणीय सततता में योगदान करती हों।
- समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास को बढ़ावा देना।
- कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा, व्यावसायिक संपन्नता और कार्य करने की स्वास्थ्योन्मुखी परिस्थितियों संबंधी चिंताओं पर ध्यान देकर

सरकारी इंटर कालेज, भानियावाला, देहरादून के लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा प्रदत्त फर्नीचर

कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना।

कंपनी में सीएसआर हेतु प्रमुख क्षेत्र

टीएचडीसीआईएल ने नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर पहल शुरू की हैं :

- शैक्षणिक विकास;
- स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा देखभाल;
- पर्यावरण प्रबंधन;
- आय उत्पादन;
- महिला सशक्तिकरण;
- अवसंरचनात्मक विकास;
- कल्याण गतिविधियां इत्यादि।

संस्थागत एवं वित्तीय तंत्र

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के लिए सीएसआर और सततता बजट के लिए कर पूर्व निवल लाभ (पीबीटी) का 2 प्रतिशत निर्धारित किया है। सीएसआर एवं सततता बजट आबंटित किया जा रहा है तथा सीएसआर स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए इसे अव्यपगत सीएसआर निधि के रूप में अलग रख दिया जाता है। सीएसआर स्कीमों का कार्यान्वयन मुख्यतः कंपनी प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों (सीओएनजीओएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है : जो कि ''सेवा टीएचडीसी'' और ''टीएचडीसी एजूकेशन सोसायटी'' (टीईएस) के रूप में पंजीकृत हैं। मार्च, 2013 में वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक सीएसआर बजट को प्रचालनात्मक व्यापारिक स्थलों और विस्तृत व्यापारिक क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित टीएचडीसीआईएल सीएसआर – सीडी स्कीम –2010 के अनुसार उपयोग में लाया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से सीएसआर बजट बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और सततता संबंधी नई नीति के अनुसार आबंटित किया जाएगा।

सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल व्यय नीचे दिए गए अनुसार 1984 लाख रुपए था :

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए सीएसआर व्यय के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	मार्च, 2013 तक अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल व्यय (लाख ₹ में)
क.	**सेवा – टीएचडीसी**		
1	शैक्षणिक विकास	12	25.38
2	पर्यावरण प्रबंधन	05	10.89
3	स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा देखभाल	18	25.41
4	आय उत्पादन एवं महिला सशक्तिकरण	54	90.65
5	अवसंरचनात्मक विकास	14	125.04
6	कल्याण गतिविधियां	22	33.54
7	विविध एवं प्रशासनिक व्यय	14	23.78
	कुल	**139**	**334.69**
ख.	टीएचडीसी एजूकेशन सोसायटी (टीईएस)		**290.00**
ग.	टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण		**1359.31**
	कुल सीएसआर व्यय		**1984.00**

सीएसआर कार्यान्वयन तंत्र एवं निगरानी

अपनी सीएसआर और सततता संबंधी नीतियों का कार्यान्वयन करने के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, सेवा प्रदाता, ग्राहक और भागीदार भी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता के उन्हीं सिद्धांतों और मानकों के लिए प्रतिबद्ध हों जिनके लिए कंपनी प्रतिबद्ध है, कंपनी को अपनी पहुंच

सेवा–टीएचडीसी तथा एच. एन. बी. विश्वविद्यालय, गढ़वाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पौधरोपण

सेवा–टीएचडीसी द्वारा विकसित आईआईटी कैम्पस, रुड़की में मूक एवं बधिर विद्यालय हेतु भवन

और निरीक्षण को समग्र आपूर्ति चेन नेटवर्क तक विस्तारित करना होगा। उन्हें आपूर्ति चेन की ''ग्रीनिंग'' पर लक्षित उपाय प्रारंभ करने और कार्यान्वित करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

➢ सीएसआर पर प्रकिया–विधि पुस्तिका

सीएसआर और सततता गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर एवं सततता संबंधी नीति के फ्रेमवर्क के भीतर सीएसआर संबंधी एक पुस्तिका तैयार की गई है। पुस्तिका में सीएसआर बजट तैयार करने, अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं संबंधी व्यय का लेखाकरण, सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी आवधिक रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण, निष्पादित परियोजनाओं पर प्रलेखीकरण के विषय में अनुसरित की जाने वाली कार्यविधियों/प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है। इससे सीएसआर स्कीमों का पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

➢ निधि का अनुमोदन, आबंटन और उपयोग

प्रत्येक परियोजना/इकाई की सीएसआर गतिविधियों के लिए इकाई के प्रमुख द्वारा विधिवत अनुमोदित बजट प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए कारपोरेट कार्यालय के एस एवं ई ग्रुप के प्रमुख के पास भेजा जाता है। इन प्रस्तावों पर महाप्रबंधक (सीएसआर एवं सततता) की अध्यक्षता वाली सीएसआर, तकनीकी और वित्त के प्रतिनिधि से बनी बोर्ड से निम्न स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाता है। परियोजना/इकाई से प्राप्त प्रस्तावों को आवश्यकता के आंकलन तथा अन्य संबंधित जानकारी को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड से निम्नस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए सेवा–टीएचडीसी/टीईएस को सौंपा जाता है। नई नीति के अनुसार वर्ष 2013–14 से बोर्ड से निम्न स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक योजना/बजट पर बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

➢ सीएसआर परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

कार्यान्वयन एजेंसियों सेवा और टीईएस के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकारों द्वारा संबंधित सोसाइटियों के उप–नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से की जाती है। प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात लेखों को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा जाता है। लेखा परीक्षित लेखों को रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज के समक्ष दर्ज कराया जाता है तथा आयकर विवरणियां भरी जाती हैं।

सेवा और टीईएस के अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा सहित अग्रिम लेखा के अंतिम समायोजन के लिए टीएचडीसी के लेखा विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी एक प्रति आम जनता के उन्मुक्त अवलोकन के लिए टीएचडीसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।

नई टिहरी में डॉ. अम्बेडकर अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास की इमारत

टिहरी बांध जलाशय के समीप गांव में जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संग्रहण टैंक

निगरानी, नियंत्रण तथा प्रभाव आंकलन

• निगरानी तंत्र

कार्यक्रमों/गतिविधियों की आवधिक रूप से निगरानी करने का उत्तरदायित्व कारपोरेट सीएसआर और सततता विभाग का है जो कि यह कार्य अभिज्ञात प्रमुख निष्पादन सूचकों की सहायता से करता है, इस अवधि का निर्धारण मुख्यतः निष्पादन सूचकों के स्वरूप और परियोजना चक्र द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से निगरानी का कार्य सतत फीडबैक तंत्र के साथ परियोजना मोड में किया जाता है और जब कभी भी आवश्यकता हो, बीच में कार्यान्वयन में संशोधन हमेशा किया जाता है।

प्रचालनात्मक व्यावसायिक स्थलों के प्रमुख मासिक आधार पर संबंधित सीएसआर और सततता कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा संकलन के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट कारपोरेट सीएसआर एवं सततता विभाग को प्रस्तुत करने के उत्तरदायी हैं। अंत में प्रगति रिपोर्टों को प्रगति की समीक्षा के लिए सीएसआर और सततता के प्रभारी निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है तथा इन्हें बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजना के अनुमोदन/स्वीकृति के पश्चात निगरानी और नियंत्रण के प्रयोजन से एक विशिष्ट परियोजना कोड, तत्पश्चात गतिविधि कोड और इकाई कोड को नामोद्दिष्ट किया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक इकाई प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने संबंधी समय–सीमा परियोजना प्रमुख के परामर्श से एस एंड ई ग्रुप के प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रभाव आंकलन

किसी भी सीएसआर एवं सततता गतिविधि/परियोजना की सफलता की अंतिम जांच इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव से होती है। ऐसी सभी गतिविधियों को समाज अथवा पर्यावरण पर कुछ प्रत्याशित प्रभावों सहित नियोजित और कार्यान्वित किया जाता है। आंकड़ों की सार्थक तुलना के लिए गतिविधि को प्रारंभ करने से पहले एक सुप्रमाणित तथा विस्तृत बेसलाइन सर्वेक्षण अथवा आवश्यकता आंकलन अध्ययन किया जाता है।

बोर्ड स्तरीय उप–समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात सीएसआर एवं सततता संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन संबंधी त्रैमासिक जानकारी को टीएचडीआईएल बोर्ड के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सीएसआर गतिविधियों पर जानकारी भी समय–समय पर विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की जाती है।

दीर्घकालीन रूप से सतत आजीविका को बढ़ावा देने वाली सभी परियोजनाओं तथा 5.0 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन एक स्वतंत्र वाह्य एजेंसी अभिकरण द्वारा करवाया जाता है और मूल्यांकन रिपोर्ट को डोजियर में शामिल किया जाता है।

पौधरोपण कार्य के द्वारा पर्यावरण संरक्षण

सेवा – टीएचडीसी के माध्यम से वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को योगदान

टीएचडीसीआईएल द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान प्रारंभ की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियों को नीचे दिए गए अनुसार सारबद्ध किया गया है :

क. शैक्षणिक विकास

- जायस, जिला–रायबरेली (उत्तर प्रदेश) तथा छेपारधार, जिला–टिहरी (उत्तराखंड) में अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर वर्गों के 80 बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए 06 माह की अवधि के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छेपारधार में दिसम्बर, 2012 से 40 विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उनके कम्प्यूटर संबंधी कौशलों का उन्नयन करना था ताकि वे अपने आपको रोजगारपरक बना सकें।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटरों, पुस्तकों, ऊनी कपड़ों और आवश्यक शैक्षिक सामग्रियों का वितरण।

ख. पर्यावरणीय पहल

पर्यावरणीय पहल के अंतर्गत शुरू किए गए कुछ क्रियाकलाप हैं :

- परियोजना प्रभावित क्षेत्र, पुनर्वास क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में आंवला के 22,000 पौधों का रोपण।

दीनगांव, टिहरी गढ़वाल में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

- टिहरी जलाशय के परिधि क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के 10,000 पौधों का रोपण। इसके लिए गड्ढे खोदने का कार्य मनरेगा स्कीम के अंतर्गत किया गया है।
- पर्यावरण के प्रति बच्चों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए टीईएस स्कूल, ऋषिकेश में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया।

ग. स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा देखरेख

- गलिया खेत और धोंत्री में 2 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
- योग्य एलोपैथिक डाक्टरों के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन किया गया और निःशुल्क चिकित्सीय सचल सेवा उपलब्ध करवाई गई।
- वर्ष के दौरान परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में 160 व्यक्तियों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया।
- एक बालिका को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए जिसने दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए थे।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए ऋषिकेश में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 20,000 व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया।

घ. आय और महिला सशक्तिकरण पहल

- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों/नगरों में सिलाई और बुनाई और उत्पादन केंद्रों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु छह महीने की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान कुल 20 प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय थे। इन कार्यक्रमों में गरीब, अल्पसंख्यक और अन्य दुर्बल वर्गों के परिवारों के लगभग 1250 बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ मिला। प्रशिक्षुओं ने 1500/–रुपए प्रतिमाह से लेकर 3,000/–रुपए प्रतिमाह तक की आय का अर्जन करना प्रारंभ कर दिया।
- एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ दीन गांव क्षेत्र में मसाला समूह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाएं हाथ से पीसे गए मसाले बाजार में आपूर्ति करने के लिए

जिला अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) में सेवा–टीएचडीसी महिला सशक्तिकरण केंद्र

उत्पादित करती है। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। हाथ से पीसे गए मसालों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

ड. अवसंरचनात्मक विकास

वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए अवसंरचनात्मक विकास संबंधी कुछ कार्य नीचे दिए गए अनुसार हैं :

➢ छात्रावास भवनों का निर्माण

- आई टी आई, चम्बा, जिला टिहरी गढ़वाल में लड़कों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।
- न्यू टिहरी टाउन, जिला टिहरी गढ़वाल में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण किया गया है।

➢ पेयजल योजना (पीने के पानी की योजना)

- परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासियों के लिए नंद गांव, जिला–टिहरी में जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण किया गया है।
- तमक गांव (भाग–2), जोशीमठ ब्लॉक, चमोली के लिए जल आपूर्ति स्कीम पूरी कर ली गई है।
- उत्थाड गांव, टिहरी के लिए जल आपूर्ति स्कीम का कार्य अवार्ड कर दिया गया है। यह कार्य खंड विकास अधिकारी जखानीधार, टिहरी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

➢ परियोजना क्षेत्रों के दूरस्थ गांवों में पैदल मार्ग

- चमोली जिले के झेलम और जुम्मा गांवों में पैदल मार्ग के निर्माण हेतु 2 कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
- पैनुला गांव, टिहरी गढ़वाल में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

➢ अतिरिक्त कक्षाओं हेतु कमरे

- टिहरी गढ़वाल जिले के बागासुधार, पाटागली, घेर नागुन, घोन नागुन गांवों में स्थित वर्तमान सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया।
- गेवाली और ताल मंडेर स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु दो कार्य खंड विकास अधिकारी, जखानीधार के माध्यम से निष्पादन के लिए अवार्ड किए गए।
- श्री राम किशन मिशन जूनियर हाई स्कूल, सितारजंग, जिला उधम सिंह नगर में 6 कमरों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इससे मुख्यतः समाज के सबसे निर्धन वर्गों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचेगा। अनुमानित व्यय 46.00 लाख रुपए है।

च. कल्याणकारी अन्य गतिविधियां

कल्याणकारी अन्य गतिविधियों में शामिल हैं :

परियोजना क्षेत्र टिहरी में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर

- वृद्ध व्यक्तियों की बेहतरी के लिए आशा किरण वृद्धावस्था विकलांग व्यक्ति आश्रम, नरेन्द्र नगर, टिहरी को वित्तीय सहायता।
- शीत ऋतु में विद्यार्थियों को ठंड से बचाने के लिए श्रीमद दयानंद आश्रम, ज्योतिमठ, गुरुकुल पोंढ़ा, देहरादून को रजाइयां और सूती गद्दे उपलब्ध करवाई गईं।
- गवर्नमेंट इंटर कालेज, अथूरवाला, पुनर्वास भानियावाला, देहरादून को फर्नीचर के 20 सेट उपलब्ध करवाए गए।
- चमोली के यात्रा मार्ग के लिए चमोली जिले के जिला प्रशासन को वाटर फिल्टर उपलब्ध करवाए गए। इन्हें अधिशासी अभियंता, जल निगम, चमोली के माध्यम से लगवाया गया।
- उत्तर प्रदेश में देशराज सेवा संस्थान, हरदोई के माध्यम से मैनपुरी के निर्धन ग्रामवासियों को कम्बल बंटवाए गए।
- प्राकृतिक आपदा राहत कार्य के लिए टिहरी और उत्तरकाशी के जिला प्रशासन को कम्बल, टेंट, सिलिंडर सहित गैस कटर सेट उपलब्ध करवाए गए।
- खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जिला फुटबाल एसोसिएशन, इंटर कराटे चैम्पियनशिप, जिला कबड्डी एसोसिएशन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

धान के उच्च उपज वाले बीजों के उत्पादन हेतु पहल

उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गांवों में वाणिज्यिक फलीय पौधों का संवर्धन

- बाढ़ राहत के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत टेंट, कम्बल तथा अन्य उपस्करों के रूप में सहायता उपलब्ध करवाई गई।

छ. दीर्घकालीन सतत सीएसआर कार्यक्रम

कंपनी टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में समग्रतावादी विकास के दीर्घकालीन संकल्पना पर कार्य कर रही है। इसमें सरकार के विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान संबंधी निकायों को सहयोजित किया गया है। प्रमुख कार्यक्रम नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(i) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के माध्यम से समग्रतावादी विकास कार्यक्रम

- सेवा–टीएचडीसी और भूगोल विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने दो वर्ष पूर्व **''एकीकृत विकास अप्रोच के माध्यम से टिहरी बांध जलाशय के परिधि क्षेत्र के ग्रामवासियों की आजीविका की सशक्तिकरण और संवर्धन''** पर संयुक्त रूप से एक परियोजना प्रारंभ की थी।

परियोजना के क्रियाकलापों का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से परिधि क्षेत्र के ग्रामवासियों की सतत आजीविका, महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण निर्धनों के आय में वृद्धि करना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना था।

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला टिहरी

टिहरी गढ़वाल में नकदी फसलों की खेती का संवर्धन

गढ़वाल में प्रताप नगर ब्लॉक के परिधि क्षेत्र के 30 गांवों को शामिल किया गया है और प्राकृतिक संसाधनों के पुनः सृजन और प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं में नीरसता और तनाव कम करने पर जोर दिया गया है।

- प्रताप नगर ब्लॉक में पहले से ही 40 से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजीएस) का गठन किया जा चुका है और इनमें से प्रत्येक समूह में कम से कम 10 महिलाएं हैं। ग्रामवासियों के लिए आजीविका संबंधी विभिन्न गतिविधियां जैसे– बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि प्रारंभ किए गए हैं तथा मुख्य जोर आय के सतत स्रोत को विकसित करने पर है।
- पुरूष/महिला किसानों को उपलब्ध कराई गई चक्रीय निधि ने उनकी आजीविका तथा फसल उत्पादन बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कटाव को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए टिहरी जलाशय के पास दो जल धाराओं का सुधार 23.50 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

उपर्युक्त परियोजना पर किया गया कुल व्यय लगभग 47.00 लाख रुपए है।

(ii) पीडीएफएसआर, मोदीपुरम के माध्यम से आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम

- कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय (पीडीएफएसआर), मोदीपुरम, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत एक संस्था है, टिहरी जिले में कृषि प्रणाली अप्रोच के माध्यम से आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

दस (10) गांवों को समूहों में शामिल किया गया है जिनमें कोटेश्वर बांध क्षेत्र और कांडीसौर प्रत्येक में एक–एक गांव शामिल हैं। आवश्यकता आंकलन अध्ययनों के दौरान यह पाया गया कि दोनों ही समूहों में एक समान मुद्दे अर्थात फसलों/सब्जियों, कम फसल उत्पादन, पशुधन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि के लिए अद्यतन सूचना एवं तकनीक के अभाव शामिल थे।

- फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 200 किसानों को गेहूं के बीज की उन्नत किस्म (वीएलडब्ल्यू–89) उपलब्ध करवाई गई थी। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को कीट नाशक वितरित किए गए थे। ग्रामवासियों द्वारा गेहूं की फसल में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि की पुष्टि की गई। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों के बीच किचन गार्डेनिंग को बढ़ावा दिया गया।
- पशुपालन के क्षेत्र में किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक उपाय किए गए। यह हैं कीटनाशक, हीट इडंक्शन के लिए दवाइयां, चारे के पोषक तत्वों का विश्लेषण, वर्मी कम्पोस्टिंग तथा दूध देने वाले पशुओं के संतुलित पोषण के लिए खनिज मिश्रण।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मुर्गी पालन का संवर्धन

जल संरक्षण के लिए तालाब की खुदाई

वर्ष 2012–13 के दौरान किया गया कुल व्यय 17.00 लाख रुपए है।

(iii) किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से दीन गांव में पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन तथा सतत आजीविका और संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों की सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण पर कार्यक्रम।

किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से वर्ष 2011 में "**पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना तथा सतत आजीविका और संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों की सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण**" पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के प्रताप नगर ब्लॉक में उपली रमोली के नागुआरा वाटरशेड पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह टिहरी क्षेत्र के 10 दूरस्थ गांवों के ग्रामीण आधारित समग्रतावादी विकास संबंधी दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं। इस कार्य का मूल विचार उस क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के लिए कार्य किया जाना है।

दीन गांव केंद्र पर प्रारंभ किए गए प्रमुख क्रियाकलापों में शामिल हैं :

- फसल पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई केंद्र खोले गए।
- स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया।
- ग्राम्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों के बीच मॉडल के तौर पर इको हट्स बनाई गईं।
- ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। गांवों में नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
- प्रशिक्षण के लिए किसानों के दौरों का आयोजन किया गया।
- आगे के संपर्कों के रूप में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।
- समाज के कल्याण के लिए नियमित चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
- चारा और फल देने वाले पौधों का रोपण।
- शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बागवानी, संस्कृति, ऊर्जा इत्यादि के क्षेत्र में लगभग 25 से 30 तक बड़े और छोटे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
- इन क्षेत्रों में लगभग 10.00 लाख रुपए की लागत से 5 घराटों (पन चक्की) का उन्नयन।

परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं और हम स्थानीय जनता का आत्मविश्वास बनाने में सफल रहे हैं। आने वाले वर्षों में और

अपनी आय बढ़ाने के लिए कम आय वाले परिवारों को बकरियों का वितरण

माननीय कुलपति डॉ. डी.एस. चौहान, टीएचडीसी इन्स्टीटयूट ऑफ हाईड्रो पावर एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम, टिहरी में शिक्षकों एवं छात्रों को व्याख्यान देते हुए।

अधिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा तथा विभिन्न सरकारी स्कीमों से इन्हें जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसका उद्देश्य समाज द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओएस) के गठन के माध्यम से इनका उत्तरदायित्व स्वयं लिए जाने के लिए तैयार करना है।

वर्ष के दौरान 56.00 लाख रुपए का कुल व्यय हुआ। कुछ बची हुई गतिविधियां 2013 में पूरी की जाएंगी।

ज. उत्तर प्रदेश में दीर्घकालीन कृषि आधारित समग्रतावादी विकास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और सुल्तानपुर जिले के क्रमशः हजरतपुर और मझवारा गांवों में कृषि आधारित समग्रतावादी विकास कार्यक्रमों को एक प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन कार्यक्रमों को नीचे उल्लिखित बेस लाइन सर्वेक्षण तथा स्थानीय संभाव्यता के आंकलन के आधार पर डिजाइन किया गया था :

- अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को सरसों, लहसुन के अधिक पैदावार देने वाली किस्म (एच वाई वी) के बीज तथा केले के ऊतक निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए।
- मछलियों के विकास तथा आय के सृजन के लिए बाराबंकी और सुल्तानपुर में टीएचडीसीआईएल द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की सहायता से मत्स्यागारों को विकसित किया गया।
- कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार विभागों की सहायता से उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- व्यावसायिक फसलों वाली सब्जियों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ''बीजों की उन्नत किस्में'' उपलब्ध करवाई गई हैं।
- उत्तर प्रदेश के दो गांवों में बहुउद्देश्यीय उपयोगों के लिए 6 तालाबों का विकास और रखरखाव।

इन कार्यक्रमों ने ग्रामवासियों की आजीविका और रहन–सहन के स्तर में वृद्धि करने की दिशा में योगदान दिया है।

टीएचडीसी शिक्षा समिति विद्यालय की लड़कियों द्वारा नृत्य प्रस्तुति

टिहरी जिले के दीनगांव क्षेत्र में पुराने घराटों(पनचक्की) की बहाली

झ. टीएचडीसी एजूकेशन सोसायटी (टीईएस)

कंपनी टीएचडीसी एजूकेशन सोसायटी (टीईएस) के तत्वावधान में दो विद्यालय चला रही है जिसमें से एक भागीरथीपुरम, टिहरी में, जिसमें कि छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा दी जा रही है और दूसरा प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में, जिसमें कि पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक शिक्षा दी जा रही है। इन दोनों ही विद्यालयों में आसपास के क्षेत्रों के पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गई हैं। प्रभावी अधीक्षण एवं प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए दोनों ही विद्यालयों में सेना/केंद्रीय विद्यालय की पृष्ठभूमि वाले अनुभवी प्रधानाचार्यों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया है। समय–समय पर ग्रीष्मकालीन शिविर, साहसिक यात्रा दौरे इत्यादि क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय पर्वों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। टीईएस द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप टिहरी और ऋषिकेश स्थित दोनों ही विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अध्यापकों को समय–समय पर कौशल वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है।

वर्ष 2012–13 के लिए दोनों ही विद्यालयों का कुल व्यय लगभग 2.90 करोड़ रुपए था।

ञ. टीएचडीसीआईएल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड राज्य में टिहरी में इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना को प्रायोजित किया है। यह संस्थान प्रशासनिक खंड, अकादमिक खंड, प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप, पुस्तकालय, छात्रावासों, कैंटीन इत्यादि जैसी अत्याधुनिक मूलभूत सुविधाओं सहित 20 एकड़ से भी अधिक भूमि में फैला हुआ है। पांच विषयों अर्थात सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल्स, इलैक्ट्रोनिक्स तथा कम्यूनिकेशन और कम्प्यूटर साइंस में प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं चलाने के लिए अवसंरचनात्मक तथा फर्निशिंग संबंधी कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। तृतीय वर्ष की कक्षाओं को चलाने के लिए सुविधाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा शैक्षिक वर्ष 2013–14 के शुरू होने तक पूरा कर लिया जाएगा।

अवसंरचना संबंधी सभी सुविधाएं कंपनी द्वारा निर्मित की गई हैं तथा समझौता ज्ञापन की निबंधन और शर्तों के अनुसार चलाए जाने के लिए इसे उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है।

वर्ष 2012–13 के दौरान लगभग 14.50 करोड़ रुपए का कुल व्यय हुआ है। चतुर्थ वर्ष की कक्षाओं को चलाने के लिए संस्थान में आगे की सुविधाएं चरणबद्ध ढंग से निर्मित की जाएंगी।

ट. नवीनतम घटनाक्रम

सीएसआर और सततता संबंधी टीएचडीसीआईएल नीति – 2013

- सीएसआर और सततता–2013 पर टीएचडीसीआईएल की नई नीति डीपीई के नये दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर एवं सततता संबंधी गतिविधियों को जोड़ते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और यह 01.04.2013 से प्रभावी है।
- प्रत्येक वर्ष कंपनी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार

टिहरी जिले के दीनगांव क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण

पिछले वर्ष में कर–पश्चात लाभ(पीएटी)	सीएसआर और सततता संबंधी गतिविधियों के लिए बजटीय आबंटन की सीमा (पिछले वर्ष में पीएटी के % के रूप में)
(i) 100 करोड़ रुपए से कम	3%-5%
(ii) 100 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक	2%-3%
(iii) 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक	1%-2%

वर्ष के लिए सीएसआर और सततता गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए अव्यपगत बजट आबंटित करेगी :

आम तौर पर टीएचडीसीआईएल द्वारा सीएसआर और सततता संबंधी गतिविधियों के लिए बजट के आबंटन को ऊपर विनिर्दिष्ट की गई सीमा में ऊपरी सीमा पर बनाए रखा जाएगा।

- सीएसआर और सततता संबंधी गतिविधियों के लिए निर्धारित वार्षिक बजट का कम से कम 80 प्रतिशत भाग परियोजना मोड में गतिविधियों के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

बोर्ड स्तरीय समिति

- टीएचडीसीआईएल ने सीएसआर तथा सततता संबंधी योजना को अनुमोदित करने तथा सीएसआर और सततता संबंधी कार्यनिष्पादन का निरीक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर एवं सततता संबंधी एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया है।

महाप्रबंधक, सीएसआर एवं सततता नोडल अधिकारी होने के नाते इस समिति के स्थायी विशेष आमंत्रिती होंगे।

बोर्ड से निम्न–स्तरीय समिति

- बोर्ड से निम्न–स्तरीय समिति के अध्यक्ष, मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) होंगे तथा इसके सदस्य विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों/इकाइयों अर्थात एस एंड ई विभाग, एसडी विभाग, वित्त, सेवा/टीईएस इत्यादि से लिए जाएंगे। बोर्ड से निम्न–स्तरीय समिति को स्वतंत्र एवं व्यावसायिक बनाने के लिए इसमें संगठन से बाहर के सीएसआर/सततता विकास के क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी नामित किया गया है।
- सीएसआर एवं सततता संबंधी योजना को बोर्ड से निम्न–स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/विभागों, स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जाएगा जिसको कि सीएसआर एवं सततता की बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- टीएचडीसीआईएल देश के किसी भी एक पिछड़े जिले के विकास के लिए कम से कम एक परियोजना तथा पर्यावरणीय सततता संबंधी कम से कम एक परियोजना को प्रारंभ करेगी।
- टीएचडीसीआईएल ऐसे स्टेकहोल्डरों को प्राथमिकता प्रदान करेगा जो कि इसके प्रचालनों और क्रियाकलापों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हों तथा प्राथमिकता के आधार पर अपने वाणिज्यिक प्रचालनों की परिधि में सीएसआर और सततता संबंधी परियोजनाएं प्रारंभ करेगा। तथापि, टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर एवं सततता संबंधी परियोजनाओं को देश के किसी भी अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र (बीआरजीएफ) में अवस्थित कर सकती है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आपके समक्ष कंपनी की कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कंपनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी किए गए दिशा–निर्देश आपकी कंपनी पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 और डीपीई दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन के अच्छे संव्यवहारों को अपनाने के लिए प्रयासरत और महात्वाकांक्षी रही है। आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी किए गए कारपोरेट सुशासन संबंधी सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। वर्ष 2011–12 के लिए कारपोरेट सुशासन विषयक दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी को डीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की गई है। डीपीई द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रेडिंग रिपोर्टों के आधार पर कंपनी को वर्ष 2012–13 के लिए भी इसी प्रकार की आशा है।

1. कंपनी की कारपोरेट सुशासन विचारधारा

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मानकों पर आधारित है :

- पारदर्शिता और निष्पक्षता।
- समयबद्ध और संतुलित प्रकटन।
- मूल्य योजन के लिए बोर्ड की भूमिका और उत्तरदायित्व।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा।
- नीतिपरक और उत्तरदायी निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरण के प्रति दायित्व।
- स्टेकहोल्डरों के अधिकार और हित।
- अनुपालन।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाएं और बजट, आंतरिक नियंत्रण और रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्ण प्रकटन पर जोर देने सहित संप्रेषण, सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की ओर से इक्विटी शेयरधारिता 75 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से इक्विटी शेयरधारिता 25 प्रतिशत है। इस कंपनी के कारोबार की देख–रेख निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर निदेशकों की संख्या का निर्धारण करते हैं जो कि सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.2 बोर्ड की संरचना

इस समय बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में आठ निदेशक शामिल हैं जिनमें अध्यक्ष सहित चार प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल हैं, एक निदेशक सरकार द्वारा नामित है तथा तीन निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं। निदेशक बोर्ड को व्यापक रूप से अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु–सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक अन्य निदेशक कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक पदेन क्षमता में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहे हैं तथा उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के अधिकारी पद से हटने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा आम तौर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

2.4 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

बोर्ड की बैठकें, बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपयुक्त रूप से अग्रिम सूचना देते हुए बुलाई जाती हैं। बैठकों में सार्थक, सूचनापरक और लक्षित निर्णयों को सुकर बनाने के लिए विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्टों और

अन्य स्पष्टकारी विवरणों को अग्रिम रूप से, सामान्यतः 7 दिन पहले परिचालित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 5 बैठकें आयोजित की गई थीं। बैठक की तारीख, बोर्ड की सदस्य संख्या तथा उपस्थित निदेशकों की संख्या के ब्यौरे **तालिका–1** में दिए गए हैं :

तालिका–1 : वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

क्र.स.	बोर्ड की बैठकों की तारीख	बोर्ड की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	31 मई, 2012	8	6
2.	30 अगस्त, 2012	8	7
3.	27 सितम्बर, 2012	8	7
4.	30 नवम्बर, 2012	8	7
5.	28 फरवरी, 2013	8	7

वर्ष 2012–13 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड की बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्यत्र निदेशक / समिति सदस्यता के ब्यौरे **तालिका–2** में दिए गए हैं :

तालिका–2: निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति संबंधी स्थितियां

क्र. सं.	निदेशक	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रकार्यात्मक निदेशक					
1	श्री आर.एस.टी. शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	उपस्थित	1	–	1
2	श्री ए. एस. बिष्ट, निदेशक (कार्मिक) (31.10.2012 तक)	3	उपस्थित	शून्य	–	–
3	श्री एस. के. बिस्वास, निदेशक (कार्मिक) (01.11.2012 से)	2	लागू नहीं	शून्य	–	–
4	श्री सी. पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	5	उपस्थित	शून्य	–	–
5	श्री डी. वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी)	5	उपस्थित	शून्य	–	2
	सरकार द्वारा नामित निदेशक					
6	श्री जी. शाई प्रसाद, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	1	उपस्थित नहीं	4	–	1
	स्वतंत्र निदेशक					
7	श्री ओ. पी. गहरोत्रा, पूर्व अपर प्रमुख सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	5	लागू नहीं	8	–	–
8	श्री राजीब शेखर साहू, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट, भुवनेश्वर	4	लागू नहीं	3	–	–
9	प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रुड़की	4	लागू नहीं	शून्य	–	–

2.5 स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक एवं प्रकटन :

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय नहीं करता है। सरकार द्वारा पदेन क्षमता में नामित किए गए अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 20,000 रुपए प्रत्येक बैठक की दर से शुल्क दिया जाता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के संबंध में किए गए भुगतानों का ब्यौरा **तालिका–3** में दिया गया है :

तालिका 3 : स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतानों का ब्यौरा

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क (₹ में)			कुल (₹ में)
	बोर्ड की बैठक	लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	पारिश्रमिक समिति की बैठक	
प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना	80,000	1,40,000	40,000	2,60,000
श्री ओ. पी. गहरोत्रा	1,00,000	1,40,000	20,000	2,60,000
श्री राजीब शेखर साहू	80,000	1,60,000	40,000	2,80,000

2.6 बोर्ड की बैठक संबंधी प्रक्रिया–विधियां :

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया : कंपनी ने सभी कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण के दृष्टिकोण से निदेशक मंडल की बैठकों के लिए दिशा–निर्देशों का एक सेट निर्धारित किया है तथा सचिवालयीय मानकों का अनुसरण करती है। इन दिशा–निर्देशों से बोर्ड के बैठकों में सुविचारित और कुशल ढंग से निर्णय करने संबंधी प्रक्रिया को क्रमबद्ध किया जाता है।

(ख) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन :

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपयुक्त सूचना देते हुए बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती है। बैठक में साथक, सूचनापरक और लक्षित निर्णयों को सुकर बनाने के लिए विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्टों और अन्य स्पष्टकारी विवरणों को अग्रिम रूप से, सामान्यतः 7 दिन पहले, सदस्यों को परिचालित किया जाता है।
- जब कभी तात्कालिक मुद्दों का समाधान करने आवश्यकता होती है तो कम अवधि की सूचना पर बैठकें बुलाई जाती हैं अथवा परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जब कार्यसूची के साथ भारी भरकम दस्तावेजों को संलग्न कर पाना व्यवहार्य नहीं होता है तो ऐसे दस्तावेजों को बैठक में पटल पर रखा जाता है।
- कार्यसूची संबंधी दस्तावेजों को संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किया जाता है।
- सदस्यों को सुविचारित निर्णय लेने के लिए कार्यसूची संबंधी मामलों पर बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं।

बोर्ड के सदस्यों के पास बोर्ड की समस्त सूचनाएं होती है। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे, जिसे कि यह कार्यसूची में शामिल किए जाने के लिए महत्वपूर्ण समझे, की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है। बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श की जा रही मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक हो, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

बोर्ड/समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही संबंधी कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा ई–मेल द्वारा परिचालित किया जाता है तथा बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को 7 दिन

का समय देते हुए टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। उसके पश्चात निदेशकों के सुझाव/सलाह को शामिल करते हुए कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जाता है। अंतिम रूप दिए गए कार्यवृत्त को पुष्टि के लिए निदेशक मंडल की अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) अनुवर्तन तंत्र :

वित्तीय वर्ष 2012–13 से बोर्ड/समिति के सदस्यों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने की प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। यह बोर्ड से संबंधित मामलों के प्रभावी अनुवर्तन, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

(ड.) अनुपालन :

हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि कार्य–सूची टिप्पण को तैयार करते समय कानून, नियम और दिशा–निर्देशों संबंधी सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाए।

निम्नलिखित सूचना नियमित आधार पर बोर्ड को उपलब्ध करवाई जाती है :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य नवीनतम जानकारी
- पूंजीगत बजट तथा कोई अन्य नवीनतम जानकारी।
- प्रमुख संविदाओं के अवार्ड।
- गंभीर मुद्दों तथा प्रबंधन संबंधी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा।
- वार्षिक लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि।
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक के पद तथा समिति के पदों के संबंध में प्रकटन।
- कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम तथा नीति विषयक मामलों में संशोधन।
- विदेशी विनिमय प्रकटनों संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में पारिश्रमिक करार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम इत्यादि जैसी कोई उल्लेखनीय गतिविधि।
- पिछली बैठक से लेकर वर्तमान बैठक तक हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां।
- संयुक्त उद्यम तथा साझा करार।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन और स्थिति।
- दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों को लेना तथा अन्य वित्तपोषण मुद्दे।
- अंतरिम लाभांश का भुगतान, यदि हो तथा अंतिम लाभांश की घोषणा।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।
- मानव संसाधन विकास तथा औद्योगिकी विकास से संबंधित मुद्दे।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो, इत्यादि।

3. निदेशक मंडल की उप–समितियां :

इस समय कंपनी में बोर्ड की निम्नानुसार तीन उप–समितियां हैं :

(i) लेखापरीक्षा समिति।

(ii) पारिश्रमिक समिति।

(iii) सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति।

सभी स्वतंत्र निदेशक इन समितियों के लिए कार्य करते हैं और उनमें से एक बैठक की अध्यक्षता करता है।

कंपनी सचिव बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन, कोरम, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, 1956 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार होता है। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां और विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के उपबंध 4.2 और 4.3 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार हैं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कारपोरेट सुशासन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना **तालिका–4** में दी गई है :

तालिका 4 : लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	**प्रो. (डॉ.) एस.सी सक्सेना**	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2	**श्री ओ. पी. गहरोत्रा**	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3	**श्री राजीब शेखर साहू**	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

निदेशक (वित्त) तथा मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली तथा इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन की निगरानी करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, लेखापरीक्षा शुल्कों तथा अन्य सेवाओं संबंधी शुल्कों के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।
- निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना :

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामले;

(ख) लेखाकरण नीतियों और संव्यवहारों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया पर आधारित अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखाकरण प्रविष्टियां;

(घ) लेखापरीक्षकों के निष्कर्षों के बाद सामने आने वाले वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

(ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;

(च) किसी संबंधित पार्टी के लेन–देनों का प्रकटीकरण;

(छ) लेखापरीक्षा से संबंधित मामले जैसे कि :

- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख कार्मिक की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार–विमर्श करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी ऐसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा महत्वपूर्ण स्वरूप की किसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता का संदेह हो तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
- लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र पर विचार–विमर्श करना तथा चिंता के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए उनके साथ लेखापरीक्षा के पश्चात विचार–विमर्श करना।

(ज) शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) तथा ऋण लेने वालों को भुगतान किए जाने के मामले में हुई महत्वपूर्ण चूकों के संबंध में कारणों, यदि कोई हों, की जांच करना।

(झ) उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की पर्याप्तता तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और विश्वसनीयता।

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित की गईं बैठकों का ब्यौरा **तालिका 5** में दिया गया है :

तालिका 5 : वर्ष 2012–13 के दौरान आयोजित की गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का ब्यौरा

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	31 मई, 2012	3	2
2.	31 जुलाई, 2012	3	2
3.	29 अगस्त, 2012	3	3
4.	26 सितम्बर, 2012	3	3
5.	30 अक्तूबर, 2012	3	3
6.	30 नवम्बर, 2012	3	3
7.	18 दिसम्बर, 2012	3	3
8.	27 फरवरी, 2013	3	3

वर्ष 2012–13 के लिए सदस्यों द्वारा भाग ली गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का ब्यौरा **तालिका 6** में दिया गया है ।

तालिका 6 : सदस्यों द्वारा भाग ली गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का ब्यौरा :

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक	8	7
2.	श्री ओ. पी. गहरोत्रा, स्वतंत्र निदेशक	8	7
3.	श्री राजीब शेखर साहू, स्वतंत्र निदेशक	8	8

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने विशेष रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में विशिष्ट आमंत्रिती के रूप में भाग लिया। अनेक अन्य अधिकारियों तथा लेखापरीक्षकों को भी समय–समय पर लेखापरीक्षा समिति को सहायता देने के लिए बुलाया गया।

3.2 पारिश्रमिक समिति

डीपीई दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमाओं के भीतर वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल, और नीति पर विचार–विमर्श करने और निर्णय करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नीचे दिए गए अनुसार किया गया :

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम और उनके पद **तालिका 7** में दिए गए हैं :

तालिका 7 : पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम और उनकी श्रेणियां :

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	प्रो. (डॉ.) एस. सी सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2	श्री ओ. पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3	श्री राजीब शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.2.1 बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 31 जुलाई, 2012 और 27 फरवरी, 2013 को पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :

तालिका 8 : पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम और उनकी उपस्थिति :

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य		उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री ओ. पी. गहरोत्रा	सदस्य	2	1
3.	श्री राजीब शेखर साहू	सदस्य	2	2

निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक (वित्त) ने बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में भाग लिया।

3.3 सीएसआर एवं सततता विकास संबंधी समिति

कंपनी के सीएसआर क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने नई सीएसआर एवं सततता संबंधी नीति – 2013 के अनुसार बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति का गठन किया है।

3.3.1 संरचना

आज की स्थिति के अनुसार सीएसआर एवं सतत्ता संबंधी समिति की संरचना **तालिका 9** में दी गई है :

तालिका 9 : सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति के सदस्यों के नाम और उनकी श्रेणियां :

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2	श्री ओ. पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3	श्री राजीब शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
4	श्री डी. वी. सिंह	प्रकार्यात्मक निदेशक – सदस्य

महाप्रबंधक, सीएसआर एवं सततता नोडल अधिकारी होने के नाते इस समिति के स्थायी विशेष आमंत्रिती हैं। बोर्ड स्तरीय समिति को प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार और एक वर्ष में चार बैठकें होती हैं।

3.3.2 बैठकें और उपस्थिति

सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति की एक बैठक 31 मई, 2013 को आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्य निम्नानुसार हैं :

तालिका 10 : सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति :

क्र. सं.	सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति के सदस्य		उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1.	प्रो. (डॉ.) एस. सी. सक्सेना	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री ओ. पी. गहरोत्रा	सदस्य	1	1
3.	श्री राजीब शेखर साहू	सदस्य	1	0
4.	श्री डी. वी. सिंह	सदस्य	1	1

निदेशक (वित्त) ने बैठकों में विशिष्ट आमंत्रिती के रूप में भाग लिया।

सीएसआर एवं सततता संबंधी समिति के कार्य

बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं सततता विकास समिति, कंपनी के सीएसआर एवं सततता विकास संबंधी कार्यक्रम/गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी करती है, जिसमें कि निम्नलिखित शामिल हैं :

- सीएसआर एवं सततता संबंधी परियोजनाओं/गतिविधियों और वार्षिक योजना/बजट पर विचार–विमर्श।
- सीएसआर एवं सततता विकास संबंधी आवधिक प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार–विमर्श।
- सीएसआर–एसडीए गतिविधियों की निगरानी।
- सीएसआर एवं सततता संबंधी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर विचार–विमर्श।
- आवश्यक समझे गए कोई अन्य कार्य इत्यादि।

4. आम सभा बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों को आयोजित किए जाने की तारीख, समय और स्थान **तालिका 11** में दिये गये हैं।

तालिका 11 : पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	27 सितम्बर,2012 को आयोजित 24वीं वार्षिक आम सभा	26 सितम्बर,2011 को आयोजित 23वीं वार्षिक आम सभा	31 अगस्त,2010 को आयोजित 22वीं वार्षिक आम सभा
समय	सायं 6:00 बजे	सायं 5:30 बजे	सायं 5:00 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट सं. 20, सेक्टर सं. 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट सं. 20, सेक्टर सं. 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	भागीरथी भवन, भारती पुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल – 249001 (उत्तराखंड)
विशिष्ट संकल्प	शून्य	बोर्ड की उधार लेने संबंधी शक्ति को प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र आरक्षित से अधिक अनुमोदन करना।	• संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम में संशोधन • बोर्ड की उधार लेने संबंधी शक्ति को प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र आरक्षित से अधिक अनुमोदन करना।

5. प्रकटीकरण

5.1 संबंधित पार्टी लेन–देन :

कुल मिलाकर कंपनी के हित के प्रतिकूल संभावना वाले महत्वपूर्ण स्वरूप के कोई भी लेन–देन प्रायोजकों, निदेशकों अथवा प्रबंधक वर्ग के साथ नहीं किया गया। लेखाकरण मानक – 18 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के ब्यौरे लेखा संबंधी टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं।

6. सचेतक नीति

सचेतक नीति को कर्मचारियों के लिए अनीतिकर व्यवहार के बारे में सरोकारों, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कदाचार अथवा आचार नीति संबंधी कंपनी के सामान्य दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी प्रबंधन को देने के लिए एक तंत्र की स्थापना के रूप में अपनाया गया है। कर्मचारियों को उत्पीड़न के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय उपलब्ध कराए गए हैं और अपवादात्मक मामलों में सीधे लेखा–परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

- यह सद्भाव पूर्वक सचेत करने पर कर्मचारियों को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय उपलब्ध कराती है।
- जो कर्मचारी जानबूझकर झूठे आरोप लगाता है, उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सचेतक नीति की प्रति कंपनी की सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7. शिकायत निवारण तंत्र :

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र अपनाया है।

किसी शिकायत को किसी ऐसे असंतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिस पर कि कर्मचारी को संगठन में सुचारु रूप में कार्य करने के लिए कार्रवाई की जाने की आवश्यकता होती है। व्यापक तौर पर शिकायत को संगठन के किसी पहलू के साथ निराशा अथवा असंतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह वास्तविक अथवा काल्पनिक, यथार्थ अथवा उपहासात्मक, लिखित अथवा मौखिक हो सकती है, तथापि इसे किसी न किसी रूप में व्यक्त होना चाहिए।

8. जोखिम प्रबंधन :

कंपनी ने किसी व्यापारिक गतिविधि के व्यवस्थापन से जुड़े जोखिमों के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है जिसे कि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। यह सभी प्रकार के खतरों के परिणामस्वरूप सामने आने वाले जोखिम के प्रबंधन संबंधी एक संगठित अप्रोच है। जिसमें कि जोखिम की पहचान करने, जोखिम की मात्रा निर्धारण करने, जोखिम संबंधी प्रतिक्रिया का विकास और कार्यान्वयन/प्रबंधकीय संसाधनों का उपयोग करते हुए जोखिम के न्यूनीकरण सहित मानवीय गतिविधियों की श्रृंखला शामिल है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, मानव, संगठन और राजनीति से संबंधित विभिन्न जोखिमों को न्यूनतम करना है। जोखिम प्रबंधन कारपोरेट उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी योगदान करता है और कार्यात्मक प्रबंधन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों का अविभाज्य अंग होता है। जोखिम प्रबंधन में जोखिम विश्लेषण, जोखिम प्रतिक्रियाओं तथा जोखिम नियंत्रण संबंधी एक सुपरिभाषित प्रणाली शामिल होती है ताकि जोखिमों को स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सके।

9. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली :

टीएचडीसी ने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशा–निर्देशों की तर्ज पर निम्नलिखित उद्देश्यों सहित रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है :

- रिकार्डों के समुचित संरक्षण और भंडारण को सुकर बनाना।

- रिकार्डों को शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर सुकर बनाना।
- शुरुआती स्तर पर ही रिकार्डों की वृद्धि को नियंत्रित करना।
- समय से छंटाई किए जाने के लिए रिकार्डों की पहचान करना ताकि रिकार्डों के रखरखाव की लागत को इष्टतम किया जा सके।
- रिकार्डों को प्रतिधारित करने के लिए सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करना।
- कार्यालय स्थान के उपयोग को इष्टतम करना इत्यादि।

10. संचार के साधन – प्राधिकृत वेबसाइट

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम सभाओं और प्रकटनों के माध्यम से संप्रेषण करती है जो कि इसकी सरकारी वेबसाइट में भी दिए जाते हैं।

कंपनी के संबंध में जानकारी और नवीनतम घटनाक्रम तथा घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट : www.thdc.gov.in से भी देखी जा सकती हैं जिसमें कि निम्नलिखित शामिल हैं :

- कंपनी की प्रोफाइल।
- निदेशक मंडल तथा बोर्ड की उप–समितियां।
- संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- कंपनी का निष्पादन तथा वार्षिक रिपोर्टें।
- प्रमुख परियोजनाएं।
- कंपनी की विभिन्न नीतियां।
- आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना इत्यादि।

11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक :

आपकी कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत यह संसदीय नियंत्रण के अध्यधीन भी होती है। ऐसी सभी कंपनियों की लेखापरीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था है जहां सरकार की इक्विटी भागीदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है जो कि लेखापरीक्षकों को इस बात के निर्देश देता है कि उनके द्वारा लेखापरीक्षा किस प्रकार की जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास प्रारंभिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक कंपनी के लेखा की एक जांच लेखापरीक्षा आयोजित करते हैं तथा अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणामों की जानकारी संसद तथा राज्य विधानमंडल को देते हैं।

12. कारपोरेट आचार नीति

कंपनी के निदेशक मंडल ने कारपोरेट आचार नीति को कारपोरेट सुशासन पहल के एक हिस्से के रूप में अनुमोदित किया है। आचार नीति का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर निष्पक्ष व्यापारिक संव्यवहारों के अनुसार व्यवहार किया जाए। यह नीति ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो कि संगठन के लिए कार्य करते हैं, व्यापारिक नीति के सर्वोच्च मानक अपनाने में मार्गदर्शन करेगी तथा टीएचडीसीआईएल के अच्छे सुशासन की दिशा में योगदान करने तथा संभाव्यता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता संबंधी इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में इनका उत्तरदायित्व है।

आचार नीति कथन निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, प्रतिनियुक्ति/लियन पर आए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। बोर्ड के सदस्यों और निगम के उ.म.प्र. स्तर के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा व्यापारिक आचार–संहिता तथा नीति का अनुपालन किए जाने के संबंध में वार्षिक पुष्टिकरण लिया जाता है।

13. बोर्ड की आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए पृथक आचार–संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका लक्ष्य कंपनी के कार्यों के व्यवस्थापन में आचार नीति पारदर्शिता की प्रक्रियाओं को बढ़ाना है।

डीपीई दिशा–निर्देशों के उपबंध 3.4.2 के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा

"बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में आचार–संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है"।

(आर. एस. टी शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

14. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
प्रगतिपुरम बाईपास रोड,
ऋषिकेश –249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए दूरभाष संख्या और ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं :

कंपनी सचिव	श्री एस. क्यू. अहमद
कार्यालय संपर्क नम्बर	0135–2439309 फैक्स :0135–2439442
ई–मेल	thdccs@yahoo.co.in
जन शिकायत के लिए	श्री ए. सी. जोशी, अ.म.प्र. (का. एवं प्रशा.), निदेशक, जन शिकायत
संपर्क	0135.2437856, फैक्स नम्बर :0135–2430292
ई–मेल	acjoshi@thdc.gov.in

वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री आर.एस.टी.शाई ने 08.03.2007 को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य भार संभाला था। इससे पूर्व आप मई, 2005 से टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री शाई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। आपने आईआईएम, बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको बैंकिंग, वित्त, वाणिज्यिक, ईपीसी संविदा और संविदा प्रबंधन का 33 वर्ष का व्यापक अनुभव है। आपने आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट का पारदर्शी निविदा प्रलेखन विकसित किया है तथा दिल्ली मेट्रो में परियोजना के शीघ्र पूरा होने के संबंध में बोनस संबंधी अभिनव प्रकिया भी प्रारंभ की थी। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी में कार्यभार संभालने के पहले श्री शाई ने क्रमशः स्टेट बैंक आफ इंडिया, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इस समय वे यूजेवीएनएल में अशंकालिक निदेशक और आईआईटी, रुड़की के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं।

श्री डी.वी. सिंह ने 12.05.2010 को टीएचडीसी, इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके पहले आप मार्च, 2007 से टीएचडीसीआईएल में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे थे, जहां पर आपने परियोजना को ट्रैक पर लाने का कार्य किया। श्री सिंह ऑनर्स के साथ बी. एससी इंजीनियरिंग (सिविल) हैं। श्री सिंह ने जल विद्युत क्षेत्र तथा कार्बन गैस के उत्सर्जन के दृष्टिकोण को संवर्धित करने के लिए ''हाइड्रो–विज़न– 2008'' पर कैलिफोर्निया (यूएसए) में आयोजित सेमिनार तथा मास्को विश्वविद्यालय, मास्को, रूस के माध्यम से हाइड्रो प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित बांध तथा विद्युत गृह सिविल कार्यों की डिजाइन में एक विस्तृत प्रशिक्षण में भाग लिया। श्री सिंह के पास सिविल भवन निर्माण, पुनर्वास, भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह कार्यों, अनुबंध और प्रापण के क्षेत्र में 25 वर्ष का व्यापक अनुभव है। पिछले 18 वर्ष से आप टीएचडीसीआईएल में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। 250 मेगावाट की सभी चार इकाइयों के प्रारंभ होने के दौरान आप टिहरी विद्युत गृह के प्रभारी इंजीनियर थे। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभालने से पहले श्री सिंह ने एलएंडटी में कार्य किया है। इस समय वे नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम) तथा टीएचडीसी इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टिहरी के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं।

श्री एस.के. बिस्वास ने 01.11.2012 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्ष का व्यापक अनुभव है। श्री बिस्वास ने 01.11.2007 को महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) के रूप में टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभाला था। इससे पूर्व आपने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों (पीएसयूएस) अर्थात सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (सीसीआई), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विभिन्न पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। श्री बिस्वास साइंस स्ट्रीम में स्नातक हैं एवं एक्सआईएसएस से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर तथा हिमाचल विश्वविद्यालय से एलएल.बी. और इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा धारक हैं।

श्री श्रीधर पात्रा ने 02.08.2013 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला है। आपको सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) में 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री पात्रा उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य के स्नातक और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के सदस्य हैं। आपने विद्यासागर विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (मानव संसाधन विकास) किया है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने व्यावसायिक रोजगार के अतिरिक्त एक शिक्षाविद के रूप में योगदान किया है।

श्री जी. शाई प्रसाद, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को 16 दिसम्बर, 2011 से हमारे बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री प्रसाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के स्नातक एवं ड्यूक विश्वविद्यालय यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। श्री प्रसाद ने अपने कैरियर की शुरूआत 1991 से वारंगल में सहायक कलेक्टर के रूप में की और बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया जिनमें पाडेरू में सब–कलेक्टर, आईटीडीए के परियोजना निदेशक, म्यूनिसपिल कमिश्नर, गुंटूर, संयुक्त कलेक्टर, कडापा कुरनूल और चित्तूर में जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय में अपनी तैनाती से पूर्व आप एपी लिमिटेड की सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एपी लिमिटेड की ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इस समय आप एसजेवीएनएल, नीपको, एनएचपीसी, एचएचडीसी और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक और बीबीएमबी में सदस्य हैं।

प्रोफेसर एस. सी. सक्सेना को भारत सरकार द्वारा 17.11.2011 को 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. सक्सेना एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ई. इलैक्ट्रिकल (1970), आईआईटी, रुड़की (तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय) से एम.ई. इलैक्ट्रिकल (मीज. एंड इंस्ट्र.) (1973) और पीएचडी इलैक्ट्रिकल (बायोमेडिकल इंजी.) (1977) की है। आपने 1973 में आईआईटी, रुड़की के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी के रूप में पद भार ग्रहण किया और बाद में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष तक के स्तर तक पहुंचे। इस समय आप जेआईआईटी, नोएडा में उप–कुलपति (कार्यवाहक) के रूप में कार्यरत हैं। आपने निदेशक, थापर विश्वविद्यालय (पूर्व टीआईईटी) तथा थापर सेंटर फार इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्य किया है। प्रो. सक्सेना ने उत्कृष्ट एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रबंधन, तकनीकी और वित्तीय प्रगति के क्षेत्र में अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को स्थापित किया है। उन्होंने 24 अध्येताओं को पीएच. डी में मार्गदर्शन दिया तथा उनके 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप अनेक स्वायत्त शैक्षिक संस्थानों और आयोगों में भी पदभार संभाले हुए हैं।

श्री राजीब शेखर साहू को भारत सरकार द्वारा 09.11.2011 को तीन वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में नियुक्त किया गया। आप एक प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार हैं। आप मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के एक प्रमुख भागीदार हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त आप एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में निदेशक हैं।

आप वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के समझौता ज्ञापन की टास्कफोर्स के सदस्य हैं। आप श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति, पुरी के एक सदस्य हैं जहां आपको एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में ओडिशा सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। आपको ओडिशा सरकार द्वारा, ओडिशा शहरी और संरचना विकास निधि (ओयूआईडीएफ) के एक स्वतंत्र न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको वर्ष 2007 से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जारी किए गए उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा संस्थान संबंधी शुल्क निर्धारण समिति, ओडिशा का सदस्य नियुक्त किया गया है। आप इंडस इंटरप्रेन्योर (टीआईई) के कोषाध्यक्ष हैं जिसका मुख्यालय सिलिकॉन वैली, यू. एस. ए. में है।

आप वर्ष 2008–10 के दौरान पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी थे। आप जुलाई, 2008 से जुलाई, 2011 तक आंध्र बैंक में निदेशक थे। आंध्र बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान आप लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य थे। आप वर्ष 2008–10 के लिए इंडो–अमेरिकन चैम्बर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। इस समय वे एनटीपीसी लिमिटेड, बैंक आफ बड़ौदा तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में निदेशक हैं।

श्री ओ. पी. गहरोत्रा को 16.03.2012 से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की हैं।

वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1969 बैच के अधिकारी हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप रेवास पोर्ट्स लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़े जहां पर आप ग्रीन फील्ड पोर्ट परियोजना के समग्र प्रबंधन और स्थापना के प्रति उत्तरदायी थे। इस समय आप सिनर्जी ली पावर रिर्सोसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं जहां आप महाराष्ट्र में 2000 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना में सहायता कर रहे हैं।

आपने सरकार में अनेक जिम्मेदार पदों को संभाला। सितम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान आपको महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया था, जहां पर आप महाराष्ट्र सरकार के समग्र बजटिंग, आयोजना और राजकोष प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी थे। श्री गहरोत्रा मई, 2001 से नवम्बर, 2004 तक राज्य सरकार के एक उपक्रम महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन में अपर प्रमुख सचिव तथा प्रबंध निदेशक थे।

आप सेबी में फरवरी, 1996 से लेकर अप्रैल, 2001 तक वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक थे, जहां पर आप भारत की प्रमुख बाजारों में विनियमनों को देखने के साथ–साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के विनियमन, कारपोरेट टेकओवर्स, प्रौद्योगिकी, वाह्य समन्वय और इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन (''आईओएससीओ'') के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए उत्तरदायी थे।

इस समय श्री गहरोत्रा ओनांग मैनेजमेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, इलैन वैस्क्यूलर टेक्नॉलोजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कल्पतरु लिमिटेड, ट्राइमैक्स आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड तथा उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं।

कारपोरेट सुशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

1. हमने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया–विधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई अभिव्यक्ति है।

3. हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

4. हम आगे अभिकथन करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को करने की कुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन देता है।

ह./–

(सुंबुल मसूद)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सुंबुल मसूद एंड एसोशिएट्स
सदस्य सं. एसीएस 24512 सीओपी सं. 8840
40ए, मिर्जा गालिब रोड, इलाहाबाद– 211003

दिनांक : 07.08.2013
स्थान : इलाहाबाद

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत कर्मचारियों के विवरण

क) वर्ष के दौरान रोजगार तथा प्राप्त पारिश्रमिक, जो कि कुल मिलाकर 60,00,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम नहीं था।

(राशि लाख ₹ में)

नाम	पदनाम / कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक (₹)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	रोजगार शुरू होने की तारीख	आयु	अंतिम धारित रोजगार	अभ्युक्तियां
शून्य								

ख) वर्ष के भाग के लिए रोजगार जिसके संबंध में पारिश्रमिक कुल मिलाकर 5,00,000 रुपए प्रतिमाह से कम नहीं था।

नाम	पदनाम / कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक (लाख ₹)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	रोजगार शुरू होने की तारीख	आयु	अंतिम धारित रोजगार	अभ्युक्तियां
श्री ए. एस. बिष्ट	पूर्व–निदेशक (कार्मिक)	49.19	बीए तथा कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	26	07.03.1989	60	बीएचईएल	31.10.2012 को सेवानिवृत्त

1. जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर दिए गए हैं, वे कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक / कर्मचारी हैं।
2. पारिश्रमिक में वेतन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, एचआरआर घटाकर लीज रेंट, भविष्य निधि और उपदान में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान शामिल है। ऊपर सूचीबद्ध कोई कर्मचारी कंपनी के निदेशकों से संबंधित नहीं है।

वर्ष 2012–13 के
वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2012–13

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखा जाता है, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों तथा पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। इस अंतर को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण–1 की परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में से अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

(i) अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत/निर्मित अचल परिसंपत्तियों को, जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में लिया जाता है।

(ii) भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां जो कंपनी की नहीं हैं, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

(iii) विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि के वे भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गई पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iv) उस मामले में, जहां संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

(v) कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गई परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को कार्य पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उन्हें अचल परिसंपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

(i) पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, नई टाउनशिप का निर्माण, वनीकरण, पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे आदि) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत

कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा।

(ii) निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

(iii) आपूर्ति और उत्थापन की संविदाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

(iv) संविदाओं के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(v) अचल परिसंपत्ति के निर्माण पर हुए कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों को अभिज्ञात किया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि व्यय सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (ईडीसी) (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ दिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

(vi) परियोजनाओं के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य (ईडीसी) के दौरान व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या 5(i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

(i) विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) सामान्यतः उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार संविभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

(i) विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिस पर उनका सौदा किया गया हो।

(ii) तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें अंतिम दर का प्रयोग कर सूचित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर मुद्रा मदों को सौदे की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दर पर सूचित किया जाता है।

(iii) 01.04.2004 से पहले किए गए लेन–देन से उत्पन्न अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों से जुड़े ऋणों/जमाराशियों/देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की लगने वाली लागत में समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय अंतरों का एएस–11 (संशोधित 2003) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" के अनुसार लेखाकरण किया जाता है।

(iv) अन्य विनिमय अंतरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न हुए हों, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास को प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर को अधिसूचित नहीं किया है, उनके बारे में मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि के आधार पर किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण दीर्घावधिक देनदारी में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में परिवर्तन के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप से संशोधित

परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

(ii) 1500/–रुपए तक की लागत वाली निम्न मूल्य मदों को, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उनको राजस्व से प्रभारित जाता है।

(iii) 1500/–रुपए से अधिक किन्तु 5000/–रुपए तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

(iv) मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को ''उपयोग के लिए तैयार होने'' की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

(v) लीज़ होल्ड जमीन की लागत पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गई परिसंपत्तियों पर परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उपगत पूंजीगत व्यय को संबंधित परियोजना की पहली इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के वर्ष से पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गई हो, परिशोधित किया जाता है।

(vii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्श की अवधि, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति की किसी मद के मामले में ही किया जा सकता है तथा जिसका प्रयोग अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

(i) भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी निम्नतर हो, निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

(i) ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार किया जाता है। उस विद्युत केंद्र के मामले में, जहां अंतिम प्रशुल्क को अधिसूचित नहीं किया गया है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गए लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनाई गई अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्षानुवर्ष आधार पर रखा जाता है।

(ii) प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नही किया गया है/लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

(iii) ऊर्जा बिक्री के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार तथा परिसमाप्त क्षतियों/वारंटी दावों को इसकी वसूली किए जाने/स्वीकृति किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसलिए इसकी प्राप्ति/प्राप्ति आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(iv) संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

(v) कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

(vi) बीमा दावों का हिसाब बीमाकर्ता द्वारा प्राप्ति/स्वीकृति सुनिश्चित वसूली के वर्ष में किया जाता है।

(vii) परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय

(viii) मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

(ix) प्रत्येक मामले में 10,000/–रुपए या उससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त खर्च तथा पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(x) वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

(xi) व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

(xii) पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके। खर्च न की गई राशि अग्रेनीत कर दी जाती है।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

(i) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता पैकेज और अंतिम संस्कार खर्च इत्यादि के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जैसाकि एएस.15 में परिभाषित किया गया है।

(ii) कंपनी ने भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों पर ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय के वर्श से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि, बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय निर्धारण अंतरों के आधार पर मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किए गए कानूनों के आधार पर उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते में उस सीमा तक राशि जमा की जाती है/नामे डाली जाती है, जहां तक कर व्यय भावी वर्षों में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण को 'नगदी प्रवाह विवरण' से संबंधित लेखाकरण मानक (एएस–3) में निर्धारित परोक्ष तरीके के अनुसार तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी	1	3,44,309		3,29,758	
(ख) प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	3,32,840	6,77,149	2,86,456	6,16,214
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			0		4,500
गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधारियां	3	3,46,624		4,48,834	
(ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	23,364		28,754	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	20,305	3,90,293	18,532	4,96,120
चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधारियां	6	1,28,812		39,958	
(ख) व्यापार देयताएं	7	34		50	
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	72,086		69,445	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	13,031	2,13,963	39,130	1,48,583
कुल			**12,81,405**		**12,65,417**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(I) मूर्त परिसंपत्तियां	10	8,79,498		9,20,291	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	109		136	
(iii) प्रगति पर पूंजी कार्य	11	78,519	9,58,126	57,081	9,77,508
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		25,188		19,816
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13		59,744		57,593
(घ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	14		49		515

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूचियां	15	2,558		1,660	
(ख) व्यापार प्राप्य	16	2,30,701		1,90,897	
(ग) नगदी एवं नगदी समरूप राशियां	17	1,609		13,787	
(घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18	2,745		3,146	
(या अन्य चालू परिसपंत्तियां	19	685	2,38,298	495	2,09,985
योग			**12,81,405**		**12,65,417**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	20		1,95,614		2,04,558
अन्य आय	21		7,039		950
कुल राजस्व			**2.02,653**		**2,05,508**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		19,323		14,995
वित्त लागत	23		60,510		53,173
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	10		47,435		45,080
सृजन प्रशासन और अन्य व्यय	24		15,188		11,774
प्रावधान	25		24		156
कुल व्यय			**1,42,480**		**1,25,178**
कर–पूर्व लाभ			**60,173**		**80,330**
पूर्वावधि आय / (व्यय) (निवल)	26		422		96
कर पूर्व लाभ			**59,751**		**80,234**
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आय कर		11,953		16,290	
संपत्ति कर		32	11,985	85	16,375
आस्थगित कर – परिसंपत्ति		(5,372)	(5,372)	(6,524)	(6,524)
वर्ष का लाभ			**53,138**		**70,383**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
मूल (₹)			157.86		213.44
लघुकृत (₹)			157.86		213.42

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर–पूर्व निवल लाभ और पूर्वावधि समायोजन				
निम्न हेतु समायोजन :–		**60,173**		**80,330**
मूल्यह्रास	47,822		45,143	
प्रावधान	24		156	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित	(5,441)		0	
ऋणों पर ब्याज	60,510		53,173	
पूर्वावधि समायोजन	(422)	1,02,493	(96)	98,376
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ		**1,62,666**		**1,78,706**
निम्न हेतु समायोजन				
वस्तु सूचियां	(920)		(48)	
व्यापार प्राप्य	(39,804)		(79,402)	
अन्य परिसंपत्तियां	(185)		(389)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + चालू से भिन्न)	(648)		(2,257)	
व्यापार देय और देयताएं	885		(18,537)	
प्रावधान (चालू + चालू से भिन्न)	(24,326)	(64,998)	22,504	(78,129)
प्रचालनों से सृजित नकदी		**97,668**		**1,00,577**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(11,985)		(16,375)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**85,683**		**84,202**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्न में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी	(35,204)		(36,011)	
निर्माण स्टोर	459		(139)	
पूंजी अग्रिम	(1,102)		(18,964)	
विविध व्यय (समायोजित सीमा तक)	10		13	
निवेश गतिविधियां से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(35,837)**		**(55,101)**

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ग. वित्त व्यवस्था कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	10,051		4,500	
उधारियां	(11,565)		52,754	
ऋणों पर ब्याज	(60,510)		(53,173)	
लाभांश और लाभांश पर कर	0		(24,639)	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(62,024)**		**(20,558)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(12,178)**		**8,543**
ङ आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**13,787**		**5,244**
च. अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**1,609**		**13,787**

टिप्पणी :–

1. नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में ₹ 50 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 232 लाख) का बैंकों में शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित / पुनःव्यवस्थित / पुनःदर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी : 1

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
रुपए 1000/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त रुपए 1000/– प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,44,30,917	3,44,309	3,29,75,817	3,29,758
कुल		**3,44,30,917**	**3,44,309**	**3,29,75,817**	**3,29,758**

टिप्पणी : 1.1

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का लेखा समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरंभिक		3,29,75,817	3,29,758	3,29,75,817	3,29,758
निर्गत		14,55,100	14,551	0	0
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		3,44,30,917	3,44,309	3,29,75,817	3,29,758

टिप्पणी : 1.2

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5 % से अधिक शेयर धारिता					
I. भारत सरकार		2,50,81,517	72.85	2,37,37,017	71.98
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	27.15	92,38,800	28.02
कुल		**3,44,30,917**	**100.00**	**3,29,75,817**	**100.00**

1.3 कंपनी को तारीख 17–12–2008 की संख्या 40/2/2008–सी एल–III के तहत भारत सरकार को आबंटित रुपए 1000/–प्रत्येक के 27787 इक्विटी शेयरों के निरस्तीकरण द्वारा रुपए 278/– लाख की शेयर पूंजी को कम करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पुष्टि प्राप्त हुई है। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टि वर्ष 2008–09 में पारित की गई है। घटौती, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पारेषण लाइनों एवं संबद्ध सब–स्टेशनों के अंतरण के संबंध में आंशिक खरीद प्रतिफल का द्योतक है। इस प्रकार, इस संबंध में शेयर पूंजी में कुल घटाव 1998–99 में किए गए ₹841 लाख के पूर्ववर्ती अपचयन सहित ₹1119 लाख है।

टिप्पणी : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		1,44,134		1,44,134	
घटाएं : –					
बकाया अंशदान		15		15	
प्राप्त अंशदान		**1,44,119**		**1,44,119**	
घटाएं :–					
मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन		34,359	1,09,760	27,595	1,16,524
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)					
आरंभिक शेष		472		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		1	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	472	0	472
उप–जोड़ – ''क''			**1,10,232**		**1,16,996**
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष					
आरंभिक		1,69,470		1,23,726	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ		53138		70,383	
विनियोजन हेतु कुल लाभ			**2,22,608**		**1,94,109**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		0	
प्रस्तावित लाभांश		0	0	21,200	21,200
लाभांश पर कर					
लाभांश संवितरण कर–अंतरिम		0		0	
लाभांश संवितरण कर–प्रस्तावित		0	0	3,439	3,439
उप–जोड़ –''ख''			**2,22,608**		**1,69,470**
उप–जोड़ – 'ग' (क + ख)			**3,32,840**		**2,86,466**
विविध व्यय (ऐसी सीमा तक जिसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है अथवा समायोजित नहीं किया गया है)					
आरंभिक शेष		10		23	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		0		1	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समयोजित		(10)	0	(14)	10
उप–जोड़ – ''घ''			**0**		**10**
कुल (ग–घ)			**3,32,840**		**2,86,456**

2.1 कंपनी ने रुपए 1000/- प्रत्येक के सममूल्य के प्रति इक्विटी शेयर शून्य की दर पर वर्ष 2012–13 के लिए (पूर्ववर्ती वर्ष रूपये 64.29 प्रति इक्विटी शेयर) लाभांश का प्रस्ताव किया है।

टिप्पणी : 3

दीर्घावधि उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
क. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए) *					
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक 10.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			0		4.535
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक 10% वार्षिक की दर पर देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			8,175		15,700
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक 9.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			6,900		6,900
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए) *					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 12.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्ष तक प्रतिदेय)।			85,764		94,792
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (केएचईपी के लिए) #					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 12% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)**			0		8,000
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 11.50% वार्षिक देय चल ब्याज दर का अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			0		60,068
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 11.25% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			0		14,113
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 11% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			0		20,193
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 12.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			90,675		0
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) (केएचईपी के लिए) #					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 12.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			5,479		6,144

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 12.25% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			5,304		3,175
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 12% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			7254		8,134
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 11.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			990		1,110
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 11.25% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			6,872		7,704
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 11% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			7,810		8,757
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			24,099		29,795
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 12.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।			67,070		9,079
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 12% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)**			0		11,169
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 12.25% वार्षिक की दर पर देय अस्थिर ब्याज दर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)**			6,829		0
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 11.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।			2,246		4,632
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 11% वार्षिक देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्तों पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय**			0		60,784
(नवम्बर, 2006 से मार्च, 2018 तक 11.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			0		10,929
(नवम्बर, 2006 में मार्च, 2018 तक 12.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			7,762		0
भारतीय स्टेट बैंक (टिहरी पीएसपी के लिए) ##					
भारतीय स्टेट बैंक (अगस्त 2016 से मई 2026 तक आधार दर + 1.2% वार्षिक अर्थात् 10.90% देय चल ब्याज दर पर 10 वर्षों तक तिमाही किस्तों में देय)।			12,500		0
पंजाब नेशनल बैंक					
पंजाब नेशनल बैंक (चल ब्याज दर पर आधार दर + 1% अर्थात् 11.25% की दर पर)।			0		50,000
जोड़ (क)			**3,45,732**		**4,35,713**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
ख. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण $					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
केएफडब्ल्यू ऋण – 9831 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
(जून, 2004 से दिसम्बर, 2013 तक ईयूआरआईबीओआर जमा 0.5% अतिरिक्त राशि प्रति वर्ष अर्थात 0.875% की चल 0ब्याज दर पर, अर्ध वार्षिक किस्तों में 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			0		1,892
केएफडब्ल्यू ऋण –2896 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
(सितम्बर, 2004 से मार्च, 2014 तक 5.91% प्रति वर्ष की दर से नियत ब्याज दर पर अर्ध वार्षिक किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			0		400
विश्व बैंक ऋण (वी पी एच ई पी के लिए)					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 नवम्बर, 2040 तक एलआईबीओआर + परिवर्तनीय विस्तारित वार्षिक दर अर्थात 0.99% ब्याज दर परय अर्ध वार्षिक किस्तों में 23 वर्षों तक प्रतिदेय)।			892		829
घरेलू ऋण (पीएसपी के लिए)					
भारतीय स्टेट बैंक (अगस्त, 2016 से मई, 2026 तक (मूल दर + 1.2% अर्थात 11.2% वार्षिक चल ब्याज दर पर तिमाही किस्तों में 10 वर्षों में प्रतिदेय)।			0		10,000
जोड़ (ख)			**892**		**13,121**
जोड़ (क+ख)			**3,46,624**		**4,48,834**

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, पावर हाउस इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपकरण पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित दीर्घावधि ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप ऋण एवं ब्याज पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

** ऋण की इन किस्तों को वर्ष के दौरान पुनः नियत किया जाता है।

\# कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित दीर्घावधि ऋण।

\## टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित दीर्घावधि ऋण।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के अंतर्गत वित्तपोषित उपकरणों पर ऋणात्मक धारणाधिकार के साथ। इसमें वर्ष के दौरान किसी भी ऋण अथवा उस पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी : 4

अन्य दीर्घावधि देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं०	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के संबंध में आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		28,331		28,331	
जोड़ें : वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित		5,441	22,890	0	28,331
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		15		33	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		1	16	4	37
संविदाकार आदि से जमाराशियां, प्रतिधारण राशि		455		385	
अन्य देयताएं		3	458	1	386
कुल			**23,364**		**28,754**

4.1 सीईआरसी विनियमन 2004–2009 के तहत टैरिफ के संघटक के रूप में अनुमत मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को बिक्रियों से घटाया गया था और उत्तरवर्ती वर्षों की बिक्रियों में समायोजित किए जाने वाले आस्थगित राजस्व के रूप में समझा गया था। सीईआरसी विनियमन 2009–2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

टिप्पणी : 5
दीर्घावधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 के लिए			31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. निर्माण कार्य		0	0	0	0	0
II. कर्मचारियों से संबंधित		17,455	4,456	(1,501)	(332)	20,078
III. अन्य		1,077	0	(850)	0	227
जोड़		**18,532**	**4,456**	**(2,351)**	**(332)**	**20,305**
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आंकड़े		**16,788**	**3,066**	**(831)**	**(491)**	**18,532**

कर्मचारी हित लाभ पर ए एस–15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी सं. 55 में किया गया है।

टिप्पणी : 6

अल्पावधि उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
क. प्रतिभूति ऋण :					
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अल्पावधि ऋण					
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (13% की दर पर अस्थिर ब्याज दर)			2,500		0
पावर वित्त निगम लिमिटेड (13.75 % की दर पर अस्थिर ब्याज दर)			0		20,000
बैंकों से नकदी क्रेडिट**					
पंजाब नेशनल बैंक (मूल दर + 1% प्रति वर्ष अर्थात 11.25% की दर पर चल ब्याज दर)			71,312		12,381
जोड़ (क)			**73,812**		**32,381**
ख. अप्रतिभूति ऋण :					
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.5% वार्षिक की दर पर चल ब्याज दर)			0		3,808
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.25 % वार्षिक की दर पर चल ब्याज दर)			0		3,769
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.75% वार्षिक की दर पर चल ब्याज दर***			25,000		0
केनरा बैंक (मूल दर प्रतिवर्ष अर्थात 10.25 % की चल ब्याज दर)			30,000		0
जोड़ (ख)			**55,000**		**7,577**
जोड़ (क + ख)			**1,28,812**		**39,958**

*टिहरी चरण–i तथा कोटेश्वर की परिसम्पत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के रूप में आरईसी से लिया गया 2500 लाख रुपए के अल्पावधि ऋण

** कम्पनी की परिसम्पत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्रतिभूत 71312 लाख रुपए की ओडी सीमा

*** निलम्बलेख खाते पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के रूप में पीएफसी से लिया गया रुपए 25000/–लाख का एस टी एल।

इसमें वर्ष के दौरान किन्हीं ऋणों अथवा उन पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई चूक हुई नहीं है। इन अल्पावधि ऋणों को एक वर्ष के भीतर लौटाना होता है।

टिप्पणी : 7

व्यापार देय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं०	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
व्यापार देय – एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय – एमएसएमईडी से भिन्न			34		50
जोड़			**34**		**50**

टिप्पणी : 8

अन्य चालू देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता*					
क. प्रतिभूत			52,480		50,729
जोड़ (क)			**52,480**		**50,729**
ख. अप्रतिभूत			**2,333**		**2,293**
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
जोड़ (ख)			**2,333**		**2,293**
जोड़ (क + ख)			**54,813**		**53,022**
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		6,377		5,077	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		1,147	7,524	2,063	7,140
संविदाकारों आदि से प्रतिधारण राशि जमाराशियां,		2,496		2,113	
अन्य देयताएं		1,107	3,603	713	2,826
उद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		6,146		6,457	
अन्य देयताएं		0	6,146	0	6,457
जोड़			**17,273**		**16,423**
कुल देयताएं			**72,086**		**69,445**

*ऊपर दर्शाए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता की चुकौती की अवधि के संबंध में ब्यौरा टिप्पणी–3 में दर्शाया गया है।

टिप्पणी : 9

अल्पावधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2013 के लिए			31 मार्च, 2013 के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. निर्माण कार्य		1,882	262	(522)	(366)	1,256
II. कमर्चारियों से संबंधित		9,013	5,304	(3,087)	(1,221)	10,009
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		21,200	0	0	(21,200)	0
IV. लाभांश संवितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		3,439	0	0	(3,439)	0
V. अन्य		3,598	9,608	(9,854)	(1,584)	1,766
जोड़		**39,130**	**15,174**	**(13,463)**	**(27,810)**	**13,031**
पूर्ववर्ती वर्ष हेतु आंकड़े		**18,370**	**46,872**	**(103)**	**(26,215)**	**39,130**

कर्मचारी हित लाभ पर ए एस–15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 55 में किया गया है।

टिप्पणी : 10

अचल परिसम्पत्तियां

राशि लाख ₹ में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	अवधि के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 के वर्ष हेतु	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
01. लीज होल्ड भूमि	245	-	-	245	27	9	-	36	209	218
अन्य परिसंपत्तियां										
02.फ्री होल्ड भूमि	2,162	1,291	-	3,453	-	-	-	-	3,453	2,162
03.अवर्गीकृत भूमि	1,41,036	2,822	(16)	1,43,842	21,914	4,825	2	26,741	1,17,101	1,19,122
04.भवन	63,829	3,288	(23)	72,094	3,716	2,437	67	6,220	65,874	65,113
05.भवन अस्थायी ढांचे	939	29	-	968	939	29	-	968	-	-
06.सड़क, पुल और पुलिया	9,210	663	-	9,873	608	341	-	949	8,924	8,602
07.जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,265	132	(47)	1,350	225	70	(16)	279	1,071	1,040
08.निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,824	-	(5)	1,819	1,030	45	(4)	1,071	748	794
09.उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,31,260	1,446	(244)	2,32,462	37,176	12,290	55	49,5210	1,82,941	1,94,084
10. ईडीपी मशीनें	1,221	88	(26)	1,283	701	141	(21)	821	462	520
11. विद्युत संस्थापनाएं	811	7	-	818	103	52	-	155	663	708
12. पारेषण लाइन	1,798	17	-	1,815	344	98	-	442	1,373	1,454
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	3,616	255	(109)	3,762	1,015	237	(85)	1,167	2,595	2,601
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,478	102	(28)	1,552	393	91	(27)	457	1,095	1,085
15. वाहन	1,027	75	(14)	1,088	429	68	(6)	491	597	598
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	16	4	-	20	102	106
17. हाइड्रोलिक कार्य–बांध एवं स्पिलवे	4,99,180	4,094	(6)	5,03,268	86,471	26,594	215	1,13,280	3,89,988	4,12,709
18. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,37,056	400	-	1,37,456	28,117	7,258	36	35,411	1,02,045	1,08,939
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, में अप्रोज्यनीय/अप्रचलित आस्तिया	175	-	(120)	55	-	-	-	-	55	175
20. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,615	-	-	2,615	2,354	59	-	2,413	202	261
उप–जोड़	**11,05,869**	**14,709**	**(638)**	**11,19,940**	**1,85,578**	**54,648**	**216**	**2,40,442**	**8,79,498**	**9,20,291**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**10,42,566**	**63,402**	**(99)**	**11,05,869**	**1,32,718**	**52,810**	**50**	**1,85,578**	**9,20,291**	**9,09,848**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां – साफ्टवेयर	322	15	-	337	186	42	-	228	109	136
उप–जोड़	**322**	**15**	**-**	**337**	**186**	**42**	**-**	**228**	**109**	**136**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**267**	**55**	**-**	**322**	**138**	**48**	**-**	**186**	**136**	**129**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		गत वर्ष			
ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास					491		970			
लाभ–हानि लेखा को अंतरित मूल्यह्रास					47,435		45,080			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन					6,764	54,690	6,808	52858		
वर्ष के दौरान 1500.00 रुपए से अधिक परंतु 5000.00 रुपए से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की					19		18			

10.1 कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक ₹ 60 लाख की राशि के 112.928 एकड़ माप की फ्री होल्ड भूमि के हक विलेखों (पूर्ववर्ती वर्ष 114.218 एकड़, जो ₹ 70 लाख राशि की है) को कंपनी के नाम में अभी पंजीकृत किया जाना है।

10.2 आईसीएआई की विशेष सलाह समिति (ई ए सी) ने राय दी है कि उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, को जब भी उद्भूत हो, लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाना है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अभ्यावेदन किया है कि इस तरह का व्यय परियोजना के व्यवस्थापन हेतु अनिवार्य है, इसे मौजूदा लेखाकरण प्रक्रियाओं की दिशा में लिया जाए। राय पर पुनर्विचार के संबंध में आईसीएआई से पत्र प्राप्त होने तक मौजूदा प्रतिपादन को संगत लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार जारी रखा गया है।

टिप्पणी : 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2013 के लिए			31 मार्च, 2013 के अनुसार
			वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,080	1,519	(1)	(1,035)	4,563
सड़क, पुल तथा पुलिया		2,272	1,485	(98)	(570)	3,089
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		131	-	-	(96)	35
उत्पादन संयंत्र एंव मशीनरी		63	9,102	(388)	(104)	8,673
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जलमार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		41,538	10,583	(5,051)	-	47,070
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8	-	-	-	8
विद्युत संस्थापना तथा उपकेंद्र उपकरण		15	1,249	-	-	1,264
उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं		-	-	-	-	-
अन्य		314	123	(35)	-	402
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनरी		217	159	(376)	-	-
निरीक्षणाधीन उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		-	-	-	-	-
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण एवं विकास खर्च		5,535	581	(3,800)	-	9,916
विनिमय परिवर्तन		-	59	(59)	-	-
आबंटन होने तक ब्याज	23	-	10	(10)	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	1,159	(182)			977
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत एवं किराए के संबंध में वसूलियां घटाकर)		1,749	785	-	(12)	2,522
उप–जोड़		**57,081**	**25,473**	**(2,218)**	**(1,817)**	**78,519**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**83,471**	**58,103**	**(30,130)**	**(54,363)**	**57,081**
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
उप–जोड़		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

टिप्पणी : 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु	
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22	7,794		9,347	
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		486		721	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		395		448	
पेंशन निधि		520		805	
उपदान		124	9,319	182	11,503
कल्याण					
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		75		90	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		343	418	426	516
दर एवं कर			4		21
विद्युत एवं ईंधन			419		371
बीमा			5		14
संचार			98		138
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		0		2	
भवन		92	238	229	623
अन्य		146		392	
यात्रा एवं वाहन			350		403
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			157		341
सुरक्षा			133		341
प्रचार तथा जनसंपर्क			64		107
अन्य सामान्य व्यय			535		948
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			3		1
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			0		33
अनुसंधान एवं विकास व्यय			0		61
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			1		1
मूल्यह्रास	10		491		970
कुल व्यय (क)			**12,235**		**16,392**
प्राप्तियां					
अन्य आय					
ब्याज	21				
बैंक में जमाराशियों से		10		17	122
कर्मचारियों से		71		104	
अन्यों से		3	84	1	
मशीन किराया प्रभार			0		18
किराया प्राप्तियां			77		78

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु	
फुटकर प्राप्तियां			143		65
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			160		428
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			1		20
कुल प्राप्तियां (ख)			**465**		**731**
पूर्वावधि समायोजन	26		**4**		**10**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**11,774**		**15,671**
कराधान के लिए प्रावधान	27				
धन कर		6	6	14	14
कराधान सहित निवल व्यय			**11,780**		**15,685**
पिछले वर्ष से अग्रेनीत शेष			1,159		546
कुल ईडीसी			**12,939**		**16,231**
घटाएं :–					
सी डब्ल्यू आई पी को आबंटित ई डी सी/परिसंपत्ति		11,199		14,476	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं की ई डी सी जो		763	11962	596	15,072
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित हैं					
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेनीत शेष			**977**		**1,159**

टिप्पणी : 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसपंत्ति		34,476	31,501	29,104	26,129
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
जोड़			**25,188**		**19,816**

टिप्पणी : 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के प्रति		4,208		4,249	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		10,757		13,859	
iii) अन्य		23,154		20,807	
iv) अग्रिमों पर उद्भूत ब्याज		8,445	46,564	6,547	45,462
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			0		0
उप–जोड़ : पूंजीगत अग्रिम			**46,564**		**45,462**
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,670		2,653	
अप्रतिभूत		812	3,482	235	2,888
कर्मचारियों को ऋणों पर उद्भूत ब्याज					
प्रतिभूत		1,988		1,868	
अप्रतिभूत		59	2,047	14	1,882
निदेशकों को ऋणों पर उदभूत ब्याज					
प्रतिभूत		4		5	
अप्रतिभूत		0	4	0	5
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया		0	0	9	9
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तुओं के रूप में वसूली योग्य अग्रिम अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों को		182		90	
निदेशकों को		0		0	
क्रय हेतु		1		1	
अन्यों हेतु		6,982	7,165	6,740	6,831
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		190		257	4
सरकार के पास/न्यायालय में जमाराशियां		300		267	
अन्य जमाराशियां		1	491	1	525
उप–जोड़			**13,189**		**12,140**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			9		9
उप–जोड़ – अग्रिम			**13,180**		**12,131**
कुल ऋण और अग्रिम			**59,744**		**57,593**
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			0		0
ब्याज			4		5
जोड़			**4**		**5**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			5		5
कुल			**6**		**6**

टिप्पणी : 14
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
निर्माण भंडार					
(भारित औसत आधार पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन सामग्री		0		29	
अन्य		6		438	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	6	0	467
उप–जोड़			**6**		**467**
पूर्वप्रदत्त व्यय		43		48	
उपगत ब्याज परंतु देय नहीं		0	43	0	48
उप–जोड़			**43**		**48**
जोड़			**49**		**515**

टिप्पणी : 15
वस्तुसूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
वस्तुसूचियां					
(भारित औसत आधार पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन सामग्री		176		173	
अन्य		2,653		1,802	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		41	2870	9	1,964
घटाएं : अन्य भंडारों हेतु प्रावधान			312		324
जोड़			**2,558**		**1,660**

टिप्पणी : 16
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
छह महीने से अधिक बकाया ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया		1,00,958		1,00,958	
संदिग्ध समझा गया		0	1,09,990	10	1,00,968
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		10
अन्य ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया		1,20,711		89,939	
संदिग्ध समझ गया		0	1,20,711	0	89,939
जोड़			**2,30,701**		**1,90,897**

टिप्पणी : 17
नगदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
नगदी एवं नगदी समतुल्य					
बैंकों में शेष (बैंकों में ऑटो स्वीप फ्लैक्सी जमा सहित)			1,556		13,553
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, स्टांप			0		0
हस्तगत नकदी			3		2
अन्य बैंक शेष					
अन्य (धारणाधिकार के तहत बैंक में शेष जो कंपनी के प्रयोग हेतु उपलब्ध नहीं है)			50		232
योग			**1,609**		**13,787**

टिप्पणी : 18

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		553		485	
अप्रतिभूत		58	611	25	510
कर्मचारियों को ऋणों पर उद्भूत ब्याज					
प्रतिभूत		86		67	
अप्रतिभूत		1	87	1	68
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		1	
अप्रतिभूत		0	0	0	1
निदेशकों को ऋणों पर उद्भूत ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
प्रतिभूत, शोध्य समझा गया					
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया		16	16	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकदी में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य की किस्म में अथवा मूल्य पर वसूलीयोग्य अग्रिम)					
कर्मचारियों को		278		206	
निदेशकों को		0		0	
क्रय हेतु		344		501	
अन्यों हेतु		399	1,021	1480	2,187
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमाराशि		79		1	
कर जमाराशि		720		126	
सरकार के पास/न्यायालय में जमाराशि		210		252	
अन्य जमाराशि		0	1,009	0	379
उप–जोड़			**2,745**		**3,146**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
कुल अग्रिम			**2,745**		**3,146**
कुल ऋण एवं अग्रिम			**2,745**		**3,146**
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			0		1
ब्याज			1		1
कुल			**1**		**2**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			0		0
कुल			**1**		**1**

टिप्पणी : 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			684		469
उद्भूत ब्याज			1		26
कुल			**685**		**495**

टिप्पणी : 20

प्रचालनों से राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
ऊर्जा बिक्री		1,87,741		2,02,238	
जोड़ें:					
मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम		5,441		0	
घटाएं :					
मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम – आस्थगित		0	1,93,182	0	2,02,238
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			576		433
यू आई/संकुलन प्रभार			1,770		1,660
परामर्शी आय			86		227
कुल			**1,95,614**		**2,04,558**

20.1. (i) माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने टिहरी एचपीपी चरण–I (1000 मेगावाट) के संबंध में 22.09.2006 में 31.3.2009 की अवधि के लिए प्रशुल्क आदेश दिनांकित 16.04.2013 जारी किया है। आदेश के दृष्टिगत, उक्त अवधि के लिए पहले ही स्वीकृत राजस्व पुनरीक्षित किया गया है तथा इस अवधि के लिए उक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार 5441 लाख रुपए के एएडी पर विचार करने के पश्चात पुनरीक्षित राजस्व एवं प्रोत्साहन (–11217 लाख रुपए) के लिए बिल प्रस्तुत किए गए हैं तथा उनका लेखाकरण चालू वर्ष में किया गया है।

2009–14 की अवधि के लिए प्रशुल्क याचिका 4 नवम्बर, 2011 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तथापि दिनांक 16.04.2013 के प्रशुल्क आदेश में उल्लिखित सिद्धान्तों के समनुरूप, 2009–14 की अवधि के लिए प्रशुल्क याचिका प्रारूप पुनरीक्षित किए गए हैं तथा (i) 2011–12 तक उपगत लेखापरीक्षित व्यय, (ii) 2012–13 के लिए वास्तविक अनंतिम व्यय, तथा (iii) 2013–14 के लिए बजटबद्ध व्यय को विचार में लेते हुए उन्हें सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणित कराया गया है। तदनुसार 2009–10 से 2011–12 की अवधि के लिए राजस्व को संशोधित किया गया है तथा चालू वर्ष में उसके प्रभाव (–2709 लाख रुपए) को मान्य किया गया है।

तथापि, कम्पनी को 16.04.2013 के प्रशुल्क आदेश में माननीय सीईआरसी द्वारा विचारित अनेक मुद्दों से शिकायत है तथा इसने 29.05.2013 को माननीय सीईआरसी के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका पर अभी सीईआरसी द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

कम्पनी ने चालू वर्ष में 138064 लाख रुपए (विगत वर्ष 161938 लाख रुपए) की बिक्री के बिल तैयार किए हैं। 2009–14 की अवधि के लिए माननीय सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के लम्बित रहते वर्ष 2012–13 के लिए राजस्व को अनंतिम रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। माननीय सीईआरसी द्वारा दिनांक 28.12.2006 के आदेश (याचिका 63/2006) तथा दिनांक 28.3.2008 के आदेश के तहत अनुमत अनंतिम प्रशुल्क के अनुसार 2009–14 की अवधि के लिए प्रशुल्क को अंतिम रूप दिया जाना लम्बित रहने तथा माननीय सीईआरसी विनियम, 2009 के आधार पर परिकलित एएफसी के अनुसार बिक्री के बीच परिवर्ती बिल तैयार किए जाने के कारण देनदारों के पास 85085 लाख रुपए (विगत वर्ष 99601 लाख रुपए) की राशि शामिल है।

(ii) कम्पनी ने दिनांक 16.04.2013 के प्रशुल्क आदेश के जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत 2006–09 की अवधि के लिए प्रोत्साहन तथा ऊर्जा के बिलों पर सीईआरसी विनियम के समनुरूप 4341 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया है। इसका ब्याज आय में लेखाकरण कर दिया गया है तथा इसे टिप्पणी 21 में दर्शाया गया है।

(iii) सीईआरसी प्रशुल्क विनियम 2009 के अनुसार, कोटेश्वर परियोजना हेतु कम्पनी ने 31.03.2012 तक परियोजना पर उपगत किए जाने वाले प्रत्याशित व्यय तथा परियोजना के चार एककों के लिए तब प्रत्याशित सीओडी को विचार में लेते हुए 2011–14 की अवधि के लिए वार्षिक नियत लागत परिकलित की थी। तदनुसार, 28 फरवरी, 2011 तथा 01 मार्च, 2011 को आयोजित 18वीं टीसीसी तथा 20वीं एनआरपीसी बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि टीएचडीसीआरएल द्वारा यथा प्रस्तावित के अनुसार माननीय सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के लम्बित रहते एएफसी के 80 % का भुगतान लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।

बाद में, कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका को अवधि 2011–14 के लिए 01.04.2011 और 26.10.2011 के रूप में यूनिट–1 और यूनिट–2 के वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीखों पर विचार करते हुए और क्रमशः 01.03.2012 और 01.04.2012 के रूप में यूनिट–3 और यूनिट–4 के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीखों पर विचार करते हुए तैयार किया गया था। विधिवत रूप से लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित टैरिफ फाइलिंग फार्मों में टैरिफ याचिका को सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 में निरूपित नियमों का पालन करते हुए माननीय सीईआरसी को 30.03.2012 को प्रस्तुत किया गया है।

कोटेश्वर एचईपी की सभी चार इकाइयों का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष 2011–12 में शुरू हो गया था। माननीय सीईआरसी ने वास्तविक सीओडी तथा वास्तविक व्यय पर आधारित प्रशुल्क प्रारूप अद्यतन करने की इच्छा व्यक्त की, अतः प्रशुल्क प्रारूपों को वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणित कराया गया तथा 08.02.2013 को सीईआरसी को प्रस्तुत किया गया।

तदुनुसार, प्रशुल्क निर्धारण लम्बित रहते 08.2.2013 को माननीय सीईआरसी को प्रस्तुत लेखापरीक्षित तथा प्रमाणित एएफसी पर आधारित वित्त वर्ष 2012–13 के लेखों में राजस्व को अनंतिम रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। कंपनी ने रुपए 55062 लाख (विगत वर्ष 40300 लाख रुपए) के लिए बिलयुक्त बिक्रियां की हैं। देनदारों के पास सीईआरसी विनियमनों और अनंतिम प्रशुल्क के अनुसार जैसा कि 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में लिए गए निर्णय के आधार पर परिकलित एएफसी बिक्रियों के बीच अंतर बिलिंग के संबंध में 27188 लाख रुपए (विगत वर्ष 16068 लाख रुपए) शामिल है।

टिप्पणी : 21

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक में जमा राशियों पर (जिसमें टीडीएस रुपए 27793.00 पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 271361.00 शामिल हैं)		48		67	
कर्मचारियों से		307		232	
अन्य		4,366	4,721	9	308
मशीन किराया प्रभार			9		19
किराया प्राप्तियां			165		136
विविध प्राप्तियां			303		210
प्रावधान की गई अधिक राशियों का पुनरांकन			630		479
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			55		56
विलंबित भुगतान अधिभार			1,621		473
कुल			**7,504**		**1,681**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		465		731
कुल			**7,039**		**950**

टिप्पणी : 22

कर्मचारी लाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			23,559		21,756
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान			1,492		1,631
पेंशन निधि			1,081		1,023
उपदान			1,807		1,709
कल्याण खर्चे			703		379
कुल			**28,642**		**26,498**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		9,319		11,503
कुल			**19,323**		**14,995**

टिप्पणी : 23

वित्त लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			62,214		61,771
कुल			**62,214**		**61,771**
घटाएं :					
अंतरित एवं सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत			1,704		8,598
कुल			**60,510**		**53,173**

टिप्पणी : 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		133		129	
कर्मचारी आवास किराया		710	843	648	777
दर एवं कर			106		390
विद्युत एवं ईंधन			1,507		1,338
बीमा			1,113		648
संचार			325		278
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,932		1,270	
भवन		1,001		845	
अन्य		1,664	4,597	1,143	3,258
यात्रा एवं वाहन किराया			886		802
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,019		927
प्रतिभूति			1,885		1,587
प्रचार तथा जनसंपर्क			208		180
अन्य सामान्य व्यय			1,766		1,972
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			195		12
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			806		680
अनुसंधान एवं विकास			397		61
सतत विकास व्यय			121		0
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			51		692
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			10		12
निगम की सीएसआर गतिविधियों पर व्यय			1,605		1,358
ग्राहकों को छूट			173		721
कुल			**17,613**		**15,693**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		2,425		3,919
कुल			**15,188**		**11,774**

टिप्पणी : 25

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
भंडारों तथा कल–पुर्जों के लिए प्रावधान			24		156
कुल			**24**		**156**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			**24**		**156**

टिप्पणी : 26

पूर्वावधि आय/व्यय (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय :					
विविध प्राप्ति		0	0	0	0
व्यय :					
कार्मिक व्यय		1		0	
अन्य सामान्य व्यय		0		30	
मूल्यह्रास		384		75	
प्रतिभूति		0		1	
विविध–अन्य		41	426	0	106
उप–जोड़			**426**		**106**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		4		10
कुल			**422**		**96**

टिप्पणी : 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			11,953		16,290
उप–जोड़			**11,953**		**16,290**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			**11,953**		**16,290**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			38		99
उप–जोड़			**38**		**99**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		6		14
कुल			**32**		**85**

28. पूंजीगत खातों में निष्पादन किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, (अग्रिम निवल) 178918 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 189582 लाख रुपए) है।

29. **आकस्मिक देयताएं**

राशि लाख ₹ में

		2012–13	2011–12
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में अभिज्ञात न हों : माध्यस्थम/न्यायालय संबंधी मामलों में 260 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 239 लाख रुपए) शामिल है, जिन्हें विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय मामलों में कंपनी के प्रति डिक्री किया गया है और कंपनी द्वारा जमा किया गया है परंतु ये अपीलों में विवादित है।	229245	131696
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्यिक कर, प्रविष्टि कर, में कंपनी द्वारा जमा किए गए 179 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष के 07 लाख रुपए) शामिल है, परंतु अपील मे विवादित है	722	566
(iii)	अन्य (संविदाकारों के दावे आदि)	207	5924

(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों एवं अन्यों द्वारा दायर किए गए दावों/न्यायालय मामलों में देयताओं, यदि कोई हों, की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

30. कम्पनी ने 2951 लाख रुपए (विगत वर्ष 2498 लाख रुपए) की ''संविदाकारों से जमा राशियां, प्रतिधारण धन राशि'' के अलावा एफडीआर/सीडीआर के रूप में ईएमडी/प्रतिभूत जमाराशि भी स्वीकार की जैसा कि, टिप्पणी 4 और टिप्पणी 8 में दर्शाया गया है।

31. i) कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लाभार्थियों से 4713 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 4631 लाख रुपए) की राशि के भुगतान हेतु प्रतिकर प्रतिभूति के रूप में पुष्टीकृत साख पत्र (एल सी) है।

ii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश को पूरा करने हेतु 100000 लाख रुपए की ओडी सीमा के प्रति प्रतिभूति जमाराशि के रूप में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी 29 लाख रुपए की राशि की बैंक गारंटी दी है। इसलिए 31.03.2013 के अनुसार ओडी सीमा के प्रयोग हेतु उपलब्ध शेष 99971 लाख रू. है।

32. i) नये टिहरी नगर में सरकारी/अर्ध–सरकारी विभागों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए 7800.00 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी और यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूलनीय थी। भारत सरकार (जीओआई) की मंजूरी के अनुसार 7800 लाख रुपए के मियादी ऋण को वर्ष 2005–06 में उत्तराखंड सरकार की ओर से पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया था। राशि को ब्याज के साथ उत्तराखंड सरकार से टिहरी एचईपी चरण–I से 12% निःशुल्क विद्युत के उनके शेयर से वसूल किया जाना है।

सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2009 को आयोजित संयुक्त बैठक में पारस्परिक रूप से यह तय किया गया था कि उत्तराखंड सरकार, टीएचडीसी द्वारा बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर रॉयल्टी के संबंध में टीएचडीसी से देय राशि को समायोजित करने के बाद आवासीय/गैर आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान के संबंध में देय 7800 लाख रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा, यह सहमति हुई थी कि आपसी समझौता होने से न तो उत्तराखंड सरकार, न ही टीएचडीसी एक–दूसरे को देय राशियों पर ब्याज लगाएगी। तदनुसार, उत्तराखंड सरकार से वसूलीय 1857 लाख रुपए के ब्याज को समायोजित किया गया है। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि रायल्टी प्रभारों की राशि को टीएचडीसी द्वारा यथा उपलब्ध वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाला जाएगा। रायल्टी को परिकलित किया गया है, जो 3820 लाख रुपए बैठती है। 1920 लाख रुपए की शेष राशि को डी एम के पास 1900 लाख रुपए की जमा की गई राशि को कम करने के बाद 7800 लाख रुपए के प्रति समायोजित किया गया है और 5880 लाख रुपए की शेष राशि को टिप्पणी–13 में उत्तराखंड सरकार से वसूलनीय के रूप में दर्शाया गया है। मामले पर संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में आगे चर्चा की गई थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया कि राशि को शीघ्र जारी करने के लिए मामले को राज्य वित्त विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।

कंपनी ने 6449 लाख रुपए की रायल्टी एवं ब्याज राशि की वसूली के स्थगन हेतु एक रिट याचिका, उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की थी। तथापि, 27.03.2009 को आयोजित संयुक्त बैठक के परिणामस्वरूप, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नैनीताल उच्च न्यायालय में रिट याचिका को वापस लेने के लिए मामले को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) टिहरी के समक्ष उठाया गया है। आगे, कंपनी ने दिनांक 25.05.2009, 21.07.2009 और

04.03.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव से 27.03.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने दिनांक 27.03.2009 के कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। हालांकि, लेखाबहियों में आवश्यक समायोजन कर दिए गए हैं।

ii) जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने दिनांक 12.03.2013 के आदेश के तहत टीएचडीसी इडिंया लि., टिहरी को 1900 लाख रुपए काटने के पश्चात जिस का भुगतान टीएचडीसीआईएल द्वारा रॉयल्टी के लिए पहले ही कर दिया गया था तथा साथ ही टीएचडीसीआईएल के द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान के लिए 7800 लाख रूपए का समायोजन करने के पश्चात् रॉयल्टी के भुगतान के लिए 17002 लाख रुपए की राशि जमा करने हेतु कहा है। इसी प्रकार, कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए 2829 लाख रुपए की राशि की रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा एक अन्य आदेश दिनांकित 19.03.2013 भी पारित किया गया था।

व्यथित होकर टीएचडीसीआईएल ने अप्रैल, 2013 में नैनीताल में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष दो नई रिट याचिकाएं दायर की– एक टिहरी परियोजना के मामले में (2013 की रिट याचिका सं. 826) तथा एक अन्य कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के मामले में (2013 की रिट याचिका सं. 832) 17.04.2013 को इन रिट याचिकाओं के संबंध में न्यायालय द्वारा दो पृथक आदेश पारित किए गए।

टिहरी परियोजना के संबंध में माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता अर्थात् टीएचडीसीआईएल के लिए अन्य बातों के अलावा यह आदेश पारित किया कि वह समार्हता के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटी द्वारा 3440 लाख रुपए की रॉयल्टी राशि को प्रतिभूत करे तथा आदेश में दिए गए शेष दावे को समाहर्ता के पक्ष में साधारण बांड प्रस्तुत कर प्रतिभूत करे।

इसी प्रकार कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के मामले में आदेशानुसार 309 लाख रुपए की राशि को बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत किया गया था तथा शेष दावे को समाहर्ता के पक्ष में साधारण बांड प्रस्तुत कर प्रतिभूत किया जाना था।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, टिहरी गढ़वाल ने जिलाधिकारी के आदेशों के प्रचालक को आदेश की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के लिए बिना शर्त तथा तत्पश्चात इन रिट याचिकाओं के निपटान तक सशर्त स्थगित कर दिया है यदि टीएचडीसीआईएल द्वारा उक्त प्रतिभूति निर्धारित समय के उपलब्ध कर दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 17.04.2013 के आदेश के अनुपालन में, टीएचडीसीएल ने टिहरी परियोजना के संबंध में 3440 लाख रुपए की बैंक गारंटी तथा 13562 लाख रुपए की राशि के लिए बांड तथा कोटेश्वर परियोजना के संबंध में 309 लाख रुपए की राशि की बैंक गारंटी तथा 2520 लाख रुपए की राशि के बांड पहले ही जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रस्तुत कर दिया है।

इस तथ्य के दृष्टिगत, उक्त याचिकाएं अभी भी न्यायाधीन हैं। अतः अतिरिक्त स्थल से संबंधित 5880 लाख रुपए की राशि को वसूलनीय के रूप में दर्शाया गया है।

33. (i) वर्ष हेतु उधार ली गई निधियों पर उपगत कुल ब्याज एवं अन्य लागत 53414 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 56072 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधारी लागत की राशि वर्ष के दौरान उधार ली गई अतिरिक्त निधियों की अन्य अवधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में शून्य लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 17 लाख रुपए) की राशि के समायोजन के बाद 1704 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 8598 लाख रुपए) है।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा घटबढ़ राशि, जो 144 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 467 लाख रुपए) है, को पूंजीगत कार्य प्रगति में/परिसंपत्तियों हेतु समायोजित किया गया है।

34. दिनांक 05.04.2011 के कारपोरेट कार्मिक परिपत्र संख्या 05/2011 के अनुसार अधिवर्षिता लाभ के संबंध में नियोक्ता का अंशदान 01.01.2007 से कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 30% होगा। इसमें कर्मचारी का भविष्य निधि (ईपीएफ), उपदान और सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधाओं में पेंशन की अंशदायी योजना शामिल होगी। पेंशन योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के लगभग 10% की पेंशन निधि का प्रावधान लेखों में किया गया है।

35. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों परियोजना में कार्यों के निष्पादन/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गई 600.09 एकड़ (पिछले वर्ष 600.09 एकड़) जमीन की लागत के लिए 497 लाख रुपए (गत वर्ष 497 लाख रुपए) की राशि शामिल है।

आगे, टिहरी एचपीपी चरण–I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए 2797 लाख रुपए (गत वर्ष 5977 लाख रुपए) वर्ष 2012–13 के दौरान पूंजीकृत किए गए, जिसमें पुनर्वास हेतु 600.09 एकड़ (गत वर्ष 600.09 एकड) जमीन के अधिग्रहण के लिए 3 लाख रुपए (गत वर्ष 766 लाख रुपए) शामिल हैं।

(ii) पुनर्स्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित संपत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख. रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ. सं. 8–3/89 एफसी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई 186/7–1–2002–300 (459)/88 के अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के डाइवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किए जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखाई गई है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में 68 लाख रुपए की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपए की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.04.2008 के आदेश संख्या 08बी/यूसीपी/06/312/2006/एफसी/144 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 5.75 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

(vi) कम्पनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए जलाशय, परियोजना कार्य, कालोनी, विविध कार्यों इत्यादि के लिए अधिग्रहीत निजी भूमि 3151.78 हेक्टेयर है जिसमें से 2150.967 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख अभी कम्पनी के नाम में प्रविष्ट किया जाना शेष है।

36. वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पाई कुछ परिसंपत्तियों को 1/– रुपए प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

37. देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन/संविदाकारों के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाए गए कुछ शेष पुष्टि/समाधान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन हैं।

38. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 43 फ्लैट (गत वर्ष 45 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है। भारत सरकार ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त किए हैं। आगे, कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26 ईसी रोड, देहरादून में 20 लाख रुपए कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना/केएचईपी के पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्री होल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल है जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

(iv) टीएचडीसी कार्यालय परिसर, बाईपास रोड, ऋषिकेश में बने लगभग 380 वर्गमीटर का कार्यालय भवन क्षेत्र जिसकी कीमत का अभी पता लगाया जाना है, को टीएचडीसी और उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना/केएचईपी के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ऐसी परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

39. संस्था के अंतर्नियमों के खंड संख्या 61 (ख) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जाने है। पारस्परिक सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय रूप में नहीं दर्शाया गया है।

40. वर्ष 2007–08 और 2011–12 के दौरान क्रमशः टिहरी एचपीपी–1 और केएचईपी ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी–1 और के एचईपी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

41. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की मूल व्यापारिक गतिविधि है। अन्य प्रचालन, जैसे परामर्शी कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक–17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत केंद्र देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

42. **संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :**

लेखाकरण मानक–18 से संबद्ध ''पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण'' में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन. देन का ब्यौरा इस प्रकार है :

क) संबद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक :

1.	श्री आर. एस. टी. शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सी. पी. सिंह	निदेशक (वित्त)
3.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री एस. के. बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
5.	श्री ए. एस. बिष्ट	पूर्व–निदेशक (कार्मिक)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक एवं भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान, अन्य लाभ एवं व्यय निम्नवत हैं :

राशि लाख ₹ में

		2012–13	2011–12
(I)	वेतन एवं भत्ते	108	137
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	7	10
(iii)	अन्य लाभ	50	75
(iv)	स्वतंत्र निदेशक शुल्क एवं खर्चे	24	13
(v)	निदेशकों के यात्रा व्यय	19	22
(vi)	पेंशन निधि	4	2
	कुल	**212**	**259**

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 780/–रुपए प्रति माह के भुगतान पर निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के इस्तेमाल की अनुमति है (जैसा कि उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के परिपत्र संख्या 2(53)/90–डीपीई (डब्ल्यूसी)– जीआईवी, दिनांक 26 मार्च, 1999 के अनुसार अनुप्रयोज्य है)। आगे, दिनांक 21, जनवरी, 2013 के परिपत्र सं– 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल– V/13 के अनुसार, उपर्युक्त राशि को बढ़ाकर फरवरी, 2013 से 2000/– रु– प्रति माह कर दिया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल का संयुक्त उद्यम गठित किया जाना है जैसा कि टिप्पणी संख्या 48(i) में प्रकट किया गया है।

43. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार हैं :

	2012–13	2011–12
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपए)	53138	70383
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल : 33660524 परिवर्तित : 33660524	मूल : 32975817 परिवर्तित : 32978276
प्रतिशेयर आय रुपए मूल	157.86	213.44
परिवर्तित	157.86	213.42
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

44. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखांकन'' के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 5372 लाख रुपए (गत वर्ष 6524 लाख रुपए) जो कि आस्थगित देयता में वृद्धि को दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू कर का भाग है और वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है :

लाख ₹ में

क्र.सं.		31.03.2013	31.03.2012
	आस्थगित कर देयता (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	19650	13116
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	7859	9625
(iv)	भंडारों के लिए प्रावधान	166	0
(v)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	158
(vi)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	3826	3230
	शुद्ध आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्तियां) (क–ख)	**(31501)**	**(26129)**

45.i) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2012–13 के दौरान 2011–12 के कर पूर्व लाभ का 2% की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए व्यय करें। उपलब्ध निधि के अलावा उपगत 152 लाख रुपए को वसूलनीय के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे भावी सीएसआर प्रावधान में से समायोजित किया जाना है।

ii) भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुरूप, कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह वर्ष 2012–13 के दौरान वर्ष 2011–12 के कर पश्चात लाभ के 0.5% का न्यूनतम व्यय अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) पर उपगत करे। अव्ययित राशि के लिए प्रावधान गैर व्ययगत होने वाली आर एवं डी निधि के रूप में किया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने वर्ष 2012–13 के लिए आर एवं डी योजना को अनुमोदित किया था। वर्ष के दौरान 287 लाख रुपए के बजट के प्रति आर एवं डी क्रियाकलाप पर 397 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

iii) भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, कम्पनी से यह अपेक्षित है कि वह वर्ष 2012–13 के दौरान 50 लाख रुपए + वर्ष 2011–12 के लिए 100 लाख रुपए से अधिक के कर पश्चात लाभ के 0.1% का न्यूनतम व्यय सतत विकास (एसडी) पर उपगत करे। अव्ययित राशि के लिए प्रावधान गैर व्ययगत होने वाली एसडी निधि के रूप में किया गया है। तदनुसार बोर्ड ने वर्ष 2012–13 के लिए एसडी योजना को अनुमोदित किया था। वर्ष के दौरान, 110 लाख रुपए के बजट के प्रति एसडी क्रियाकलाप पर 121 लाख रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

46. प्रबंधन की राय में अचल परिसंपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गए ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन.पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होंगे।

47.क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2013 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2013 के लघु/सहायक उद्योगों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

48.(i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र संख्या एमआईएस–1207/(126/2007)/एचपी के जरिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम जो अभी गठित किया जाना है, को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं (पुणे जिले में) कालू नदी पर मालशेज घाट (600 मेगावाट) और (सतारा जिले में) कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनाई जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और सर्वेक्षण

तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2013 तक टीएचडीसी ने इस पर 1101 लाख (गत वर्ष 856 लाख रुपए) खर्च किए हैं जिसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य रुप में दर्शाया गया है जिसे 31 मार्च, 2013 को अभी निगमित किया जाना है।

(ii) भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डीओ नम्बर 11/01/2008–बीबीएमबी के जरिए भूटान की संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर अद्यतन करने का काम परामर्शी आधार पर टीएचडीसी को सौंपा है। इसके लिए 23.03.2010 को क्रमशः 1682 लाख रुपए तथा 24.06.2010 को 1379 लाख रुपए के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(iii) टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीसीएल के बीच खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो इसकी तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना, ईंधन के लिए तालमेल, निधियन, विद्युत लेने के लिए वचनबद्धता, पीपीए पर हस्ताक्षर तथा उचित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन होगा। तदनुसार डीपीआर तथा अन्य स्थल संबंधित कार्य टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

49. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सरकारों (जीओयूपी/जीओयू) को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित व्यय विवरण के अनुसार व्यय किया गया खर्च कंपनी के लेखाबहियों में दर्ज किया गया है जिसे उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिए गए मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शाई गई सीमा तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब–किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जाएगा।

50. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए केदारपुरम में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। गृह विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

51. (i)विद्युत गृह के संविदा प्रावधान के अनुसार मात्रा परिवर्तन के प्रति छूट के संबंध में केसीटी से वसूलियों संबंधी मामले को न्यायालय आदेश के अनुसार विवाचन हेतु भेजा गया था और तदनुसार, विवाचन कार्यवाहियां शुरू की गई थीं। इसी समय, केसीटी ने पीठासीन विवाचक की नियुक्ति को चुनौती दी। इसके बाद, अधिकरण ने आदेश दिया कि पीठासीन माध्यस्थम की नियुक्ति उचित है, जिसे जिला न्यायालय, टिहरी में केसीटी द्वारा चुनौती दी गई थी। जिला न्यायालय, टिहरी के आदेश को केसीटी के पक्ष को बनाए रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आस्थगन किया गया है। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्रदत्त आस्थगन सूचीयन की तिथि तक बढ़ाया गया, इस दौरान शीघ्र सुनवाई हेतु एक तात्कालिकता आवेदन टीएचडीसी द्वारा दायर किया गया, मामले पर न्यायालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इन संविदाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों का मूल्य मामले को अंतिम रूप देने पर निर्भर रहते हुए परिवर्तित होगा।

(ii) संविदाकारों को दिए गए अग्रिम में 21275 लाख रुपए (मूलधन 12829 लाख रुपए और 16% की दर से ब्याज 8445 लाख रुपए) [गत वर्ष 19052 लाख रुपए (मूलधन 12505 लाख रुपए और 16% की दर से ब्याज 6547 लाख रुपए] शामिल हैं जो जोखिम और लागत लेखा, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उपस्कर अग्रिम के लिए केएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से वसूला जाना है। 31 मार्च, 2013 तक टीएचडीसीआईएल के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नगद) के रूप में केवल 5629 लाख रुपए) (गत वर्ष 5629 लाख रुपए) उपलब्ध है।

पी सी एल के संबंध में माध्यस्थम के मामले में टीएचडीसीआईएल ने इस मामले में अधिकरण के समक्ष प्रति दावा पेश किया है। माध्यस्थमों ने निर्णय देते समय जोखिम एवं लागत अग्रिम पर ब्याज हेतु अधिकरण ने अनुमति नही दी है। टीएचडीसीआईएल ने माध्यस्थम के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय से फैसला न होने के कारण माध्यस्थम अवार्ड की राशि के संबंध में बहियों में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

52. वर्ष 2010–11 के दौरान भारी वर्षा के कारण केएचईपी परियोजना में बाढ़ आई जिससे निर्माणाधीन कोटेश्वर परियोजना जो निर्माण अवस्था में थी, के कुछ उपस्करों को नुकसान हुआ और लगभग 4573 लाख रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया था। इस नुकसान के लिए संविदाकार अर्थात मैसर्स बीएचईएल द्वारा बीमा दावा कर दिया गया है। निर्माण कार्य की बहाली/दोबारा शुरू करने पर हुए खर्च को सीडब्ल्यूआईपी से अंतरित किया गया है और तदंतर यूनिटों के चालू होने पर पूंजीकृत किया गया है। प्रबंधन वर्ग का विचार है कि बीमा दावा की राशि प्राप्त हो जाने पर इसे पहले ही पूंजीकृत परिसम्पत्तियों में से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा मैसर्स बीएचईएल द्वारा दर्ज कुल दावों में से 1000 लाख रुपए के दावे को बीमा कंपनी से प्राप्त किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2011–12 के हिसाब में लिया गया है।

53. वर्ष के दौरान, कंपनी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निवर्तमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। तदनुसार वर्तमान टैरिफ विनियम 2009–2014 के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

54.(i) कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/मार्गस्थ कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें सामान्य तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता। किराए में पट्टा भुगतान के लिए 794 लाख रुपए (गत वर्ष 698 लाख रुपए) शामिल है। (वसूली घटाकर)।

(ii) टीएचडीसीआईएल ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में 01 जुलाई, 2010 से 6 वर्षों के लिए 212 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से 2270 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला कार्यालय पट्टे पर लिया है जिसकी कुल कीमत 5 लाख रुपए एवं सेवा कर प्रति माह होगी। पट्टे पर लिए गए कार्यालय आवास में से 1870 वर्ग फुट है, 212 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से 8 नवम्बर, 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कुल 4 लाख रुपए एवं सेवा कर प्रति माह में उप–पट्टे पर दिया गया है।

55.(i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज अदा करना अपेक्षित है जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, कम्पनी का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तथा न्याय द्वारा ब्याज देयता पूरी करने में कमी तक सीमित है। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2013 को एएस–15 (पुनरीक्षित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी 84 लाख रुपए (गत वर्ष 590 लाख रुपए) होती है जबकि तुलन–पत्र के तारीख को ट्रस्ट के पास राजस्व अधिशेष 79 लाख रूपए) (गत वर्ष 43 लाख रुपए) उपलब्ध था। इसीलिए सीपीएफ हेतु 5 लाख रुपए (गत वर्ष 546 लाख रुपए) की राशि को देयता के रूप में दिखाया गया है।

(ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2013 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारी लाभ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार ''कर्मचारियों का लाभ'' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.03.2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी 1 : निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

लाख ₹ में

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8%	8.5%
भावी वेतन वृद्धि	6%	6%

सारणी–2: दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

लाख ₹ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	8319	3985	1759	3936	498
ब्याज लागत	666	319	141	315	40
गत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	501	249	70	245	46
भुगतान किया गया लाभ	(473)	(1027)	(32)	(78)	(55)
बीमांकित (लाभ/हानि)	598	740	89	176	125
वर्ष के अंत में पीवीओ	9611	4266	2027	4594	654

सारणी–3 : तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

लाख ₹ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	9611	4266	2027	4594	654
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(9611)	(4266)	(2027)	(4594)	(654)
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(9611)	(4266)	(2027)	(4594)	(654)

सारणी–4: लाभ और हानि खाते /ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

लाख ₹ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
चालू सेवा लागत	501	249	70	245	46
ब्याज लागत	666	319	141	315	40
गत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ) / हानि	598	740	89	176	125
वर्ष के लिए लाभ और हानि में चिन्हित व्यय / ईडीसी	1765	1308	300	736	211

56. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकर का प्रावधान नहीं किया है।

57. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

लाख ₹ में

		2012–13	2011–12
i.	सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क	6*	6
ii.	कराधान मामले के लिए (कर लेखापरीक्षा)	2	2
iii.	कंपनी विधि मामले के लिए	.	.
iv.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	.	.
v.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	3	3
vi.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3	4

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

58. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है :

लाख ₹ में

	विवरण	2012–2013	2011–2012
क.	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	11	13
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	2499	511
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	2504	2414
	माल का आयात	207	30
	अन्य (अग्रिम)	128	0
	सम्मेलन हेतु नामांकन	2	7
	सॉफ्टवेयर की खरीद	0	1
	कुल	**5351**	**2976**
ख.	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0.00**	**0.00**
ग.	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
i)	पूंजीगत माल	265	30
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**265**	**30**
घ.	**प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (लाख रुपए में)	54	2
	(%)	43%	4%
ii)	देशी (लाख रुपए में)	73	64
	(%)	57%	96%
ङ	**निर्यात का मूल्य**	0.00	0.00

59. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्रम सं.	विवरण	2012–2013	2011–2012
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1400 मेगावाट	1400 मेगावाट
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट) – (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मेगावाट	2844 मेगावाट
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	45.1769 मि.यू.
	बिक्री	शून्य	44.7251 मि.यू.
(ख)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	4266.03716 मि.यू.	4546.0793 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	3735.06309 मि.यू.	3983.6996 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है तथा अनुरक्षित कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

60. विगत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक हैं, पुनः समूहबद्ध / श्रेणीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के सभी सदस्य

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने "**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड**" के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक विवरण शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस उत्तरदायित्व में उन वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का परिकल्प, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो एक सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा का नियोजन तथा निष्पादन करें।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया–विधियों का निष्पादन तथा प्रकटीकरण करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया–विधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिमों का निर्धारण करना शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण। इन जोखिम निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया–विधियां तैयार करने के क्रम में कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की समुचितता करने के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

राय

5. हमारी राय में तथा हमारी संपूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय

विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं :

(क) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के विवरण के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ की तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नगदी प्रवाह की।

अन्य मामले

6. अपनी रिपोर्ट को आपत्ति किए बिना हम निम्न की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं: –

क. टिप्पणी सं. 20.1 (i एवं iii)– सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का अंतिम निर्धारण लंबित होने के कारण बिक्री का लेखाकरण अनंतिम आधार पर किया जा रहा है।

ख. टिप्पणी सं 32 (i) – अतिरिक्त स्थल के कारण उत्तराखण्ड सरकार से शेष देय 5880.00 लाख रुपए के संबंध में, जो 31.03.2013 को रायल्टी के लिए देय राशियों के समायोजन के पश्चात्, अभी वसूल किया जाना है, देय है, उत्तराखण्ड सरकार ने उसे समायोजित कर लिया है तथा संशोधित मांग भेजी है जिसका लेखाकरण लंबित न्यायालय मामले के कारण नहीं किया जा सका।

ग. टिप्पणी सं. 35 (i) – शीर्ष 'गैर श्रेणीकृत भूमि' के तहत लेखों में पूंजीकृत 2797 लाख रुपए का पुनर्वास व्यय उत्तराखण्ड सरकार/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर दर्ज किया गया है तथा इसलिए हमारे द्वारा उसका सत्यापन नहीं किया जाना है।

घ. टिप्पणी सं 37 विविध देनदारों, विविध लेनदारों, प्रतिभूति जमा/धरोहर राशि जमा ऋण तथा अग्रिमों के कुछ शेष, पुष्टि तथा समाधान के अध्यधीन हैं।

ड. टिप्पणी सं. 38 (i) – कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 43 फ्लैटों (विगत वर्ष 45 फ्लैट) के अनधिकृत कब्जे से संबंधित।

च. टिप्पणी सं. 51 (ii) – संविदाकारों को अग्रिम में 5629 लाख रुपए की प्रतिभूति के प्रति केएचईपी संविदाकार (मैं. पीसीएल) को जोखिम तथा लागत पर निष्पादित कार्यों के लिए 21275 लाख रुपए शामिल हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

7. अधिनियम, की धारा 227 की उप–धारा (4क) के क्रम में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित अनुलग्नक में हम इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

8. अधिनियम की धारा 227(3) द्वारा यथापेक्षितानुसार हम सूचित करते हैं कि :

(क) अपनी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाते बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप–धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआरएनः आईसीएआई का 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार एफसीए
सदस्यता संख्या–17572

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.07.2013

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 में संदर्भित अनुलग्नक)

(i) **इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :**

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। इन परिसंपत्तियों के संचालन के रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है और इस सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में, कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारम्बारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

(ii) **इसकी वस्तुसूचियों के संबंध में :**

(क) संविदाकारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़कर वस्तु–सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु–सूची की वास्तविक जांच उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया–विधियां उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तु–सूची का उचित रिकार्ड रखा है।

(iii) **ऋणों के संबंध में :**

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न तो कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण लिया है और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड (iii) कम्पनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वस्तु सूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला है और न ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि कंपनी अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

(v) हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारी संपूर्ण जानकारी और विश्वास तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित कोई भी संविदाएं या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी जिन्हें इस धारा के तहत अनुरक्षण के लिए अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान 5,00,000 या उससे अधिक के लेन–देन के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) कंपनी ने जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vii) कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखा–परीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखा–परीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(viii) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी अपेक्षित लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2012–13 के लिए लागत लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं तथा इनके संदेय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बकाया नहीं थी। जैसाकि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर/व्यापार कर/ प्रवेश कर की देय राशि जमा नहीं की गई है।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2000–01 149 महीनों के लिए ब्याज	136.35 406.33	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील), देहरादून के पास लंबित है।
2007–08	0.93	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने 28.02.2011 के मूल्यांकन आदेश में की गई मांग के खिलाफ अपील दायर की है।

(x) (क) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नगद हानियां नहीं हुई थीं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

(xi) कंपनी ने, हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा–परीक्षा पद्धति के आधार पर, तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं।

(xiii) कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल बेनीफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड–XIII कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड XIV कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xv) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 09.07.2013

गोपनीय

सख्याः MAB-III/Rep/01-37/Acs-THDC/2013-14/VOL.IV/524
Hkkjrh; y[kk rFkk y[kkijh{kk foHkkx
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक / Dated 30 July 2013

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषयः 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor Annexe Building, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Tel : 23239227, Fax : 23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम,1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गई है कि ऐसा उनके द्वारा 09 जुलाई,2013 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अधीन 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारंभिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गई। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत टिप्पणी करना या ''सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुपूरक'' अपेक्षित हो।

कृते व भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2013

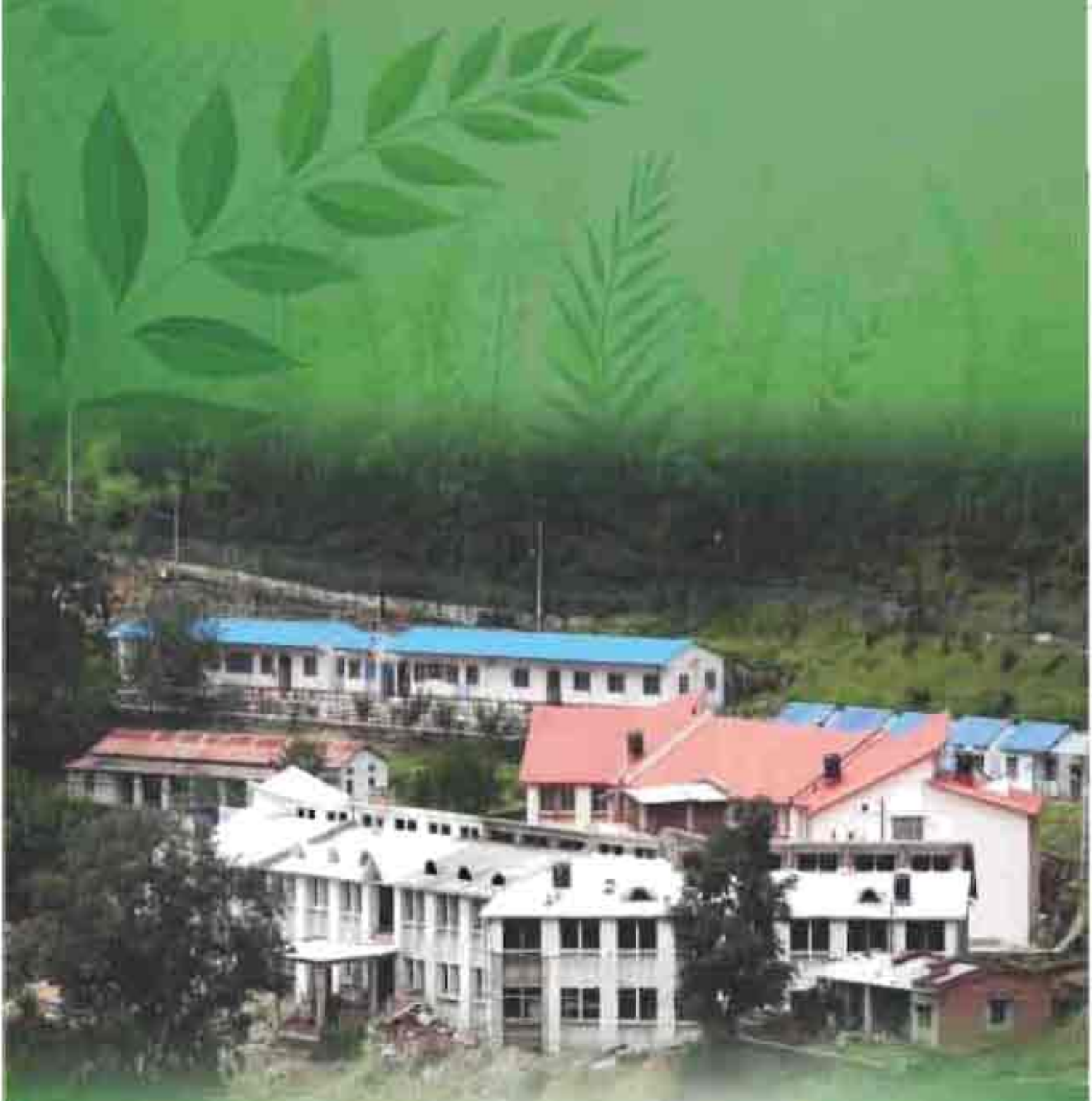

वीपीएचईपी में बुनियादी ढांचे का विकास कार्य
Infrastructure Development Work at VPHEP

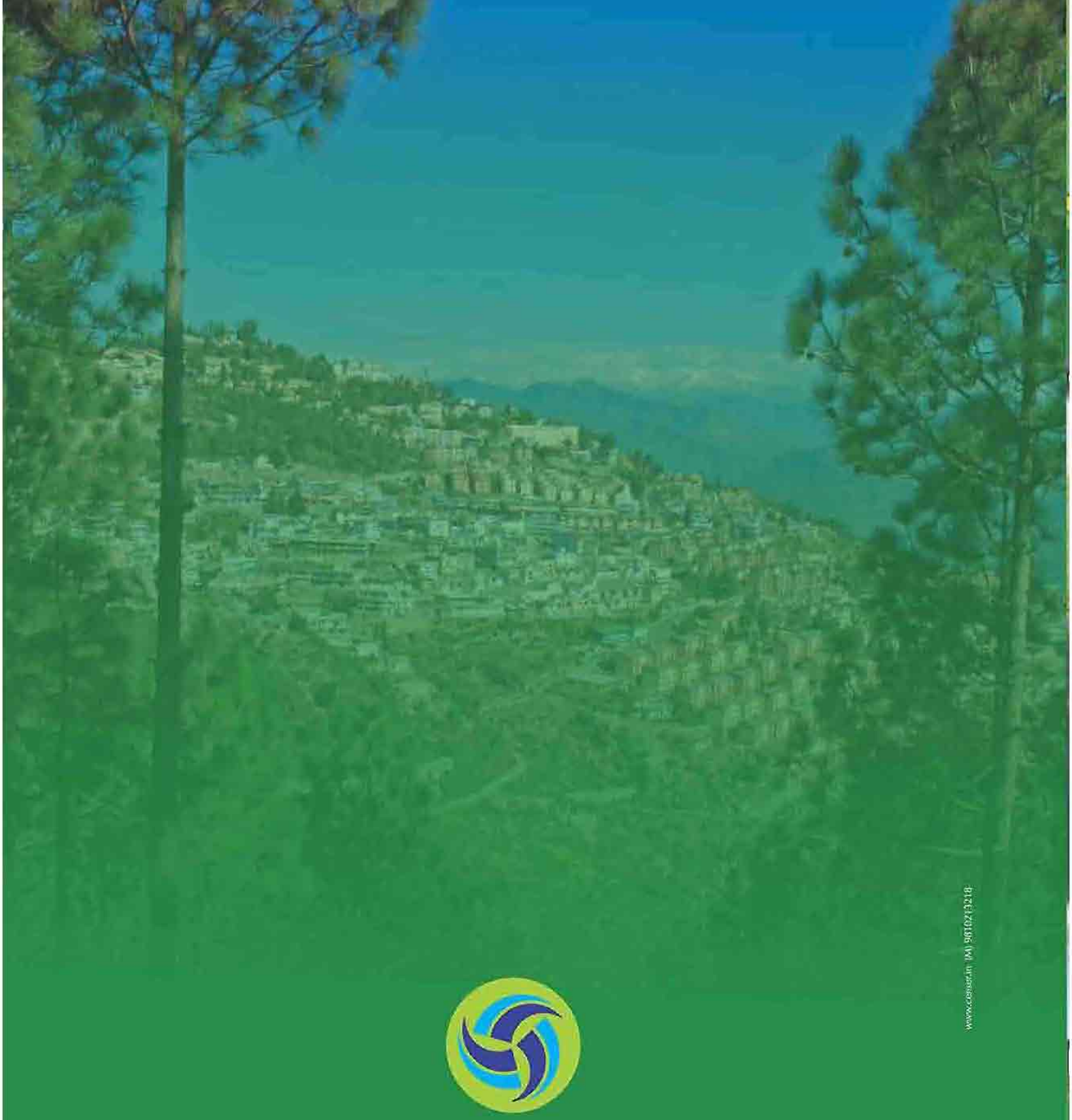

टीएचडीसी इंडिया लि.

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

THDC INDIA LIMITED

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437646 Fax : (0135) 2439442 & 2436761